लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

[खंड 44 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLIV contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7, बुधवार 25 अगस्त 1965/3 भाद्र 1887 (शक)

No 7—Wednesday, August 25, 1965/Bhadra 3, 1887 (Saka).

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
180	आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये स्वायत्तता	Autonomy to Assam Hill Districts	683-685
181	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers	685-689
182	कोरबा में उर्वरक कारखाना	Fertiliser Plant at Korba	689-690
183	दुर्गापुर उर्वरक कारखाना	Durgapur Fertilizer Factory	690-692
184	सीमाओं पर चीन तथा पाकिस्तान की जासूसी कार्यवाहियां	Chinese and Pakistani Spy activities on the borders.	692-696
185	विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता	Indiscipline amongst Students	696-700
186	सप्रू समिति का प्रतिवेदन	Sapru Committee Report	700-702
187	राजनैतिक प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के विरूद्ध जांच की प्रक्रिया	Procedure of Enquiry Against Persons in Political Authority	702-707

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
188	स्वर्गीय श्री नेहरू के क्रिया-कलापों पर सम्मेलन	Conference on Role of Late Shri Nehru	707
189	गैर-सरकारी क्षेत्र में सेवा-निवृत्त होने वाले सिविल कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of retired civil servants in Private Sector	707-708
190	भारत में बिना पासपोर्ट के पकड़े गये पाकिस्तानी	Pakistanis found in India without Passports	708

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
191	सन्तानम समिति की सिफारिशें	Santhanam Committee's Recommendations	708
192	मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Ministers and High Officials	708-709
193	केरल में नजरबन्द व्यक्तियों का अभ्यावेदन	Representation from Kerala Detenus	709
194	केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेज	Secret Document circulated in Kerala	709
195	बर्मा से स्वदेश भेजे गये भारतीयों को दुकानों का दिया जाना	Allotment of Shops to Burmese Repatriates	709-710
196	शिक्षा मंत्री की विदेश यात्रा	Foreign Tour of Education Minister	710
197.	उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मुकदमे	Cases pending in High Courts .	710-711
198	विश्वविद्यालयों में प्रवेश की आयु	Age for Admission to Universities .	711
199	दिल्ली में बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Children in Delhi .	711-712
200	पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों के लिये नागरिकता	Citizenship for East Pakistan Immigrants	712
201	कच्चे तेल के मूल्य में कमी	Reduction in the Price of Crude Oil .	712-713
202	लोक सेवाओं में नियुक्तियां	Appointments to Public Services .	713
203	इंडिया आफिस लाइब्रेरी	India Office Library . .	713
204	प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों के कारण	Causes of Procedural delays .	714
205	पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण	Distribution of Petroleum Products .	714-715
206	रूस से पेट्रोलियम उत्पाद	Petroleum Products from U.S.S.R.	715
207	दादरा, नागर हवेली, दमन और दीव का भावी ढांचा	Future of Dadra, Nagar Haveli, Daman and Diu . . .	715-716
208	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	All India Educational Service .	716

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

598	बर्मा से आये हुए भारतीयों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indians from Burma	716-717
599	तकनीकी विषयों की पुस्तकें	Books on Technical Subjects . .	717
600	केरल परामर्शदात्री समिति	Kerala Consultative Committee .	717

अता० प्र० संख्या — पृष्ठ

U. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
601	बंगलौर के निकट पाये गये रोमन सिक्के	Find of Roman Coins near Bangalore	717–718
602	कोचीन नगर निगम	Cochin Municipal Corporation	718
603	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्त्ताओं द्वारा कथित हमला	Alleged attack by R. S. S. Workers	718
604	केरल में नगर निगमों को अनुदान	Grants to Municipal Corporation in Kerala	718–719
605	विझीजाम में विश्राम-गृह	Rest House in Vizhijam	719
606	केरल में समुद्र से भूमि का कटाव	Sea Erosion in Kerala	719
607	कर्मचारी संघों को मान्यता	Recognition of Unions	720
608	संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय	Joint Consultation and compulsory Arbitration Scheme	720
609	राष्ट्रीय परिषद् का विधान	Constitution of National Council	720
610	राष्ट्रीय परिषद् का कार्यकरण	Working of National Council	720
611	गैसोलीन	Gasoline	720–721
612	कोचीन में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी संस्था	Institute of Oceanography at Cochin	721
613	केरल के कालिजों में दाखिला	Admission to Kerala Colleges	721
614	शिंगत पुलिस चौकी पर नागाओं का आक्रमण	Naga Attack on Shingat Police Outpost	721–722
615	पिलानी टेलीविजन पेटन्ट	Pilani T. V. Patent	722
616	गौहाटी तेल शोधक कारखाने के पास पेट्रो-रसायन उद्योग समूह	Petro-Chemical Complex near Gauhati Refinery	722
617	इन्द्रावती तथा सबरी के बेसिनों का विकास	Indravati Sabri Basin Development	722–723
618	दण्डकारण्य परियोजना के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच	Investigations against Dandakaranya Officials	723
619	राष्ट्रमण्डलीय युवक समारोह	Commonwealth Youth Festival	723–724
620	सरकारी कर्मचारियों के लिये सहकारी स्टोर	Co-operative Stores for Government Employees	724
621	राष्ट्रीय एकता परिषद्	National Integration Council	724
622	नेशनल बुक ट्रस्ट	National Book Trust	724
623	अकादमियों द्वारा पुस्तकों की बिक्री	Sale of Books by Akademis	724–725
624	समुद्रगत तेल निक्षेप	Oil Deposits under the Sea	725
625	बहुप्रयोजनीय स्कूल	Multi-purpose Schools	726

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
626	बंगलौर में सतर्कता आयुक्तों की बैठक	Vigilance Commissioners' meet at Bangalore	726
627	पेट्राल की कीमत	Price of Petrol	727
628	हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था	Security Arrangements at Airports	727-728
629	विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान	Military Science in University Education	728
630	कोल्ट्स क्रिकेट टीम	Colts Cricket Team	728-729
631	बम्बई तेल शोधक कारखाने के लिये कच्चा तेल	Crude Oil for Bombay Refineries	729
632	विज्ञान के शिक्षकों की कमी	Shortage of Science Teachers	729
633	राष्ट्रीय प्रयोगशालायें	National Laboratories	729-730
634	राज्यों में सतर्कता आयोग	Vigilance Commissions in States	730-731
635	अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां	Scholarships for Teachers' Training	731
636	इलाहाबाद में विज्ञान शिक्षा संस्था	Institute of Science Education at Allahabad	731
637	विद्यार्थी परामर्शदाता ब्यूरो	Students Advisory Bureau	731-732
638	मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil	732
639	प्लेनेटेरियम	Planetorium	732
640	स्वयंसेवी संस्कृत संस्था को सहायता	Aid to Voluntary Sanskrit Organisations	733
641	औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र	Centre for Research on Industrial Toxicology	733-734
642	उत्तर प्रदेश में स्कूल-होस्टेल	School Hostels in U. P.	734
643	दिल्ली विकास प्राधिकार	Delhi Development Authority	734
644	बंगाल की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of oil in Bay of Bengal	735
645	मनीपुर में विद्रोही नागाओं द्वारा लूटमार तथा अपहरण	Looting and Abduction by Hostile Nagas in Manipur	735
646	मिट्टी के तेल तथा अन्य तेलों को सस्ते मूल्यों पर देने का प्रस्ताव	Offer for cheap Kerosene and other Oils	735-736
647	आदर्श पाठ्य पुस्तकें	Model Text Books	736
648	शरणार्थी शिबिरों में अनुशासन	Discipline in Refugee Camps	736
649	केरल की राजधानी हटाना	Shifting of Kerala Capital	736-737
650	कोयला-ब्रिकेट	Coal Briquettes	737
651	काज़ी नज़रूल इस्लाम की रचनायें	Works of Kazi Nazrul Islam	737

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
652.	गृह कल्याण केन्द्रों द्वारा शिक्षा	Education through Grih Kalyan Kendras	737
653.	पंजाब में माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान	Grants for Secondary Education in Punjab	737-738
654.	न्यू कोर्टस् दिल्ली के पास गैस के सिलंडर	Gas Cylinders near New Courts, Delhi	738
655.	सरकारी कर्मचारियों की सहकारी समिति	Government Employees' Cooperative Society	738
656.	कछार पहाड़ियों में नागाओं द्वारा छापा मारना	Raid by Nagas in Cachar Hills	739
657.	अल्वाये में उर्वरक तथा रसायन कारखाना	Fertilizers and Chemicals Factory at Alwaye	739
658	असैनिक राइफल्स प्रशिक्षण योजना	Civilians Rifle Training Scheme .	739-740
659.	जीरीबाम सब-ट्रेज़री पर आक्रमण	Attack on Jiribam Sub-Treasury .	740
660.	पाकिस्तानियों द्वारा राजस्थान में लूटमार	Looting in Rajasthan by Pakistanis	740
661.	जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा (आई० ए०एस०) के अधिकारी	I.A.S. Officers in Jammu and Kashmir	741
662	स्वर्गीय पंडित नेहरू की बरसी	Anniversary day of late Shri Nehru .	741-742
663.	भिंड और मुरैना का समेकित विकास	Integrated Development of Bhind and Morena	742
664.	मध्य प्रदेश में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Migrants in Madhya Pradesh . . .	742-744
665	कपड़ा काटने की मशीनों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for importing Cloth Cutting Machinery	744
666	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के सेवा नियम	C.S.I.R. Service Rules	745
667.	अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक करार	Cultural Agreements with African Countries	745
668	भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड	Inter-University Board of India .	745-746
669	चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पॉलीटैक्निक कालिजों में स्थान	Seats for Medical, Engineering Polytechnic Colleges	746
670	लोगों को बसाने के लिये औद्योगिक योजनायें	Industrial Schemes for Rehabilitation	746-747
671	मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक	Primary Teachers in M.P. .	747

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
672	तोहोपारा पहाड़ी आदिम जाति क्षेत्र	Tohopara Hills Tribal Area . .	747
673	हड़प्पा सभ्यता के अवशेष	Relics of Harappan Civilization .	748
674	गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory, Gorakhpur .	748
675	हिन्दी ग्रन्थों का मानकीकरण	Standardisation of Hindi Books .	748-749
676	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology . . .	749
677	पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Nationals	749
678	शरणार्थियों को दिया गया ऋण	Loans to Refugees .	750
679	समुद्र के नीचे एक घाटी का पता लगना	Discovery of Under-sea Valley .	750-751
680	बेतूल में चीनी मिल	Sugar Mills in Betul .	751
681	बुनियादी शिक्षा नीति	Basic Education Policy .	751
682	मैसूर के उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीश	High Court Judges for Mysore .	751-752
683	राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के वेतनक्रम	Scales of Instructions of National Discipline Scheme . . .	752
684	राष्ट्रमण्डलीय युवक दल द्वारा भारत की यात्रा	Commonwealth Youth Expedition to India	752
685	पेनीसिलीन का मूल्य	Price of Penicillin	752-753
686	नोह में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	Archaeological Excavation at Noh .	753
687	सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में भूतपूर्व मंत्री	Ex-Ministers as Chairmen of Public Undertakings . . .	753
688	गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में रोजगार	Employment in Fertilizer Factory, Gorakhpur	753-754
689	पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of migrants from East Pakistan	754
690	अंशकालिक इंजीनियरी कालिज	Part-time Engineering College .	754
691	शिलांग सीमा पर विदेशियों की गिरफ्तारी	Arrest of Foreigners on Shillong Border	754-755
692	लाजपत राय मार्केट, दिल्ली	Lajpat Rai Market, Delhi . .	755
693	भारतीय हाकी संघ को हुई आय	Earnings by Indian Hockey Federation	755
694	भारत में संग्रहालय	Museums in India .	755-756

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
695	विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी — Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students Sent Abroad	756
696	विदेशों का दौरा करने वाले दल — Teams for tours abroad	757
697	तेल की पाइप लाइन — Oil Pipe Lines	757
698	दिल्ली में अध्यापकों की नियुक्ति — Appointment of Teachers in Delhi	757–758
699	संस्कृत विद्यापीठ — Sanskrit Vidyapeeth	758
700	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पुराने स्नातकों का सम्मेलन — Conference of Old Graduates of Aligarh Muslim University	758–759
701	इंजीनियरी कालिज, त्रिपुरा — Engineering College, Tripura	759
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— Calling Attention to Matter of urgent Public Importance—	
	किरकी के उच्च विस्फोटक पदार्थ कारखाने (हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी) में विस्फोट — Explosion in High Explosives Factory at Kirkee	759–761
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र — Papers Laid on the Table	761–762
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— Committee on Private Bills and Resolutions—	
	अड़सठवां प्रतिवेदन — Sixty-eight Report	762
	कार्य मंत्रणा समिति — Business Advisory Committee—	
	अड़तीसवां प्रतिवेदन — Thirty-eight Report	762
	भारतीय सुरक्षा सेना द्वारा युद्ध-विराम रेखा पार करने के बारे में वक्तव्य— Statement Re : Crossing of Cease-Fire Line by Indian Security Forces—	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण — Shri Y. B. Chavan	762
	मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव— Motion of No-confidence in the Council of Ministers—	
	श्री नारायण दाण्डेकर — Shri N. Dandeker	763–764
	श्री अब्दुल गनी गोनी — Shri Abdul Ghani Goni	764–766
	श्री च०का० भट्टाचार्य — Shri C. K. Bhattacharyya	766–767
	श्री मधु लिमये — Shri Madhu Limaye	767–769
	श्री मनोहरन — Shri Manoharan	769–771
	श्रीमती रेणुका राय — Shrimati Renuka Ray	771–772
	श्री प्रकाशवीर शास्त्री — Shri Prakash Vir Shastri	772–773
	श्रीमती कमला चौधरी — Shrimati Kamla Chaudhuri	773
	श्री मौर्य — Shri Maurya	773–774

विषय	Subject	Pages
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav . .	774–775
डा० उ० मिश्र	Dr. U. Misra	775–776
श्री कृष्ण मेनन	Shri Krishna Menon . .	776–778
श्री ति०त० कृष्णमाचारी	Shri T. T. Krishnamachari .	778–781
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . .	781–782
श्री प्र०कु० घोष	Shri P. K. Ghosh . . .	782

लोक-सभा

LOK SABHA

बुधवार 25 अगस्त 1965/3 भाद्र, 1887 (शक)

Wednesday, August 25, 1965/Bhadra 3, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम के पहाड़ी जिलों के लिये स्वायत्तता

*180. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री हेम राज :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ह० चं० सोय :
श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिये आवश्यक उपायों पर विचार करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि आयोग के असम के विभिन्न जिलों के दौरे के दौरान तथा उसके समक्ष प्रस्तुत ज्ञापन-पत्र में भी यह प्रकट किया गया है कि विभिन्न पहाड़ी ज़िलों की स्वायत्तता के उपाय तथा स्वरूप के बारे में भारी मतभेद है ? वहां कितने ज़िले और कितने दल हैं जिनका दृष्टिकोण सर्वदल पहाड़ी नेता सम्मेलन के दृष्टिकोण से भिन्न है ?

श्री हाथी : जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, उसने कुछ क्षेत्रों का दौरा किया है, प्रश्नावली भेजी है और ज्ञापन पत्र भी प्राप्त हुए हैं परन्तु उसने अभी तक कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये, मेरे लिय यह कहना सम्भव नहीं होगा कि उन के विचार में कौन से उपाय हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि इस समय तक कोई पहाड़ी दल स्वायत्तता की अपनी मांगों को स्पष्ट रूप से इस प्रकार उल्लिखित नहीं कर सका है जो कि राज्य में विधान मंडल को उत्तरदायी मंत्रि-मंडलीय सरकार बनाये रखने की मूल आवश्यकता के अनुरूप हो? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस आयोग की नागालैण्ड शान्ति मिशन जैसी दशा होने से बचाने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

श्री हाथी : माननीय सदस्य जानते हैं कि इस सम्बन्ध में उस क्षेत्र के विभिन्न नेताओं के साथ विचार-विमर्श हुआ था और स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरु ने एक योजना बनाई थी । न्यनाधिक उसी आधार पर आयोग उन क्षत्रों के लिय प्रशासनिक तथा वित्तीय ढांचा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अब प्रतिवेदन देना आयोग का काम है ।

Shri Yashpal Singh : Whether Government have considered that it is imperative from the point of view of the security of India that Assam may be handed over to military and military rule be established there ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पहाड़ी नेताओं ने विभिन्न वक्ताओं तथा भाषाणोंमें स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये अन्य आश्वासनों का उल्लेख किया है। क्या मैं जान सकता हूं कि व "अन्य आश्वासन" क्या हैं जो स्वर्गीय प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये बताये जाते हैं।

श्री हाथी : श्री स्वर्गीय प्रधान मंत्री के साथ हुई ब क में जो आश्वासन तथा समझौते हुए थे, वे वास्तव में एक सूत्र में शामिल किये गये हैं और आयोग की नियुक्ति उस सूत्र को लागू करने के सम्बन्ध में है जिसे मैं यहां पढ़ता हूं । संकल्प के शब्दों में :

> "....भारत सरकार, उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के हित में उन्हें राज्य में राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाने की आवश्यकता पर ध्यान-पूर्वक विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यह वांछनीय होगा कि असम की एकता बनाये रखने, असम के समूचे राज्य के लिये मिला जुला विधान मण्डल रखने तथा मंत्रिमण्डल द्वारा सरकार के स्वीकृत रूप को जो राज्य विधान सभा के समक्ष सामूहिक तथा संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य कर रहा हो, बनाये रखने की शर्तों के अधीन रहते हुए पहाड़ी क्षेत्रों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाये....।

श्री पें० वेंकटासुब्बय्या : पहाड़ी लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिये तथा असम की एकता को बनाये रखने के लिये भी, क्या सरकार का विचार आंध्र राज्य में तेलंगाना क्षेत्रीय समिति के आधार पर एक क्षेत्रीय समिति गठित करने का है ताकि लोगों के हित सुरक्षित किये जा सकें और उनकी शिकायतें संवैधानिक रूप से दूर की जा सकें।

श्री हाथी : वास्तव में छठी अनुसूची में यह बताया गया है कि ढांचा क्या होना चाहिये । क्षेत्रीय समितियां तथा ज़िला और नगर दल भी हैं।

श्री प्र०रं० चक्रवर्ती : क्या यह सच है कि स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहाड़ी लोगों को आश्वासन दिया था कि उन्हें स्काटलैंड के नमूने पर एक प्रकार की क्षेत्रीय स्वायत्तता दी जायेगी ? यदि हां, तो उन लोगों के दलों में बिठाई गई आशा की पूर्त्ति के मार्ग में क्या बाधा है ?

श्री हाथी : वास्तव में निर्देश पदों में से एक यह है कि इसे लागू किस प्रकार किया जा सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को जानकारी है कि एक जिले में अब भी, जबकि बहुत सी बातें करनी शष हैं अनुसूचित आदिम जातियों को छोड़कर अन्य सभी लोगों से सारे कर लिये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा प्रश्न है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह प्रश्न सरकार के सामने काफी लम्बे समय से है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पहाड़ी क्षेत्रों के नेता इस आयोग के साथ सहयोग कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है कि जो सूत्र स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने निकाला था, अभी तक लागू नहीं किया गया है ?

श्री हाथी : इस सम्बन्ध में नेताओं से विचार विमर्श किया गया था। इस सूत्र को लागू करने के लिये इस आयोग की नियुक्ति मार्च, 1965 में की गई थी ।

Production of fertilizers

***181. Shri M. L. Dwivedi :**	**Shri M. L. Jadhav :**
Shri S. C. Samanta :	**Shri Jedhe :**
Shri Subodh Hansda :	**Dr. Mahadeva Prasad :**
Shri Warior :	**Shri H. C. Linga Reddy :**
Shri Prabhat Kar :	**Shri Madhu Limaye :**
Shri Bibhuti Mishra :	**Shri Ram Sewak :**
Shri K. N. Tiwary :	**Shri Basappa :**
Shrimati Tarkeshwari Sinha :	**Shri Onkar Lal Berwa :**
Shrimati Renuka Ray :	**Shri Narendra Singh Mahido :**

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the extent to which the production of fertilisers is lagging behind in the country and the time by which self-sufficiency is likely to be attained ;

(b) the number of fertiliser plants set up during the Third Five Year Plan ; and

(c) the number of plants proposed to be set up in the Public and Private Sectors in the Fourth Five Year Plan and the locations thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri O. V. Algesan) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L. T. 4630/65]**

Shri M. L. Dwivedi : It has been shown in the statement laid on the Table of the House that the target of production of nitrogen during the Third Plan was 8 lakh tons but so far only a production of three lakh tons has been made possible. I would like to know the reasons of so much shortage ? Why have we not been able to achieve the target and what are the basis on which the Minister has stated that we will become self-sufficient and the target will be achieved during Fourth Plan

श्री अलगेशन : सभा में इसका स्पष्टीकरण कई बार किया गया है । मुख्य कठिनाई यह है कि गैर-सरकारी क्षेत्र—मैं किसी को दोष नहीं देता —अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर सका है । कई परियोजनायें, जिन के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र का लाइसेंस दिया गया था, सरकारी क्षेत्र में चलानी पड़ीं और हमें बाद में तयारी करनी पड़ी । विदेशी मुद्रा की कठिनाई भी थी । यह प्रश्न भी था कि उर्वरक कारखाना कोयले पर आधारित हो या नेफथा पर । कमी के यह कारण हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

Mr. Speaker : He says that it will be done during Fourth Plan and you say, "how will it be done". What sort of question is that ?

पैट्रोलियन और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबीर) : हमने जो पग उठाए है, विशेष रूप से पिछले सोलह महीनों में जिनके द्वारा निश्चित कायक्रम निर्धारित किया गया है, उन्ह सभा के सामने पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है और हमें आशा है कि चौथी योजना के लक्ष्य समय के अन्दर पूरे कर लिये जायेंगे । कुछ उपाय किय गये हैं और इसका प्रमाण यह है कि यद्यपि आज देश में नाईट्रोजन की उत्पादन क्षमता चार लाख मीटरक टन है, सात लाख मीटरिक टन की अधिक क्षमता का निर्माण हो रहा है। छः हजार मीटरिक टन की क्षमता की अनुमति दी गई है। 17 लाख मीटरिक टन की अनुमति पहले ही ो चुकी है जिनमें से 11 लाख टन का निर्माण हो रहा है और 1967 के मध्य में हमारा उत्पादन 10 लाख टन से अधिक हो जायेगा ।

Shri M. L. Dwivedi : I would like to know the location and capacity of plants commissioned during and upto the end of Third Plan ?

श्री हुमायून कबीर : ततीय योजना के दौरान जिन कारखानों की अनुमति दी गई वे इस प्रकार हैं : एक असम के नामरूप स्थान के लिये था और कई कारणों से, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं था, यह कारखाना नहीं बन सका क्योंकि वह क्षत्र भकम्पीय क्ष त्र था । आरम्भ में एक स्थान चुन लिया गया था परन्तु जब वास्तव में निर्माण आरम्भ होने लगा तो पता चला कि यह स्थान कारखाने का बोझ सहन नहीं कर सकेगा। इस प्रकार की बातों का तब तक पता नहीं चलता जबतक कि वास्तव में खुदाई आरम्भ नहीं हो जाती और उपयक्त स्थान का पता लगने के लिये हमें उस क्षेत्र में ड्रिलिंग आरम्भ करना पड़ा है। यह स्थापित होने वाले कारखानों में से एक था। एक संयंत्र ोरखपुर में बनाना था, जहां पर अब निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है। जहां तक कोरबा का सम्बन्ध है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले ही बताया है, उसे स्थगित कर दिया गया है। ट्राम्ब के संयंत्र का निर्माण हो गया है परन्तु जैसे ही इसे चाल किया जाना था यह पता चला कि कुछ मामलों में जिनके सम्बन्ध में कार्य-योग्यता क. प्रमाण-पत्र दिया जा चुका था, कुछ तकनीकी त्रुटियों के कारण उसे चाल नहीं किया जा सका है। मैं पूरी सूची दे सकता हूं। वास्तव में, इस सभा में शीघ्र ही इस संबंध में एक वक्तव्य देने का मेरा विचार है।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में के सम्बन्ध में मैं उन और दो एककों तथा विस्तार योजनाओं के नाम जानना चाहता हूं जिनमें तृतीय योजना के अन्त तक उत्पादन आरम्भ हो जाने की आशा है ? और इनमें उत्पादन कितना होगा ?

श्री अलगेशन : ट्राम्ब में नाइट्रोजन का उत्पादन 96,000 मीट्रिक टन होगा । नीवेली में नाइट्रोजन का उत्पादन 70,000 मीट्रिक टन होगा और अल्वाय ो फैक्टरी का विस्तार होने पर इसमें उत्पादन 40,000 मीट्रिक टन तक हो जायेगा ।

Shri D. N. Tiwary: It has been given in the statement that the fertilizer plant in Barauni is under construction. May I know when will it be completed ?

श्री हुमायून कबीर : मने पहले ही बरौनी के सम्बन्ध में बता दिया है। इसे सोविएत सहयोग के साथ स्थापित करने का विचार है। जहां तक संयंत्र के निर्माण का संबंध है, इस संबंध में विचार करने का कोई प्रश्न नहीं है। विचार केवल तिथि के संबंध में है। जसा कि मैं पहले बता चुका हूं उत्पादन 1970–71 म अथवा एक वष बाद या कुछ पहले आरम्भ हो सकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि शासकीय तथा नौकरशाही के कारण ऐसी कुछ परियोजनाओं में बहुत विलम्ब हो गया जिन्हें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया था । यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं और वे कौनसी परियोजनायें हैं जो सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली गयी हैं और जो एक अथवा दूसरे कारण से रुकी पड़ी हैं ।

श्री हुमायून कबिर : यह देर इतनी नौकरशाही क कारण नहीं हुई हैं कि जितनी कि विदेशी मुद्रा की कठिनाईयों तथा कुछ गैर-सरकारी पक्षों के आवश्यक वित्त उपलब्ध न करा सकने के कारण हुई हैं। हमने

कुछ वर्ष पूर्व राजस्थान में एक योजना स्वीकार की थी। मैं जानना हूं कि माननीय सदस्य उसमें बहुत रुचि रखते हैं। सम्बन्धित पक्ष उसकी क्षमता का कोई प्रमाण नहीं दे सका है। फिर भी हमने स्थान में परिवर्तन किया है और उन्हें इसकी क्रियान्विति के लिये समय दिया है। इसके अतिरिक्त हम उनके लिये निश्चित समय को प्राय: बढ़ाते रहे हैं। ज्यों ही वह अपनी साख का प्रमाण-पत्र देंगे, लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा।

Shri Vishram Prasad : Our Government is laying great emphasis on nitrogenous fertilisers whereas its effect on the soil is very bad. May I know whether there is any scheme to produce Phosphatic fertilisers instead of nitrogenous fertilisers?

श्री हुमायून कबिर : मेरे माननीय मित्र ने अपने प्रश्न में दो पूर्वधारणायें बनाई हैं। पहली यह है कि नाइट्रोजन्स फ़र्टिलाईज़र्स भूमि के लिये खराब है। विश्व में कहीं भी ऐसा अनुभव नहीं किया गया है।

श्री विश्राम प्रसाद : मैंने नाइट्रोजन्स उर्वरक के लगातार प्रयोग के बारे में कहा था।

श्री हुमायून कबिर : वास्तव में, उर्वरक का उचित संतुलन आवश्यक होता है। यदि मेरे माननीय मित्र ने कहा होता कि कुछ फास्फटिक तथा पोटासियम उवरक भी इसमें शामिल किये जाने चाहियें तो मैं यह बात स्वीकार कर ली होती। परन्तु जिस रूप में उन्होंने यह बात कही है, वह बिल्कुल गलत है। जहां तक फास्फेटिक उर्वरक का सम्बन्ध है, योजनायें बनाई जा चुकी हैं और अधिकांश कारखाने मिश्रित उर्वरक तयार करेंगे। जहां तक फास्फेटिक तत्व अर्थात् पी० 205 के तत्व का सम्बन्ध है, दस लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य 1971 तक सुनिश्चित हो जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विवरण से पता चलता है कि सिद्धान्त रूप से स्वीकृत कारखानों में से एक कानपुर में है। क्या यह वह कारखाना है जिसके सम्बन्ध में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है कि विदेशी सहयोग के साथ बनने वाला यह कारखाना सब से बड़े कारखानों में से एक होगा। यदि हां, तो दोनों सम्बन्धित पक्ष कौन से हैं, यह इस समय किस स्थिति में है और किस आधार पर इसको स्वीकार किया गया है ?

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य का विचार ठीक है। इम्पीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ इस कारखाने को गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करेगी। इसमें नाइट्रोजन की उत्पादन क्षमता 225,000 मीट्रिक टन होगी।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि दोनों ओर के पक्ष कौन से होंगे अर्थात् वैदेशिक तथा भारतीय सहयोगी कौन से होंगे।

श्री अलगेशन : इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ ने प्रस्ताव किया है कि उन की कार्य कर रही कम्पनी अर्थात् इन्डियन एक्सप्लोसिवज़ लिमिटेड इस परियोजना का आरम्भ करेगी। भारतीय अंश 49 प्रतिशत होंगे और इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ का स्वयं 51 प्रतिशत अंश लेने का विचार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने भारतीय पक्ष का नाम पूछा है। मैं जानता हूं कि इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज़ फैक्टरी है और वह इम्पीरियल कैमिकल इण्डस्ट्रीज़ की कम्पनी है।

श्री हुमायून कबिर : ऐसे तो कोई भारतीय साथ नहीं है। जसा कि हमने कहा है, यह गर-सरकारी क्षेत्र में है। इसलिये बाज़ार में अंश बिकेंगे अगर सैकड़ों भारतीय खरीदने वाले होंगे।

Shri K. N. Tiwary : Whether it is a fact that those factories could not come up due to the difficulty of foreign exchange during the Third Five Year Plan. If so, the steps being taken to remove this difficulty during the Fourth Five Year Plan?

श्री हुमायून कबिर : निस्संदेह, यह भी एक कारण है। जैसा कि मैंने पहले बताया है और जैसा कि मेरे सहयोगी ने विस्तारपूर्वक बताया है, यह एकमात्र कारण नहीं है। हम चौथी योजना के दौरान देश के अन्दर उर्वरकों के उत्पादन के लिय उच्चतम प्राथमिकता की मांग करके विदेशी मुद्रा की कमी न रहने देने के लिए पूर्वोपाय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या देश में निर्मित उर्वरकों को सहायता-प्राप्त मूल्यों पर, जो कि आयातित उर्वरक पर लागत के समान हों, बेचने का कोई प्रस्ताव है।

श्री अलगेशन : पहले ही ऐसा प्रबन्ध है। नाइट्रोजनयक्त उर्वरक केन्द्रीय संग्रहके माध्यम से बेचे जाते हैं। यह मूल्य देश में उत्पादन लागत तथा आयातित मूल्य के बीच का मल्य है। इसलीए अब भी आर्थिक सहायता का कुछ तत्व है। अधिक आर्थिक सहायता देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि क्या योजना मंत्री ने, जो हाल ही में पूर्वी यूरोपीय देशों में गये थे, वापिस आने के बाद यह वक्तव्य दिया है कि आस्ट्रिया तथा हंगरीने भी इस देश में उवरक कारखाने स्थापित में रुचि दिखाई है परन्तु अभी प्रस्ताव तैयार किये जाने हैं? यदि हां, तो क्या उन से प्रस्ताव प्राप्त हो गए हैं अथवा इस बातचीत से कोई निश्चित प्रस्ताव तैयार किया गया है?

श्री हुमायून कबिर : अभी कोई निश्चित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हूए हैं। मैं नहीं कह सकता कि क्या मेरे सहयोगी ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया था। इस सम्बन्ध में प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिये।

Shri Bibhuti Mishra : In reply to Shri Tiwary's question, the Minister just now stated that production in the fertiliser plant at Barauni will begin with Soviet collaboration by 1971-72. He has assured that it will be in Barauni but the people of Bihar doubt the intentions of the Minister and fear that the factory will be set up in Haldia and not in Barauni and that is why he is mentioning the year 1971-72. Is the Minister is prepared to make a categorical statement that the fertiliser factory will be set up in Barauni?

श्री हुमायून कबिर : मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मेरे माननीय मित्र ने नीयत का प्रश्न उठाया है। नीयत का कोई पता नहीं लगा सकता है। कार्यवाहियां सिद्ध की जा सकती हैं और सरकार का आश्वासन है कि बरौनी कारखाने की स्वीकृति हो गई है। केवल तिथि का प्रश्न विचाराधीन है।

Shri Tulshidas Jadhav : Instead of setting up nitrogenous fertiliser factory, have the Government tried to find out whether there is any such thing with the villagers from which they can themselves produce the manure? Have the Government made any such arrangements?

श्री हुमायून कबिर : माननीय सदस्य कुछ जानकारी दे रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-सरकारी पक्ष कुछ तरीका काम में लाकर कुछ ऐसा ही वस्तु निर्माण करते हैं जो नाइट्रोजनी उर्वरकों से मिलती-जुलती है। इस सम्बन्ध में सूचना मिलने पर मुझे काफी हर्ष होगा।

श्रीमती रेणुका राय : हल्दिया स्थित कारखाने में काम कब से आरम्भ हो जायेगा, और क्या विदेशी मद्रा का स्थिति के कारण किसी नये एकक का कार्य रोकना पड़ रहा है अथवा किसी परिस्थिति में इन्हें कोई प्राथमिकता दी जा रही है?

श्री हुमायून कबिर : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। जहां तक हल्दिया का सम्बन्ध है, यह उद्योग-समूह का एक भाग है, उद्योग-समूह में उत्पादन आरम्भ होने पर, उर्वरक -कारखाने में भी उत्पादन-कार्य आरम्भ हो जायेगा, मोटे तौर पर शोधन-कारखाने के बनने के लगभग एक वर्ष बाद।

श्री बासप्पा : क्या मैसूर से वहां किसी नये उर्वरक कारखाने को चालू करने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

श्री हुमायून कबिर : हम मैसूर मे एक उर्वरक कारखाना बनाने के लिये काफी प्रयत्नशील हैं और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श जारी है ।

\+ **कोरबा में उर्वरक कारखाना**

182. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्रीमती बिमला देवी :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री दाजी : **श्री चांडक :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री 7 अप्रेल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 771 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोरबा में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने के परियोजना प्रतिवदन पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख) : ईस प्रस्ताव को छोड़ देने का फैसला हुआ है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या यह सच है कि सरकार कोरबा में एक सरकारी कारखाना चालू करने वाली है और इस प्रयोजन के लिये उसने कोरबा में पहले ही लगभग एक करोड़ रुपये खर्च कर दिये हैं ? इस प्रस्ताव को रद्द किये जाने के क्या विशिष्ट कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : क्या मैं अपने सहयोगी के उत्तर में थोड़ा सा अदल-बदल कर सकता हूं ? उत्तर यह होना चाहिये कि इसे "इस समय छोड़ दिया गया है", मैं समझता हूं कि उनका ऐसा विचार किसी अन्य कारखाने के बारे में है । संभवतः उनका ध्यान इस ओर नहीं गया है । हम इसका निर्माण इसलिये स्थगित कर रहे हैं कि ऐसा सुझाव दिया गया है कि यदि कोरबा में और बड़ा कारखाना स्थापित किया जाये, तो आर्थिक दृष्टि से वह कम खर्चीला हो सकता है, इस बारे में और अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है । सरकार का वर्तमान दृष्टिकोण यह है कि जब तक हम 20 लाख टन की क्षमता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हम कोरबा के प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे । उक्त क्षमता प्राप्त किये जाने के पश्चात ही इसकी जांच की जायेगी ।

जहां तक खर्च का सम्बन्ध है मेरा विश्वास है कि स्थापना स्थान को तैयार करने में 60-70 लाख रुपये की बीच की रकम खर्च की गई है । इस स्थान का उपयोग ही किसी भी प्रकार के कारखाने के लिए हो सकता है । केवल उर्वरक कारखाने के लिये अब तक इससे ज्यादा कोई भी धन राशि खर्च नहीं की गई है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोरबा में स्थापित किये जाने वाले कारखाने जिसे स्थगित कर दिया गया था, की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या यह कोयले पर आधारित होगा और क्या कोई समिति इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रही है कि सरकारी क्षेत्र में इस कारखाने का विस्तार किया जाये अथवा वहां एक और बडा संयंत्र स्थापित किया जाये ?

श्री हुमायून कबिर : मैंने अभी कहा है कि जब कारखाने की क्षमता 20 लाख टन हो जायेगी, तब इस पर विचार करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The Hon. Minister has just now stated that about a crore of rupees have been spent on this. I want to know the reasons as to why this proposal has been dropped?

Mr. Speaker : Just now he has stated this.

श्री हुमायून कबिर : इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्पादन पर अब खर्चा अधिक होता है मैं समझता हूं कि मैंने एक बार पहले भी इसका उस समय उत्तर दिया था जब मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यें करीब-करीब एक क्रान्ति हुई है और अब उत्पादन के लिए कोयला आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं रहा ।

Shri Bade : Hon. Minister has just now stated that Rs. 60-70 Lakhs have been spent but I have the information that Rs. one crore have already been spent and some construction work has also been done. I want to know that how you will utilise those buildings which has already been constructed?

श्री हुमायून कबिर : जैसा मैंने अभी बताया, यह धनराशि 60–70 लाख रुपये है, न कि 1 करोड़ । फिर भी, 60 लाख रुपये की यह रकम काफी बड़ी है और हम नहीं चाहते कि यह रकम बर्बाद चली जाये । इसी लिए इस मामले की जांच की जा रही है । मैं निश्चित रूप से तो नहीं कह सकता, किन्तु समझता हूं कि वर्तमान प्रस्ताव यह है कि उस क्षेत्र में जो काफी बड़ा एलुमिनियम संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है ।

श्री बड़े : वह अन्य दूसरी ओर है ।

श्री हुमायून कबिर : संयंत्र को बढ़ाया जा सकता है । फिर भी हमने यह सिफारिश की है कि उस स्थान का उपयोग किया जाये । चौथी योजना में किसी एक नई परियोजना को वहाँ स्थापित किया जायेगा ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या इस प्रस्ताव को इस समय स्थगित कर देने का मुख्य कारण यह है कि सरकार का विचार उर्वरक कारखाने में कोयले का प्रयोग न करके अपितु नेफ्ता का प्रयोग करने का है ।

श्री अलगेशन : इस समय हमारे पास नेफ्ता फालतू पड़ा हुआ है । यह भी होता है कि नेफ्ता से बताया गया उर्वरक मूल लागत खर्च तथा उत्पादन लागत खर्च दोनों की दृष्टि से काफी अधिक सस्ता पड़ता है । अतः जहां तक हमारे लिए ऐसा करना संभव हो, उर्वरक संयन्त्रों में नेफ्ता का ही प्रयोग करना ठीक होगा ।

श्री रंगा : आपने इमारतों पर पहले ही 70 लाख रुपये बर्बाद कर दिये हैं ।

दुर्गापुर उर्वरक कारखाना

*183. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
डॉ० पू० ना० खां :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दुर्गापुर उर्वरक कारखाने के डिज़ाइन तथा निर्माण के लिये टेण्डर प्राप्त हुए हैं :

(ख) यदि हां, तो किन देशों से ;

(ग) जो कुटेर्शस (लागत विवरण) सरकार को प्राप्त हुए हैं और स्वीकार किये गये हैं उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) कार्य कब आरम्भ होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय मे राज्य मंत्री(श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) और : (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) परियोजना के लिए यू० एस० ऐड (U. S. AID.) की सहायता मिलने की आशा है और ज्योंहि इस की मंजूरी आयेगी, प्लांट तथा मशीन के लिए आदेश दिये जायेंगे। परियोजना स्थल के लिए प्रारम्भिक कार्य को हाथ में लिया गया हैं।

श्री स० चं० सामन्त : क्या मैं प्रश्न संख्या 181 के उत्तर का उल्लेख कर सकता हूं जिसमें यह कहा गया है कि दुर्गापुर कारखाने का निर्माण हो रहा है ? इस समय क्या प्रारम्भिक कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री अलगेशन : प्रारम्भिक काय के लिए पहले ही 50 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की जा चुकी है, निर्माण संबंधी कार्यों में बिजली, पानी, स्थापना स्थान कार्यालयों तथा संचार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था को गई है। अन्य सुविधाओं सम्बन्धी कार्य चल रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : इसके लिए सामान मंगाने के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी और उसकी कैसे व्यवस्था की जायेगी।

श्री अलगेशन : अब यह अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना पर कुल खर्च 40 करोड़ 68 लाख रुपये आयेगा जिस में से 17 करोड़ 4 लाख रुपये के मूल्य की विदेशी मुद्रा व्यय होगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह बात सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि इस कारखाने में अन्य कारखानों की भांति उत्पादन पर लागत खर्च बहुत ज्यादा न आने पाय ? जब यह पूरी तौर पर चलने लगेगा, तब कुल उत्पादन कितना होगा ?

श्री अलगेशन : इसमें नाइट्रोजन का कुल उत्पादन 125,000 टन होगा। अन्तिम उत्पादों के रुप में 5,60,000 टन एमोनियम फास्फेट/सल्फेट तथा 55,000 टन यूरिया होगा।

जहां तक लागत-खर्च में कमी करने का सम्बन्ध है, हम इस प्रयोजन के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सल्फर की कमी है। अतः हमें पाक्षिक (पाइराइट) को काम में लाना पड़ेगा, जब यह कारखाना तैयार हो जायेगा, तो लागत खर्च कुछ बढ़ जायेगां।

डा० रानेन सेन : क्या इस दुर्गापुर उर्वरक संयन्त्र का निर्माण किसी विदेशी सहयोग से हो रहा है ? यदि हां, तो वह देश कौन है ?

श्री अलगेशन : सभवतः माननीय सदस्य ने मुख्य उत्तर ध्यान से नहीं सुना। हमने यह कहा है कि इसमें कोई विदेशी सहयोग नहीं लिया गया है। हमने यह परियोजना यू० एस० एस०) की सहायता के अंतिम बनाया है।

श्री बासप्पा : यहीं प्रश्न मैं पूछना चाहता था कि यू० एस० एस० क्या है.....

अध्यक्ष महोदय : तब उन्हें इसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : इस कारखाने में कब से उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

श्री अलगेशन : हमारा अनुमान यह है कि विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होते ही हम इस परियोजना को 30 महिने अधिक से अधिक 36 महिने की अवधि के भीतर ही पूरा कर लेंगे।

Chinese and Pakistan activities on the borders

*184. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri M. R. Krishna :
Shri Bagri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistani and Chinese spies have been found in large number in border areas of India in recent months;

(b) if so, whether some of them have also been arrested up to the end of July, 1965; and

(c) whether it is also a fact that they had a major share even in smuggling?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) No Sir;

(b) Some arrests have been made on suspicion and thorough inquiries are made into all these cases. Where required, suitable use is made of rule 30 of the Defence of India Rules.

(c) some of the persons have been found to indulge in smuggling.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether it is a fact that Pakistani spies have already come in large number to our border areas and they had constructed roads etc., with a view to facilitate the entry of the Pakistanis infiltrators before they entered into Kashmir in a very large number recently?

Shri L. N. Mishra : We received a number of informations which were quite correct and we faced them on the basis of the same. So far as the main roads or paths are concerned, I would not like to say anything about them. But what I want to say is that we recieved quite a good deal of correct informations from that Department.

Shri Prakash Vir Shastri : It has been stated in the main answer that some persons have been found doing smuggling there. I want to know particularly the names of those borders of India where these smuggling activities are going on; and whether some persons have been arrested or also punished in this connection?

Shri L. N. Mishra : These are three States namely; Assam, Punjab and West Bengal where people are particularly active in smuggling activities. 33 persons were arrested in Assam and out of them some were Chinese, 17 were Pakistanis and unfortunately there were some Indians also. 35 peoples including 20 Pakistanis have been arrested in Punjab. Another 18 persons have been arrested. Out of them 12 are proffessional smugglers.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : May I know whether Government is in a position to state whether the High powered committee constituted by them to appoint intelligence personnels at all levels comprised some communal elements having sympathy towards foreign countries?

Shri L. N. Mishra : There is absolutely nothing like that.

Shri M. L. Dwivedi : May I know whether the Ministry is aware of the fact that some spy-transmitters are in operation in certain areas like one in the vicinity of Jhansi ? If so, whether efforts are made by their Ministry to locate the places of their operations and if not, the reasons therefor?

Shri L. N. Mishra : The hon. Member had raised this question on a previous occasion also. We instituted an enquiry and came to know that no such case came to our notice.

श्री स० चं० सामन्त : दार्जिलिंग जलपाइगुड़ी तथा कूचबिहार के सीमान्त जिलों में कितने जासूस पकड़े गये तथा उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया ?

श्री ल० ना० मिश्र : 1962 में चीनी आक्रमण के समय से लेकर बंगाल में कुल 42 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। 54 व्यक्ति ऐसे पकड़े गये हैं जो पाकिस्तान की ओर से जासूसी कार्यों में जुटे हुए थे । पांच व्यक्तियों को दंड दिया गया था, तीन नजरबन्द कर लिये गये तथा एक रिहा कर दिया गया। 12 व्यक्तियों के मामले न्यायाधीन हैं। एक मामले की, जिसमें तीन व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं, जांच की जा रही है।

श्री मं० रं० कृष्ण : : क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि जम्मू तथा काश्मीर में कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान के एजेन्ट हैं, उन्हें केन्द्रीय गुप्तवार्ता अभिकरण की ओर से भी वेतन दिया जाता है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे देश में तैनात कुछ राजनयिक मिशन, जिनके बारे में ऐसा अनुमान है कि उनके तीन तथा पाकिस्तान के साथ काफी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं, देश में चोरी छुपे जासूसी गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और ऐसे समाचार मिले हैं कि काश्मीर में जासूसी काम के लिए ब्रिटिश नवयुवतियों को छोडा गया है—अखबारों में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने हमारे देश में स्थित विदेशी मिशनों की जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : ऐसा कहा जा सकता है कि विदेशी मिशनों से ऐसी गतिविधियों की आशा नहीं की जाती है, जब कभी ऐसी बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया जाता है, तो हम उचित कार्यवाही करते है। जहां तक काश्मीर में जासूसों को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है, मैंने पहले बता दिया है कि कुछ लोग गिरफ्तार किये गये हैं। हमने समाचार पत्र में प्रकाशित इस कहानी की सचाई मालूम करने का प्रयत्न किया और मालूम हुआ कि यह सच नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या लड़कियां सुन्दर नहीं थी ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह मालूम करना चाहते हैं कि क्या वहां लडकियों को छोड़ा नहीं गया है तथा क्या वे सुन्दर नहीं हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : जहां तक वहां लड़कियों को छोड़ा जाने का सम्बन्ध है, मैंने यह कहा कि यह बात सच नहीं है ।

श्री बसुमतारी : उपमंत्री महोदय ने यह उत्तर दिया कि आसाम में तोड़-फोड़ करने वाले तथा घुस पैठिये लोग मौजूद हैं । काश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए आसाम में भी ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न का सम्बन्ध जासूसों से है और सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं, हम सावधान हैं ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : काश्मीर में हाल ही की घटनाओं को आधार पर हमें जो खेदपूर्ण अनुभव हुआ है उस संदर्भ में, सरकार ने पूर्वी सीमान्त क्षेत्र में, जो 1,000 मील तक फैला हुआ है, वास्तव में एक प्रभावी, तथा कार्यकुशल तथा जागरूक गुप्तवार्ता विभाग स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : क्या व्यवस्था की गई है, यह तो बताना संभव नहीं होगा, किन्तु हमारा गुप्तवार्ता विभाग विश्व के किसी देश की अपेक्षा कम अच्छा नहीं है, उन्होंने बहुत ही कुशलता से काम किया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is a fact that during the last few months, the espoinage activities of Pak and Chinese spies in the eastern states of India such as Assam, Bengal and Bihar are persistantly increasing; and if not, whether the starvation deaths occurred recently in Bihar was not a result of the activities of the Pak and Chinese spies?

Shri L. N. Mishra : It is correct to say that the mishaps which took place in Bihar were not as a result of the starvation, there, of course, existed some elements which have already been reported to by the hon. Member.

श्री स्वैल : माननीय उपमंत्री महोदय ने अभी कहा कि हमारा गुप्तवार्ता विभाग विश्व के किसी भी ऐसे विभाग की अपेक्षा कम अच्छा नहीं है, वह इस तथ्य के समर्थन में कैसे कहते हैं कि पाकिस्तानी घुसपैठियों की काश्मीर में उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना गुप्त वार्ता विभाग ने नहीं अपितु स्वयं काश्मीरी लोगों ने दी थी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह पूर्णतः गलत है । कई महिने पहले से, जो कुछ भी वहां किया जा रहा था, जो तैयारी की जा रही थी—जितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, और जिस प्रकार के हथियारों में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, यह सब सूचना हफ्तेबार तथा दिन-वार प्राप्त हो रही थी, अतः उनकी तयारी तथा उसके आकार तथा उनके इरादे के बारे में सभी प्रकार की पूरी सूचना मिलती जा रही थी ।

Shri Sarjoo Pandey : I want to know whether any action is being taken against these elements, in addition to these spies, like Shri J. J. Singh and others who propagate in India itself that Kashmir should go to Pakistan?

Shri L. N. Mishra : We are in the know of these facts and it is very unfortunate. We have gone through their reports and speeches.

श्री रंगा : गृह-कार्य मंत्री महोदय ने अभी अभी हमें काफी जानकारी देकर कृतार्थ किया है। क्या यही कारण है जिससे 5,000 से भी अधिक घुस पठिये हमारे राज्यक्षेत्र में बिना किसी प्रतिरोध के प्रवेश कर गये और जिन्हें न तो पकड़ा गया और न घुसने से पहले हटाया ही गया ?

श्री नन्दा : इन सभी बातों का स्पष्टीकरण देने में कुछ और समय लगेगा और वास्तव में विरोधी पक्ष के सभी नेताओं के साथ हुई एक बैठक में, मैंने यह स्पष्टीकरण कर दिया था कि ऐसी बात कैसे हो सकती है तथा कैसे हुई है। जो कुछ हो रहा था उसके बारे में जानकारी थी और उसका मुकाबला करने के लिए उचित उपाय काम में लाये गये थे।

श्री हरि विष्णु कामत : ये प्रतिवेदन गुप्तवार्ता विभाग से प्राप्त हुए हैं अथवा अन्य किसी प्रकार से कि गत कुछ महिनों में भूटान में चीनी एजेन्ट तथा जासूस बड़े पैमाने पर घुस आये हैं और यदि हां तो भूटान में ऐसे जासूस तथा विध्वसालद कार्यों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमने ऐसे समाचार सुने हैं और इस बारे में हम सतर्क एवं सावधान है।

श्री हरि विष्णु कामत : उपमंत्री महोदय की आवाज नहीं सुनाई दे रही है।

Shri Daljit Singh : Is it a fact that apart from other things it has been reported in the newspapers that goods are being smuggled through the India-China border into India and sold in the markets of Kanpur, Lucknow and Calcutta, if so, the action taken in this regard?

Shri L. N. Mishra : It is a fact that some Chinese goods have been found in Indian markets and we have tried to stop these things.

श्री पें० वेंकटासुबय्या : क्या सरकार का ध्यान एक विधान सभा के सदस्य द्वारा आन्ध्र की विधान सभा में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जासूस है जिनका पाकिस्तान के लोगों के साथ गहरा संपर्क है, और यदि हां तो तथ्यों का पता लगाने के लिये क्या कोई जांच की गई है ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमें माननीय सदस्य से जानकारी मिल रही है।

श्री हरि विष्णु कामत : माननीय मंत्री ने किसी चीज़ पर निगरानी रखने के बारे में कहा .....

श्री ल० ना० मिश्र : मैं ने कहा कि हम होशियार हैं।

श्री जसवन्त मेहता : माननीय मंत्री ने हमारी सूचना सेवाओं का मुकाबिला विदेशों की सेवाओं से किया। काश्मीर के अनुभव के बाद काश्मीर में हमलावरों को रोकने के लिये सैनिक गुप्तसूचना के साथ समन्वय के लिये क्या कदम उठाये गये ह ताकि भविष्य में ऐसी बातें न हों ?

श्री नन्दा : इस मामले में भी गुप्त सूचना विभाग और जानकारी के विभिन्न अभिकरणों में पूरा समन्वय था।

Shrimati Subodra Bai Rai : Is it a fact that some women of East and West Pakistan have been caught here spying, if so, the number thereof ?

Shri L. N. Mishra : We do not have such information. I would like to seek her help in this matter.

विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता

*185. **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को रोकने के लिये शिक्षा तथा गृह-कार्य मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों के संयुक्त दल ने किसी योजना का प्रारूप पेश किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हेम बरुआ : यह देखते हुए कि इस देश में विद्यार्थियों मे अनुशासनहीनता इतनी बढ़ गई है कि हाल ही में बिहार में कुछ विद्यार्थियों ने, जैसा कि समाचार या, राष्ट्रीय ध्वज को भी नीचे खेंच लिया यह बहुत आपत्तिजनक बात है– और आज स्टेट्समेन में एक पत्र छपा है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाउंगा– इन सब बातों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं अपने माननीय मित्र की इस बात से सहमत हूं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है जो बहुत चिंताजनक है । गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिवों का एक संयुक्त एकक कुछ निर्देशपदों के साथ अनुशासनहीनता के प्रश्न पर विचार करने के लिये स्थापित किया गया है । शिक्षा मंत्रालय में अनुशासन हीनता के कार्यों से संबंधित सामग्री के इकट्ठा करने, जांच करने और प्रस्तुत करने के लिये एक विशेष सेवा विभाग भी स्थापित किया है । जैसा कि मेरे माननीय मित्र जानते हैं मुख्य मंत्री सम्मेलन में कुछ सिफारिश की गई थी जिन पर अमल किया जा रहा है । और 5 और 6 जून को शिक्षा मंत्री सम्मेलन में भी कुछ सिफारिशें की गई थीं जिन्हें मंत्रालय क्रियान्वित करने का प्रयत्न कर रहा है ।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं सरकार का ध्यान इस आलोचना की ओर दिला सकता हूं कि उपकुलपतियों को पर्याप्त शक्तियां नहीं दी जाती हैं – जो विश्वविद्यालय स्वायताशासी हैं उनके संबंध में और संस्थाओं के प्रमुखों को भी ताकि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को रोका जा सके और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य पर विचार किया है और कुछ करने का प्रबन्ध किया है अथवा क्या सरकार इसके संबंध में कुछ करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा मंत्रालय के रास्ते में दो कठिनाई हैं। पहली तो यह कि किसी राज्य का विषय है; दूसरे यह कि प्रत्येक विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय है, और यह बात प्रत्येक उपकुलपति पर निर्भर करती है कि कितनी शक्ति का इस्तेमाल किया जाये और किस प्रकार किया जाये। मैं इससे सहमत हूं कि यदि उपकुलपति दृढ़ और मजबूत हों तो अनुशासनहीनता के कम मामले आयेंगे परन्तु यह बात व्यक्तिगत उपकुलपति और विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या प्राधिकार ने यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि क्या विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता पैदा करने वाली परिस्थितियां एक राज्य दूसरे राज्य में अलग अलग होती हैं अपना एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अथवा क्या सारे देश में वह एक जैसी हैं ?

श्री मु० क० चागला : बहुत से मामले हैं, और मैं सारा दोष विद्यार्थियों को नहीं दे सकता। विद्यार्थियों में निराशा आगई है और आगे बढ़ने की भावना भी क्या हो गयी है इसी कारण विद्यार्थियों में अनुशासनता पैदा होती है नहीं वे नही जानते : कि बेकार समय में क्या करें। यह समस्या केवल यहां ही नहीं है; यह तो अमरीका और यूरोपीय देशों में भी है।

शहरी औद्योगिक सभ्यता के बढ़ने से हमारे लिए बड़ी कठिन परिस्थितियां पैदा होती जा रही हैं। विद्यार्थी शहर में सभी भागों से शहर के बाहर से आते हैं; उनका कोई घर नहीं है; वे नहीं जानते कि अपने खाली समय में क्या करें। इसलिये हम अधिक होस्टिले और छात्रावास बनाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रंगा : और अधिक धन।

श्री मु० क० चागला : जी हां, इस समय केवल 18 प्रतिशत छात्रावासों में हैं। हम ने आंकड़े तैयार कर लिये हैं। यदि हम 25 प्रतिशत चाहते हैं तो इसपर 125 करोड़ रु० लागत आयेगी। अतः समस्या संसाधनों की ही है, और मेरे माननीय मित्र ने कहा, धन।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुशासनहीनता का प्रश्न केवल संरक्षकों और अध्यापकों द्वारा ही प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सकता है, संरक्षों को राशन की दुकानों पर कतार में न खड़ा किया जाये और अध्यापकों को दिल्ली की गलियों में न चलाया जाये क्योंकि उनको पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता है इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मु० क० चागला : हम संरक्षक अध्यापक संस्थाएं स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि संरक्षकों और अध्यापकों में अधिक सहयोग हों। दूसरी और समस्या भी है। अनेक विद्यार्थियों का घरेलू जीवन अच्छा नहीं होता है और अनुशासन तब ही हो सकता है जब मातापिता अपने बच्चों के लिये आदर्श बनें।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का एक बडा कारण कुछ राजनीतिक दलों और पाश्चात्य सिनेमाओं—जो कि दोपहर से रात के 12 बजे तक चलते हैं—का हानिकारक प्रभाव है ?

श्री मु० क० चागला : मैं पहले भाग से सहमत हूं शिक्षा में बहुत अधिक राजनीति है। मैं ने यह बात इस सभा में प्राप्त सही है और हमें राजनीति को विश्वविद्यालयों और शिक्षा से बाहर रखना चाहिये। मैं सभी दलों के सदस्यों से अपील करता हूं कि भगवान

के लिये विश्वविद्यालयों और विद्यार्थियों को अकेला छोड़ दो, उनपर तजर्बा मत करो। यह बात एक दल पर लागू नहीं होती; सभी दलों पर लागू होती है। जहां तक सिनेमाओं का संबंध है सभ्यता के लिये हमें यह कीमत चुकानी है। मैं मानता हूं कि प्रायः सिनेमा का बुरा असर पड़ता है। परन्तु अच्छे चित्र भी होते हैं और बुरे भी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या शिक्षा मंत्रालय ने आदर्श विश्वविद्यालय अधिनियम का खाका तैयार कर लिया है और क्या इसके कुछ उपबन्धों को राज्य सरकारों के कानूनों में नियमित कराने के लिये इस अधिनियम को विभिन्न राज्य सरकारों को परिचालित कर दिया गया है और कितनी राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया प्रकट की है ?

श्री मु० क० चागला : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों के लिये एक आदर्श विधेयक पर अभी एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया है। वह प्रतिवेदन मैंने सभी राज्यों को प्रचालित कर दिया है। बनारस विश्वविद्यालय जब दोनों सदनों द्वारा पास हो जायेगा तो मैं चाहता हूं कि इसकी भी एक प्रति परिचालित की जाये। उस विधेयक में अधिक से अधिक नये विचार रखने का प्रयत्न करूंगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिवेदन पहले से ही परिचालित कर दिया गया है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या सरकार यह समझती है कि कुछ विश्वविद्यालयों का साम्प्रदायिक स्वरूप, जैसे कि बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय और अलीगड मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि नाम से जाहिर है, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का प्रायः बड़ा कारण होता है और यदि हां, तो क्या सरकार इस नाम को हटाने पर विचार कर रही है ताकि सभी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्वरूप का द्योतक बनें ?

श्री मु० क० चागला : जब बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय विधेयक प्रवर समिति के विचाराधीन था तो मैं ने यह बात सदस्यों के निर्णय पर छोड़ दी की क्या उनको "हिन्दु" नाम हटा देना चाहिये। थोडे से बहुमत से प्रवर समिति ने यह निर्णय किया कि नाम रहना चाहिये। मामला यहां आयेगा। मैं आदेश देना नहीं चाहता। शैक्षणिक, राजनीति, राष्ट्रीय आधारों पर निर्णय करने के लिये क्या नाम रखना चाहिये अथवा नहीं मैं इसको सभा पर छोड़ता हूं। जब यह विधेयक आयेगा तो सभा को यह निर्णय करना होगा।

Shri Yashpal Singh : The Mudaliyar Committee observed in its report that the students do not have confidence about their employment and therefore they are always frustrated. Can this frustration be removed by imparting religious education and if so, the steps taken for that ?

श्री मु० क० चागला : मैं नहीं समझता कि आर्थिक शिक्षा रोज़गार दिला सकती है। यह आपकी आत्मा को शांति भी दे सकती है आपके शरीर को नहीं।

Shri Sarjoo Pandey : Do Government think that private institutions are primarily responsible for indiscipline amongst students? Do Government propose to nationalise education in the near future?

श्री मु० क० चागला : हमारे विश्वविद्यालयों के 80 प्रतिशत विद्यार्थी कालेजों में हैं। अधिकांश कालिजों में कर्मचारियों की कमी है, उनके पास कोई प्रयोगशाला और अच्छा पुस्तकालय नहीं है, और समस्या का वास्तविक हल कालेजों के स्तर में सुधार करना है। जैसा कि श्री० रंगा ने कहा प्रश्न धन और संसाधनो का है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सिफारिश की है कि किसी भी कालज में 1,000 से अधिक विद्यार्थी नहीं होने चाहिये क्योंकि अध्यापकों और छात्रों में सम्पर्क होना चाहिये, परन्तु इस सुधार में धन और समय लगेगा।

श्री मुथिया : क्या सरकार भविष्य में विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल करने पर रोक लगाना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : हड़ताल चाहे अध्यापक करें चाहे विद्यार्थी बहुत गलत चीज़ है। मुख्यमंत्री सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था और शिक्षा मंत्री सम्मेलन ने इसका समर्थन किया था कि यदि कोई विद्यार्थी कानून तोड़ता है तो उसको दण्ड दिया जाना चाहिये। वह भी किसी अन्य नागरिक की तरह है। विश्वविद्यालय म विद्यासंबंधी स्वायत्तता होनी चाहिये। परन्तु जब विधि और व्यवस्था का प्रश्न आता है तो एक विद्यार्थी के साथ एक नागरिक जैसा ही सलूक किया जाना चाहिये और यदि वह कानून तोड़ता है तो उसे भी किसी अन्य नागरिक की तरह दण्ड दिया जाना चाहिये।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार इस से अवगत है कि कैन्टीन और वाचनालयों जैसी सुविधाओं की भारी कमी रही है और इस कारण विद्यार्थी कालेज में अपने खाली समय का समुचित उपयोग नहीं कर सकते ? इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री मु० क० चागला : मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कैन्टीन, वाचनालय और विद्यार्थियों के लिये हाल बनाने के लिये अनुदान देता रहा है। छोटे पैमाने पर वे इस काम को कर सके हैं। इसको एक बहुत बड़े पैमानेपर करना पड़ेगा। बात फिर वही संसाधनों पर आ पड़ती है।

श्रीमती अकम्मा देवी : कभी कभी आज्ञाकारी विद्यालयों को भी अनुशासनहीनता के रास्ते पर चलने के लिये मजबूर किया जाता है क्योंकि विद्यार्थियों के नेता उनको तंग करते हैं। क्या सरकार इसको जानती है और बेकसूर विद्यार्थियों को पूरा संरक्षण देगी ?

श्री मु० क० चागला : किसी भी जिम्मेदार सरकार का यह कर्तव्य है कि वह कानून भंग करने वालों के विरुद्ध कानून का पालन करने वाले नागरिकों को संरक्षण दे।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि हाल ही में कुछ विश्वविद्यालयों में जो उपकुलपतियों की नियुक्तियां की गई हैं वे बुद्धि और ज्ञान के आधार पर नहीं की गई हैं परन्तु इस आधार पर कि राज्य में उनका कितना राजनीतिक प्रभाव, है और यदि हां, तो क्या ये उपकुलपति स्वयं अनुशासन हीनता से भरे पड़े हैं ? यदि नहीं तो क्या सरकार इस बात का पता लगायेगा कि कितने उपकुलपति उनको बुद्धि और ज्ञान के आधार पर नियुक्त किये गये हैं और कितने राजनीतिक प्रभाव के कारण? सरकार मामले में क्या करना चाहती है ?

श्री मु० क० चागला : चार विश्वविद्यालयों को छोड़ कर जो कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं, उपकुलपति बहुत प्राय: शिक्षा मंत्री या मुख्य मंत्री की सलाह से कुलपतियों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ नियुक्तियां बहुत ही असंतोषजनक हुई हैं। वे बौद्धिक आधार पर बिलकुल भी नहीं की गई हैं। मैं यह भी मानता हूं कि जब तक अच्छा उपकुलपति नहीं होगा विश्वविद्यालय का अच्छा स्तर नहीं रखा जा सकता। परन्तु मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं। यह काम तो कुलपतियों का है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं भी आज़ाद के प्रश्न को लेता हूं और पूछना चाहता हूं कि क्या मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री ने इस मूल समस्या पर, जो कि अनुशासनहीनता के लिये जिम्मेदार है, कोई ध्यान नहीं दिया है ? क्या नये शिक्षा आयोग ने इस संबंध में कोई सुझाव दिया है अथवा वह लाचार है ?

श्री मु० क० चागला : मैंने इसपर काफी विचार किया है। मैंने गैर सरकारी तौर पर कुलपतियों को लिखा है। मैंने सुझाव दिया है कि राज्य के बाहर से उपकुलपतियों की नियुक्ति की जाये। परन्तु नियुक्त करने की शक्ति अन्त में कुलपति को ही प्राप्त है। हमारे पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अलबत्ता शिक्षा आयोग इसपर विचार करेगा।

सप्रू समिति का प्रतिवेदन

*186. **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री रा० बरुआ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में शिक्षा की समान पद्धति लागू करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) देश भर में एक समान पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के सम्बन्ध में क्या विश्वविद्यालय अनदान आयोग ने सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) ऐसी कोई योजना नहीं है, किन्तु जैसा कि 18 अगस्त 1965 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर में बताया गया था कि शिक्षा की समान पद्धति लागू करने के प्रयत्न किए गए हैं।

इस समय, यह सारा प्रश्न शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित शिक्षा आयोग के विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री रा० बरुआ : क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले विषयों पर कोई आदर्श पाठ्यक्रम जारी किये हैं और अध्यापन और अनुसन्धान के स्तर में सुधार करने के लिये कोई उपाय किये हैं ? यदि हां, तो ये आदर्श पाठ्यक्रम किन विषयों पर जारी किये जा रहे हैं।

श्री मु० क० चागला : जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक पुनर्विलोकन समिति नियुक्त की थी और उसने निम्न विषयों में आदर्श पाठ्यक्रम तैयार किये हैं : जीव रसायन, रसायन, गणित शास्त्र, जीव विज्ञान और अंग्रेजी। सामाजिक कार्य और पुस्तकालय विज्ञान संबंधी प्रतिवेदन छापे जा रहे हैं। आशा है कि अन्य विषयों पर प्रतिवेदन चालू वर्ष में प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

श्री रा० बरुआ : क्या यह आवश्यक नहीं है कि विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी का कुछ ज्ञान होना चाहिये और 'कोई' विषयों में निर्धारित ज्ञान होना चाहिये ?

श्री मु० क० चागला : जब विश्वविद्यालयों में अंग्रेज़ी शिक्षा का माध्यम है, यह आवश्यक है कि पाठ को समझने के लिये उनको अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान हो। इसलिये, अधिकांश राज्यों में विद्यार्थियों को हायर सेकेन्डरी स्कूल के अन्तिम वर्ष अथवा विश्वविद्यालय पूर्व के पाठ्यक्रम में, जैसा कि आप दक्षिण के कुछ राज्यों में देखते हैं, अंग्रेजी में गहन शिक्षा दी जाती है।

Shri Prakash Vir Shastri : Were the States asked to give the views on the proposition that the education upto the university standard should under the control of the Central Government or that the Central Government should take steps to have a uniform pattern of courses in the education upto the university standard, if so, the names of the States who have reacted in its favour of this suggestion as also of those who have expressed their disagreement?

श्री मु० क० चागला : जैसा कि मेरे माननीय मंत्री जानते हैं, हमारे पास सप्रू समिति का प्रतिवेदन आया था। उसने सुझाव दिया था कि शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया जाना चाहिये। अब तक केवल पंजाब ने इसपर सहमति प्रकट की है। अन्य राज्यों ने या तो उत्तर नहीं दिया है या इस प्रयास को अस्वीकार कर दिया है। मुझे विश्वास है कि यदि मैं संविधान में संशोधन करने के लिये विधेयक लाऊं तो संसद मेरा साथ देगी, हमें राज्यों का भी बहुमत चाहिये। पंजाब को छोड़ कर अभी कोई राज्य राज़ी नहीं हुआ है।

डा० सरोजिनी महिषी : हाई स्कूल, कालेज और तकनीकी शिक्षा के स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम लागू करने में सरकार किन कठिनाइयों का अनुभव कर रही है? इस समानता को लाने के लिये सरकार के पास क्या प्रस्ताव है?

श्री मु० क० चागला : स्कूल शिक्षा, और हायर सेकिंडरी शिक्षा की अवधि और विश्वविद्यालयों में आयु आदि के संबंध में विभिन्न आयोगों ने प्रस्ताव दिये हैं। कुछ राज्य इन प्रस्तावों को क्रियान्वित कर रहे हैं। कुछ राज्यों की रायें भिन्न हैं। जहां तक संभव होता है हम समानता ला रहे हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री उच्चतर शिक्षा को एक समवर्ती विषय बनाने के लिये सप्रू समिति की सिफारिश से सहमत हैं, क्या मंत्री महोदय इस वांछनीय प्रतिवेदन पर अपने दल के द्वारा मुख्य मंत्रियों की सहमति प्राप्त करने के लिये अखिल भारतीय स्तर पर एक राजनीतिक प्रयास करेंगे?

श्री मु० क० चागला : मैं प्रयत्न करता रहा हूं। जब भी मैं राज्यों में जाता हूं मैं मुख्य मंत्रियों अथवा शिक्षा मंत्रियों को बताता हूं कि यह राष्ट्रीय हित में है कि शिक्षा को एक समवर्ती विषय होना चाहिये। परन्तु मेरी मनाने की शक्ति काफी नहीं है और पंजाब को छोड़ कर मुझे अभी सफलता नहीं मिली है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री इससे अवगत है कि उत्तर प्रदेश में अभी तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम भी लागू नहीं किया गया है जिसे कि सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो क्या केन्द्र उत्तर प्रदेश को इस एक समान नीति को स्वीकार करने के लिये अनुदेश देगा?

श्री मु० क० चागला : मुझे खेद है कि उत्तर प्रदेश और एक या दो अन्य राज्यों ने, जिनमें मेरा अपना राज्य भी शामिल है—बम्बई विश्वविद्यालय—तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं किया है। बम्बई के शिक्षा संबंधी कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश ने वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा नहीं किया है। ऐसा करने की वांछनीयता के बारे में वे सहमत है, परन्तु वे कहते हैं कि इन्टरमीजियेट कालेजों की वर्तमान पद्धति बदलने के लिये उनके पास पैसा नहीं है क्यों कि इसके लिये काफी धन चाहिये।

श्री कृष्णपाल सिंह : यह देखते हुए कि उच्चतर शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इसकी प्रगति के मार्ग में कठिनाइयां हैं, क्या माननीय मंत्री उच्चतर शिक्षा को केन्द्र के हाथ में देने के लिये संविधान में संशोधन करने पर विचार करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। केवल संसद में ही संविधान का संशोधन करना काफी नहीं है। संविधान द्वारा यह अपेक्षित है कि आधे से ज्यादा राज्य इसपर सहमत हों।

राजनैतिक प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की प्रक्रिया

*187. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री राम हरख यादव :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिये व्यवस्था तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : सदन के सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

माननीय सदस्य का ध्यान 5 मई 1965 को तारांकित प्रश्न संख्या 1196 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। वह उत्तर इस प्रकार था :—

"गृह मंत्रालय की मांगों पर हुई बहस का उत्तर देते हुए 27 अप्रैल, 1965 को गृह मंत्री ने इस समस्या के प्रति सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट किया था।

संसदीय जांच नियुक्त करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही।"

Shri Yashpal Singh : Sir, this question is very important question.....

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : पिछले सप्ताह 18 अगस्त 1965 को एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि एक समिति नियुक्त कर दी गई है और एक उपसमिति संसदीय जांच आयुक्त के कामों के बारे में ब्यौरेवार विचार कर रही है। अब इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि सरकार ऐसी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। यह बहुत गैर-जिम्मेदार और अनियमित सा उत्तर है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह प्रश्न राजनतिक प्राधिकार प्राप्त व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है। जैसे कहा गया है इस पर विचार हो रहा है। मैंने इस का उल्लेख किया था और मैंने उसका उत्तर दे दिया। इस बारे में कोई नई बात नहीं हुई है। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है उस पर विचार होना चाहिये। मैं मंत्रियों के बारे में कह रहा था क्योंकि वही विषय था **(अन्तर्बाधायें)**

Shri Yashpal Singh : The M. L. A.s of Orissa had demanded judicial enquiry against Shri Biju Patnaik and Shri Biren Mitra after the discussion in this House. What is being done in that?

Mr. Speaker : You are referring to irrelavant things. You can put supplementary question regarding the question before us.

Shri Yashpal Singh : People say that when Congress Ministers indulge in corruption, the work of investigation should not be entrusted to Congress Ministers and this work should be done by High Court judges. I want to know as to what is being done by the Home Minister in this regard?

Shri Nanda : I gave answer to this and I repeat the same again. We are introducing some changes in the existing procedure. Arrangements would be made for independent enquiry. This I have already said and I say again.

(24-8-65 को उत्तर दिए गए अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1 के बारे में)

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय गृह-कार्य मंत्री, श्री गोपालन के स्वास्थ्य के बारे में और जानकारी देना चाहते हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : जी हां। श्रीमान, मैंने विशेष पूछताछ की है और सरकार से कहा है कि श्री गोपालन के स्वास्थ्य की जांच करायी जाये। जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार श्री गोपालन को त्रिवेन्द्रम के मेडिकल अस्पताल में ले जाया गया है। वहां चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। डा० नारायण पाई, जो हृदयरोग विशेषज्ञ है, को विशेष रूप से श्री गोपालन के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिये भेज दिया है। वह उन का निरन्तर ध्यान रख रहे हैं। श्री गोपालन अभी भी इलाज से इन्कार कर रहे हैं और केवल पानी पीते हैं। अन्य बन्दीगण जो अनशन किये हुए हैं की हालत सामान्य है। श्रीमान यह स्थिति है और कोई विशेष बात नहीं है। हां, यह बढ हुए ब्लड प्रेशर की बीमारी है। और सभी सम्भव उपाय किये जा रहे हैं कि उन का स्वास्थ्य न बिगड़े।

श्री मुहम्मद इलियास : आप उन्हें रिहा क्यों नहीं करते ? क्या उन्हें जल म ही मारना चाहते है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति। यह प्रश्न करने का तरीका नहीं हैं।

श्री दाजी : एक मांग परिवार भत्ते के बारे में थी। ऐसा मंत्री महोदय ने भी कहा था। क्या केवल उन्हीं बन्दियों को यह भत्ता दिया जाता है जो अपने परिवार केवल एक व्यक्ति जीविक उपार्जन करने वाले है ; यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे व्यक्तियों को केवल 20 रुपय प्रतिमास दिये जाते हैं जबकि शेख अब्दुल्ला को 1 हज़ार रुपये दिये जाते थे। क्या सरकार इस भत्ते के पुनरीक्षण पर विचार करेगी ताकि इसे बढ़ा कर बन्दियों के परिवार के खर्चे के बराबर किया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : उनको जो भत्ता मिलता है वह 25 रुपये नहीं बल्कि 50 रुपये से 150 रुपये तक है।

श्री दाजी : क्या एक मांग यह है कि जेल में उनके साथ प्रथम श्रेणी के बन्दियों का बर्ताव करने के बारे में है? यदि हां, तो क्या कई बंदियों के साथ बिना किसी दोष के सामान्य बंदियों का सा बर्ताव किया जाता है? सरकार ने इस मांग के बारे में क्या निर्णय किया है ?

श्री हाथी : इस प्रश्न पर केरल राज्य सम्बन्धी सलाहकार समिति में भी विचार हुआ था। बहुत सी मांगें हमारे सन्मुख रखी गई थीं। हम ने राज्यपाल से बातचीत की है कि बंदियों से जेलमें उदारता का व्यवहार हो।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री परूलेकर की अस्पताल में ले जाते समय जब मृत्यू हो गई है तो उससे देश में यह शंका हो गई कि बीमार बंदियों की ठीक प्रकार देखभाल नहीं होती है। क्या सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार करेगी और सभी मामलों पर विचार कर के उन उन लोगों की मांगों को मंजूर करेगी ताकि अनशनकारी मर न जायें? यदि नहीं, तो क्या सरकार का इरादा है कि वे जेल में मर जायें?

श्री नन्दा : उन के कामों, कि जिन के कारण उन को बन्दी बनाया गया है के होते हुए भी, उन का पूरा ध्यान किया जा रहा है। केरल के इन बंदियों के बारे में राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि उन से अच्छा बर्ताव होगा। उन्होंने मेरे साथ सलाह की है और कहा है कि उनको प्रत्येक संभव सुविधा उपलब्ध की जायेगी। जब कोई बीमार होता है तो उस के लिये चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है परन्तु इस के कारण उन को रिहा नहीं किया जा सकता कि वह अनशन किये हुए हैं।

श्री वासुदेवन नायर : हम मंत्री महोदय से श्री गोपालन को बहुत अधिक जानते हैं। श्री गोपालन को त्रिचूर से त्रिवेन्द्रम ले जाया गया है। ताकि उन की ठीक प्रकार देख-भाल की जा सके। इस से यह स्पष्ट है कि हमें ध्यान रखना होगा। क्या सरकार इस समय श्री गोपालन को रिहा नहीं कर सकती? यदि नहीं, तो उन पर विशेष दोषों के लिये अभियोग चलाया जाये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इस का उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मंत्री महोदय ने फिर आक्षेप लगाया है कि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक कार्य किया है परन्तु वह न्यायालय में जाने को तैयार नहीं है। बहुत से वामपंथी साम्यवादी बन्दी पहले ही बन्दीगृहों में मर चुके है और इस से देश में तथा बाहर बहुत खराब प्रभाव हुआ है। ऐसी स्थिति में बीमार बंदियों को रिहा क्यों नहीं किया जाता? मैंने स्वयं मंत्री महोदय को कुछ बीमार बंदियों के बारे में सूचना दी है। सरकार ऐसी बदले की नीति पर क्यों चल रही है?

श्री नन्दा : बदले की नीति का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हमने कुछ स्थितियों में बंदियों को रिहा किया है। हाल ही हमने श्री सुन्दरैया को आज्ञा दी है .....

श्री दीनेन भट्टाचार्य : श्री परुलेकर की मृत्यु के बाद।

श्री नन्दा : उससे पहले भी हमने किया है और बंदियों कुछ हालतों में रिहा किया है। अतः इस बात पर उन से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि मानवतावादी कारणों से उन को रिहा कर दिया जाये। इस मामले में एक बन्दी दवाई लने से इन्कार कर रहा है। मुझे बताया गया है कि यदि वह दवाई लें तो वह शीघ्र अच्छे हो सकते हैं।

श्री मुहम्मद इलियास : अभी माननीय मंत्री ने कहा कि केरल के राज्यपाल ने आश्वासन दिया है कि वहां के बंदियों की मांगों पर विचार होगा। परन्तु समाचारपत्रों में छपा है राज्यपाल ने श्री नम्बूदरीपाद को कहा है वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सब कुछ केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी और उन को रिहा करेगी या नहीं ? क्या वह उन को राजनैतिक विरोधी होने के कारण मार देना चाहते हैं ? क्या यही लोकतन्त्र है ?

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हरि विष्णु कामत : जब गत विश्व युद्ध पूरे ज़ोर से हो रहा था उस समय ब्रिटेन की साम्राजी सरकार ने भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत पकड़े गये बंदियों को स्वास्थ्य खराब होने के कारण रिहा कर दिया था। क्या आज कांग्रेस की लोकतन्त्रात्मक सरकार स्वास्थ्य खराबी के कारण भारत रक्षा नियमों के अधीन बदियों को रिहा नहीं करेगी ? इस बार में क्या नीति है ?

श्री नन्दा : हम बंदियों को पैरोलपर बहुत से कारणों जिनमें बीमारी भी है से रिहा करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन बंदियों की मुख्य मांग रिहाई के बारे में है। क्या माननीय मंत्री ने पिछले सप्ताह श्री सीतलवाद, भूतपूर्व महा-न्यायादी द्वारा मद्रास में कही गई बात कि सरकार द्वारा उन बंदियों को अदालत में जाने से वंचित करना उन के संविधान में निहित मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है, की ओर ध्यान दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : कानूनी प्रश्न नहीं उठाये जा सकते।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मन्त्री महोदय ने कहा है कि बंदियों के मामलों पर छः महीनों के पश्चात पुनः विचार होता है। केरल में तथा अन्य बंदियों के सम्बन्ध में कितनी बार विचार किया गया है ? यह पिछले छः महीनों से जेल में हैं। क्या उन का जेल में व्यवहार या गिरफ्तारी से पहले का व्यवहार विचार का विषय होता है ? इस प्रकार विचार करने का आधार क्या होता है ?

श्री नन्दा : बहुत सी बातों पर विचार करना होता है। इस में बाहर वालों का व्यवहार भी है (**अन्तर्बाधायें**)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हम एक स्पष्टीकरण चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बेतुका उत्तर दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या हम ठीक स्थिति जानने के अधिकारी नहीं हैं। जब एक व्यक्ति को गिरफ्तार हुए छः महीने से अधिक हो गये है तो हम यह जानने के अधिकारी है कि क्या उन की गिरफ्तारी पर विचार हुआ है या नहीं और उन की उन छः महीनों या उससे पहले के समय गतिविधियां कैसे रही हैं ? हमें बताया जाये कि क्या उन के मामलों पर विचार है हुआ या नहीं ?

श्री नन्दा : जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में निर्णय करते हैं तो हो सकता है उस द्वारा कही बात किन्ही और अवसरों पर आपत्तिजनक न समझी जाये। देश की स्थिति और देश की सुरक्षा और उस के सामने खतरे का ध्यान रखते हुए निर्णय किया जाता है।

Shri J. B. Singh : I want to know the basis of review and who does this review? What are basis of grant of family allowance? I am asking this because no body supports political worker. In case of a political worker who owns 10 Bighas of land, Government does not help him. His family suffers on account of this.

Shri Nanda : Such circumstances are taken into consideration.

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता था ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर मैं मार्गदर्शन कराऊं ।

श्री स० मो० बनर्जी : तब मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यदि अब व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो यह उनके लिए उचित नहीं है । उन्होंने मुझसे मार्गदर्शन चाहा । मैं उनका मार्गदर्शन नहीं करा सकता तो अब वह व्यवस्था का प्रश्न किस प्रकार उठा सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे खद है कि यदि आप का विनिर्णय इस प्रकार है तो हम कुछ भी पूछ नहीं सकते । हम तो आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस में संरक्षण की कोई बात नहीं है । इस में व्यवस्था का भी कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे केवल एक बात कहनी है । बिना जाने वह कैसे जान सकते हैं कि मूझे कसा संरक्षण चाहिये ।

श्री अध्यक्ष महोदय : यह प्रत्येक बात पर संरक्षण देने का स्थान नहीं है । अब तो मुझ उनसे केवल यही कहना है कि वह बैठ जायें ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप ने श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रश्न की आज्ञा नहीं दी । मैं यह जानना चाहता था कि क्या हम समाचार पत्रों की बात का हवाला दे सकते हैं या नहीं । श्री सीतलवाद की राय समाचारपत्रों में छपी है । क्या हम उस जानकारी के आधार पर प्रश्न नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि कानून के बेतुके प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

श्री स० मो० बनर्जी : बतुका क्या है । मेरे पास समाचारपत्रों की रिपोर्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह गलत है तो भी उन को मेरा निर्णय मानना होगा । अनुशासन की यही मांग है ।

श्री स० मो० बनर्जी : यह तो विधिहीन विधान है ।

श्री रंगा : अध्यक्ष के विनिर्णय को सदन में चर्चा का विषय कैसे बनाया जा सकता है ? यदि आवश्यकता पड़े तो उसे नियमित प्रस्ताव द्वारा लिया जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं तो केवल संरक्षण के लिये कह रहा हूं ।

श्री रंगा : मैं भी तो संरक्षण के लिये कह रहा हूं । यदि मैं सन्तुष्ट नहीं हूं तो मैं आप के कक्ष में आप से बात कर सकता हूं । अन्यथा मैं चर्चा के लिय एक नियमित प्रस्ताव ला सकता हूं । इस प्रकार अभी इस पर चर्चा कसे हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक यही रवैया प्रत्येक माननीय सदस्य को अपनाना चाहिये ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्वर्गीय श्री नेहरू के क्रिया-कलाप पर सम्मेलन

*188. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनेस्को ने श्री नेहरू द्वारा आज के विश्व में किय गये कार्यों पर सांस्कृतिक नेताओं का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो यह सम्मेलन किस स्थान पर होगा; और

(ग) इस सम्मेलन में भारत का किस प्रकार का योगदान होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) नई दिल्ली ।

(ग) आशा है कि गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत के एक या दो प्रमुख व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया जाएगा । भारत सरकार भी सम्मेलन के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगी ।

सेवा निवृत्त होने वाले सिविल कर्मचारियों की गैर-सरकारी क्षेत्र में पुर्नियुक्ति

*189. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बिभूति मिश्र :
श्री क० नां० तिवारी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संथानम् समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है कि सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवा से निवृत्त होने के दो साल बाद तक गैर-सरकारी क्षेत्र में नौकरी न करने दी जाये ;

(ख) क्या काननी जटिलताओं का अध्ययन किया गया है और उनको दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) क्या पेंशन पाने वाले यदि सेवा निवृत्ति के पश्चात् उन उद्योगों में सेवा करते हैं तो उनकी पेंशन बन्द करने का भी कोई प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) : संथानम समिति ने सिफारिश की है कि, यदि कानून इजाजत दे तो सरकारी कर्मचारियों के अवकाश ग्रहण करने के बाद दो वर्ष तक निजी क्षेत्र में कोई व्यापारिक नियुक्त-स्वीकार करन पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए, और इस नियम का उल्लंघन होने पर उनकी पेंशन जब्त होनी चाहिये। इन सिफारिशों पर तथा इनके विधि सम्बन्धी निहितार्थों पर विचार किया जा रहा है।

भारत में बिना पासपोर्ट के पकड़े गये पाकिस्तानी

*190. **श्री रामेश्वर टांटिया :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री किन्दर लाल : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में भारत में बहुत से पाकिस्तानी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट के पकड़े गये हैं;

(ख) यदि हां तो देश भर में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4612/65]**

सन्तानम समिति की सिफारिशें

*191. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री श० ना० चतुर्वेदी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री दी० चं० शर्मा :**
डॉ० महादेव प्रसाद : **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :**
श्री राम हरख यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 3 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सन्तानम समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा उन्हें लागू करने में और क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : सूचना बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4613/65]**।

मंत्रियों तथा उच्चाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

*192. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्यों में प्रशासन म राजनैतिक अधिकारियों तथा संयुक्त सचिव और उससे ऊंच स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध गत एक वर्ष में की गई शिकायतों की संख्या तथा स्वरूप क्या है तथा उससे पूर्व की गई कितनी शिकायतें अभी विचाराधीन है; और

(ख) सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

केरल में नजरबन्द व्यक्तियों का अभ्यावेदन

*193. **श्री वारियर :** **श्री प्रभात कार :**

श्री वासुदेवन नायर : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में नज़रबन्द व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें परिवार भत्ते देने तथा 'पेरोल' सुविधाओं को उदार बनाने को मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा अभ्यावेदनों पर मामले के गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है और योग्य मामलों में परिवार भत्ते तथा पेरोल की स्वीकृति दे दी जाती है ।

केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेज

*194. **श्री मुहम्मद कोया :**

श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री केरल में परिचालित रहस्यमय दस्तावेजों के सम्बन्ध में 10 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 379 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले की जांच पड़ताल अब पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : मामले की अभी तक जांच की जा रही है । अभी तक कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला है ।

बर्मा से स्वदेश भेजे गये भारतीयों को दुकानों का दिया जाना

*195. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम को बर्मा से आये हुए शरणार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर दुकानों को दिये जाने के हेतु कोई हिदायतें जारी की है ;

(ख) यदि हां, तो कितने शरणार्थियों ने दुकानों के दिये जाने के लिये नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम को अब तक आवेदन पत्र भेजे तथा कितने मामलों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) भारत सरकार द्वारा बर्मा से लौटने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में जो सामान्य आदेश राज्य सरकारों तथा दिल्ली प्रशासन को जारी किये गये हैं उनमें यह कहा गया है कि लौटने वालों को भूमि की एलाटमेंट तथा भवन निर्माण के लिये प्लाटों आदि के मामले में विशेष रियायतें दी जायें । लौटने वालों को दुकानों के दिये जाने के बारें में किसी नगर पालिका बोर्ड या निगम को भारत सरकार द्वारा कोई विशष आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

(ख) दो आवेदन-पत्र जो नई दिल्ली नगर पालिका को प्राप्त हुये थे, पालिका द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे। तथापि प्रार्थियों ने दिल्ली प्रशासन को पहुंच कीं और मामला विचाराधीन है। दिल्ली नगर निगम को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा मंत्री की विदेश यात्रा

*196. **श्री बागड़ी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1965 में वह युगोस्लाविया तथा चैकोस्लोवाकिया की यात्रा पर गये थे,

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का प्र ोजन क्या था, और

(ग) यात्रा से क्या परिणाम निकले ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) यह यात्रा युगोस्लाविया व चैकोस्लोवाकिया के शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रियों के निमंत्रण पर और भारत त ा उन देशों के बीच शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सम्बन्धों को बढ़ाने और उनके साथ विचार विमर्श करने के लिए की गयी थी।

(ग) इस यात्रा से भारत तथा युगोस्लाविया व चकोस्लोवाकिया के बीच मित्रता के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं और भारत तथा उन देशों के बीच सांस्कृतिक करारों के अन्तर्गत शक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक आदान प्रदान की योजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए भी इस यात्रा का उपयोग किया गया था।

उच्च न्यायालयों में अनिर्णित मुकदमे

*197. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

श्री अ० ना० विद्यालंकार : **श्री लिंग रेड्डी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में 2.63 लाख मुकदमे अनिर्णीत पडे हैं जिनमें से 88,000 दो वर्ष से अधिक पुराने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मुकदमों की संख्या में प्रति वर्ष लगभग 20,000 मुकदमे और बढ़ जाते हैं हालांकि न्यायाधीशों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ाई जाती रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, 1-12-1964 को लगभग यही स्थिति थी।

(ख) यदि अनिर्णीत मुकदमों का मतलब लम्बित मामलों से है, तो सिर्फ 1964 में ही 20,000 से अधिक की बढ़ती हुई है।

(ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में अनिर्णीत मामलों की संख्या में वृद्धि का मुख्य कारण यह है उनमें न्यायाधीशों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई और यद्यपि निपटान में भी निरंतर वृद्धि हुई किन्तु वह

उतनी न हो सकी जितनी न्यायाधीशों की संख्या बढ़ी। विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या का लगातार पुनरवलोकन किया जा रहा है और जहां जरूरत पड़ती है वहां अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किये जा रहे हैं।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश की आयु

*198. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय में प्रवेश को आयु को घटा कर $13\frac{1}{2}$ वर्ष कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकरी है कि ऐसे कदम पर देश में अन्यत्र प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई है ; और

(ग) क्या सरकार विश्वविद्यालय शिक्षा में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिये एक न्यूनतम राष्ट्रीय स्तर निर्धारित करने को वांछनीयता पर विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (श्री म० क० चागला) : (क) पूर्व-विश्वविद्यालय और तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन की दिशा में पहले कदम के रूप में केरल विश्वविद्यालय ने 1964–65 सत्र के दौरान दो-वर्षीय पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कि तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में दाखिले के लिए न्यूनतम आयू, दाखिले के वर्ष की पहली अक्तूबर को, 16 अथवा उससे अधिक होनी चाहिए, विश्वविद्यालय ने निश्चय किया है कि दो वर्षीय पूर्व-डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 14 अथवा उससे अधिक रखी जाए, किन्तु, 1964–65 और 1965–66 वर्षों के लिए विश्वविद्यालय ने न्यूनतम आयु संबंधी नियम में छूट दे दी है। दाखिले के वर्ष की 15 जुलाई को यह आयु $13\frac{1}{2}$ वर्ष निर्धारित की है। इस प्रकार, 1966–67 और 1967–68 के दौरान विश्वविद्यालय शिक्षा (तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष) में प्रवेश की आयु 15 वर्ष 6 मास होगी और बाद में 16 अथवा उससे अधिक।

(ख) देश के अन्य भागों में किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1960 में यह विचार व्यक्त किया था कि यद्यपि 17 अथवा उससे अधिक न्यूनतम आयु निर्धारित करना वांछनीय होगा, किन्तु इस आयु सीमा को शीघ्र लागू करना कठिन है। इसलिए आयोग ने विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया है कि फिलहाल पहली कार्रवाई के रूप में, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 16 अथवा उससे अधिक निर्धारित कर दी जाए, बहुत से विश्वविद्यालयों ने इस सिफारिश को मान लिया है।

Kidnapping of Children in Delhi

*199. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bade : Shri Prakash Vir Shastri : Shri Onkar Singh : Shri Shivamurthi Swamy :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that four children of one family of Delhi Cantonment were kidnapped in the first week of June 1965; and

(b) if so, the reasons for their remaining untraced so far?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Four children of a family of Delhi Cantonment are reported to be missing since the 8th June, 1965.

(b) Police efforts to trace the children have not yet been successful. The search is being continued vigorously.

पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों के लिये नागरिकता

*200. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या गृह-कार्य मंत्री रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दंगों में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों ने अपने पाकिस्तानी पारपत्र वापिस कर दिये हैं और भारत की नागरिकता के लिये आवेदन किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्थानीय अधिकारियों को अभी इन पर कोई कार्यवाही न करने की हिदायतें दी गई हैं ;

(ग) क्या इन व्यक्तियों को भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, ऐसे कुछ व्यक्तियों ने ऐसा किया है ।

(ख) नहीं, जनाब,

(ग) हां, बशर्ते कि वे नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन नियमों में कही गई शर्तें पूरी करते हों ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कच्चे तेल के मूल्य में कमी

*201. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम हरख यादव:
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री मधु लिमये :
श्री सोलंकी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा शैल कम्पनी ने बम्बई स्थित अपने तेल शोधक कारखाने के लिये आयात किये जाने वाले कच्चे तेल के मूल्यों में हाल ही में कटौती कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कटौती की गई है और इससे विदेशी मुद्रा में प्रति वर्ष कितनी बचत होने की संभावना है; और

(ग) क्या अन्य कम्पनियों का भी आयातित कच्चे तेल के मूल्य में कमी करने के लिये कहा गया है और यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) 1-7-65 से बर्मा शैल कम्पनी ने आगा जारी कच्चे तेल में प्रति बैरल 7 सैन्टस (cents) और कुवैत कच्चे तेल में प्रती बैरल 4 सैन्टस की कटौती मूल्यों में की है । इस से विदेशी मुद्रा में प्रति वर्ष लगभग 60 लाख रूपये की बचत होने की आशा है ।

(ग) जी हां । उपरोक्त तारीख से ही, अन्य दो तेल कम्पनियां (अर्थात् एस्सो तथा कालटेक्स) भी, अपनी अपनी शोधनशालाओं के लिए आयातित कच्चे तेल के मूल्यों में कटौती के लिए सहमत हुई हैं ।

Appointments to Public Services

*202. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to frame broad legislation regarding the recruitment to Public Services and conditions of service of persons appointed, as envisaged in Articles 98 and 309 of the Constitution; and

(b) if so, the time by which the Bill in this regard will be introduced?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) No, Sir, in so far as Article 309 is concerned. As for Article 98(2), the question is one for Parliament to decide.

(b) Does not arise, in so far as Article 309 is concerned. As for Article 98(2), this is for Parliament to decide.

India Office Library

*203. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri Vidya Charan Shukla :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Rameshwar Tantia :
Shrimati Maimoona Sultan :

Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 125 on the 24th February, 1965 and state :

(a) the progress so far made in respect of securing the India Office Library in London and the delay and difficulties in bringing the Library to India;

(b) whether the attitude of the Governments of Pakistan and Great Britain has undergone any change; and

(c) if so, the nature thereof?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) There has been some progress towards the settlement of the question of India Office Library but a final settlement in the matter is yet to be reached. These tripartite negotiations will take time as different view points have to be reconciled;

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

प्रक्रिया सम्बन्धी विलम्बों के कारण

*204. श्री प्र०चं० बरुआ :
श्री बिभूति मिश्र :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री क० ना० तिवारी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री न० प्र० यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री दे० जो० नायक :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री महेश्वर नायक :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने प्रक्रिया संबंधी विलम्बों के कारणों का अध्ययन करने तथा प्रशासनिक कार्य को तेजी से निबटाने के उपाय सुझाने के लिये मंत्रियों को छोटी सी समिति, जिसे अधिकारियों की सहायता प्राप्त होगी, बनाने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या देरी को रोकने के लिये प्रत्येक मंत्रालय में मंजूरी देने का काम एक ही प्राधिकारी को सौंपने का विचार है; और

(ग) प्रतिबन्धों तथा संतुलन की वर्तमान व्यवस्था में नये प्रभावी परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी हां, मंत्री स्तर की एक समिति प्रशासनिक विलम्ब तथा उससे सम्बन्धित समस्याओं की जांच करने के लिये बनाई गई । इसकी सहायता सचिवों को एक छोटी समिति करती है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) पहले ही प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उठाये गए कदमों के अलावा और भी कई कदमों पर विचार किया जा रहा है ।

पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण

*205. श्री प्र०रं० चक्रवर्ती :
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्रीमती विमला देवी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री सेझियान :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के लाने तथा ले जाने के बारे में तेल कम्पनियों के साथ सलाह करके एक कार्यक्रम तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कम्पनियों ने कार्यक्रम के अनुसार ठीक प्रकार कार्य किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने मिट्टी के तेल तथा तेज रफ्तार डीज़ल तेल के ठीक प्रकार से लाने ले जाने तथा उचित वितरण के लिये क्या कार्य किये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर): (क) जी हां, जून, 1965 में मासिक परिवहन योजनाएं तैयार की गई थीं ।

(ख) लगभग दो सप्ताह की प्रारम्भिक अवधि के बाद इस कार्यक्रम की कार्यन्विति काफी हदतक सन्तोष-जनक रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, मासिक परिवहन योजनाओं को तैयार करने का क्रम जारी रहेगा और उनके कार्यन्विति पर निगरानी रखी जायेगी ।

रूस से पेट्रोलियम उत्पाद

***206. श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री प्र०चं० बरुआ :
श्री बिभूति मिश्र :
श्री क०ना० तिवारी :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :
श्री बासप्पा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री कपूर सिंह :
श्री सोलकी :
श्री बागड़ी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस 1964 की तुलना में भारत को पैट्रोलियम से बने हुए पदार्थों को दुगुनी मात्रा में सप्लाई करने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कुल कितनी मात्रा सप्लाई की जायेगी ;

(ग) इस सप्लाई के लिये क्या शर्तें रखी गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि रूसी तेल से बना सामान पश्चिमी देशों से आयात किये गये सामान की अपेक्षा सस्ता है; और

(ङ) यदि हां, तो उन की कीमतों में कितना अन्तर है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर) : (क) जी हां। 1965 में रूस से आयात किये गय पैट्रोलियम उत्पाद 1964 के मुकाबले में आयातित मात्राओं से लगभग दुगने अधिक होंगे ।

(ख) चालू साल में लगभग 15 लाख मीटरी टन की कुल मात्रा के आयात होने का प्रस्ताव है ।

(ग) से (ङ): जनता के हित में इन विवरणों को नहीं बताया जा सकता, किन्तु यह बताया जा सकता है कि रूसी तेल उत्पादों का मूल्य दूसरे साधनों से आयातित उत्पादों के मकाबले में सामान्य रूप से कम है ।

दादरा, नगर हवेली, दमन और दीव का भावी ढांचा

***207. श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बागड़ी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

4—20 Lok Sabha/65

(क) क्या दमन व दीव तथा दादरा व नगर हवेली के भावी ढांचे के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इनके भावी ढांचे के बारे में निर्णय करने से पहिले गोआ के समान इन क्षेत्रों की जनता को भी राय जानने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

*208. **श्री प्र०चं० बरुआ :**
श्री दी०चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स०चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री विभूति मिश्र :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :
श्री हेड़ा :
श्री बासप्पा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय शिक्षा सेवा आरम्भ करने के प्रस्ताव के बारे में विभिन्न राज्यों की क्या राय है ; और

(ख) राज्यों की राय को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है ।

(ख) सरकार भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण के लिये कदम उठा रही है । राज्य सभा ने अपनी 30 मार्च 1965 की बठक में इस आशाय की घोषणा करने वाला एक संकल्प स्वीकार किया कि राष्ट्रीय हित की दृष्टि से भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण के लिये व्यवस्था करना आवश्यक तथा समयोचित है । राज्यों की सलाह से आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

बर्मा से आये हुए भारतीयों का पुनर्वास

598. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार बर्मा से बहुत बड़ी संख्या में आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये प्रबन्ध कर रही है ; और

(ख) यदि हां तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार कितना अंशदान देगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) बर्मा से आने वाले 17 परिवार अब तक राजस्थान गये हैं और उनमें से 15 परिवारों ने कारोबार ऋण के लिये आवेदन-पत्र भेजे हैं। 2,000 रुपये तक प्रति परिवार कारोबार ऋण देने के बारे में एक योजना मंजूर की जा चुकी है और इस योजना के अधीन राज्य सरकार द्वारा आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की जा रही है। ऋण के लिये दी जाने वाली अपेक्षित धन राशि में 80 प्रतिशत केन्द्र का अंशदान होगा और शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। पुनर्वास के सम्बन्ध में अन्य उपाय, जिनका सुझाव राज्य सरकार को दिया गया है, उनमें लौटने वालों को प्लान प्राजैक्ट में रोजगार दिया जाना तथा कृषि मंत्रालय के उत्तरदायित्व में भूमि सुधार की योजनाओं में बसाना है।

तकनीकी विषयों की पुस्तकें

599. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में तकनीकी विषयों की पुस्तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेंट की हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर पुस्तकें दी गई हैं ; और

(ग) सरकार इन पुस्तकों का किस प्रकार से उपयोग करना चाहती है?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उच्चतर शिक्षा, आर्थिक विकास तथा सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित 482 पुस्तकें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पदाधिकारियों के और अन्य विद्वानों के निर्देश तथा उपयोग के हेतु, जो उन्हें देखना चाहें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

केरल परामर्शदात्री समिति

600. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केरल परामर्शदात्री समिति के सदस्यों से सरकारी होस्टलों में ठहरने के लिये रियायती दर पर किराया लेने का कोई प्रस्ताव है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : जी नहीं।

बंगलौर के निकट पाये गये रोमन सिक्के

601. श्री राम हरख यादव : क्या शिक्षा मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मई, 1965 को बंगलौर में हिन्दुस्तान हवाई अड्डे के धावन पथ के पास रोमन सम्राट आगस्टस सीज़र के समय के 240 चांदी के सिक्के मिल थें ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिक्कों का किस प्रकार पता लगा तथा इनका ऐतिहासिक महत्व क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी हां। परन्तु 240 नहीं अपितु 251 चांदी के सिक्के मिले थे। इनमें से 19 सम्राट आगस्टस (ईसा पूर्व 27—ईसवीसन् 14) के समय के हैं, 219 सम्राट टिबेरियस (ईसवी सन 14—ईसवी सन् 37) के काल के है और शेष 3 सिक्के टुकड़े टुकडे हो गये हैं।

(ख) यह खोज अकस्मात् उस समय हुई जब कि एक धावन पथ के निर्माण के लिए मिट्टी की खुदाई का काम हो रहा था। भारत के अनेक भागों में पहले जो रोमन सिक्के हाथ लगे थ, उनसे और इस खोज से यह प्रदर्शित होता है कि पहली शताब्दी में भारत और रोम के बीच काफी सांस्कृतिक तथा वाणिज्यिक सम्पर्क कायम था।

कोचीन नगर निगम

602. श्री अ० क० गोपालन :
श्री मुहम्मद कोया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केरल में कोचीन नगर निगम स्थापित करने के बारें में विशेष अधिकारी की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ;

(ख) निगम में किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया जायेगा ;

(ग) प्रस्तावित निगम की कितनी जन-संख्या रहेगी ;

(घ) निगम में वार्डों तथा सदस्यों की संख्या कितनी होगी ; और

(च) निगम कब तक स्थापित हो जाएगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी,हां।

(ख) सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्रों के बारे में अभी तक अंतिम रूप से निर्णय नहीं किया गया।

(ग) से (च) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित हमला

603. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ स्वयंसेवकों ने कानोर, केरल में मुसलमानों पर हमला किया ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को भविष्य में रोकने के लिये क्या पूर्वोपाय किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में नगर निगमों को अनुदान

604. श्री अ० क० गोपालन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केरल के नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं के अनुदानों में वृद्धि करना मंजूर कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ;

(ग) क्या छोटी नगरपालिकाओं को बढ़ी हुई दर से अनुदान दिया जायगा, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) नगर परिषदों तथा नगर निगमों के अनुदानों के भुगतान के लिये सरकार ने कुछ सिद्धांत स्वीकार किये हैं जिनके फलस्वरूप कुछ मामलों में अनुदान में वृद्धि भी हो सकती है।

(ख) स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार नगर परिषदों तथा निगमों को प्रति व्यक्ति के आधार पर एक वार्षिक सामान्य उद्देश्य अनुदान और विशेष सेवाओं पर उनके द्वारा किये गये व्यय के आधार पर विशेष उद्देश्य अनुदान दिया जाएगा।

(ग) छोटी नगरपालिकाओं को भी इस लाभ से वंचित नहीं रखा जायगा। इसके विपरीत वे स्वीकृत सिद्धांतों के अंतर्गत जनसंख्या के अनसार 1.50 रु० प्रतिव्यक्ति के आधार पर वार्षिक सामान्य उद्देश्य अनुदान तथा उनके द्वारा विशेष सेवाओं पर किये गए वास्तविक व्यय का $66\frac{2}{3}\%$ विशेष उद्देश्य अनुदान प्राप्त करने की अधिकारी होंगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विझीजाम में विश्राम-गृह

605. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ड) क्या सरकार का विचार केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में विझीजाम (फिश हारबर) में एक विश्राम-गृह का निर्माण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) इसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी): (क) विझीजाम (फिश हारबर) में विश्राम-गृह का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। किन्तु वहां एक निरीक्षण-बंगला बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) इस निरीक्षण बंगले की लागत अनुमानत: 43,200 रु० है।

(ग) भवन-निर्माण लगभग पूरा होने वाला है।

केरल में समुद्र से भूमि का कटाव

606. श्री अ० क० गोपालन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि इस वर्ष फरवरी में केरल में तेल्लिचेरी में समुद्र से भूमि के कटाव के कारण सम्पत्ति को काफी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणाम-स्वरूप लगभग कितनी हानि हुई है ; और

(ग) पीड़ित व्यक्तियों को क्या सहायता दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) पिछली फ़रवरी में तेल्लीचेरी नगर से तीन मील उत्तर में स्थित धर्मदाम में भूमि का कटाव हुआ था जिसका प्रभाव पुलिन के लगभग 1200 फुट लम्बे और 60 फुट चौड़े भाग पर पड़ा था।

(ख) अनुमान है कि केवल 9,000 रु० की हानि हुई है।

(ग) समुद्र द्वारा भूमि के कटाव से हानि उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या 8 थी और उहें कूल 250 रु० की आर्थिक सहायता अपने नारियल के वृक्ष दौबारा लगाने के लिये दी गई।

Recognition of Unions

607. Shrimati Ramdulari Sinha : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to lay on the Table a copy each of the instructions issued in respect of granting recognition to the Unions indicated in Para 16 of the Ministry's Annual Report for 1964-65?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : A copy of the draft instructions for recognition of Service Associations/Unions is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT—4614/65].** This draft has not yet been finalised.

संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय योजना

608. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री संयुक्त परामर्श तथा अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय संबंधी योजना को, जैसा कि मंत्रालय के 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन की कंडिका 16 में उल्लिखित है, सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्श और अनिवार्य पंच फैसला योजना की एक प्रति सदन के, सभा-पटल पर रख दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 4615/65]**

राष्ट्रीय परिषद् का विधान

609. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **गृह-कार्य** मंत्री राष्ट्रीय परिषद के नमूने के विधान की एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जैसा कि मंत्रालय की 1964–65 की वार्षिक रिपोर्ट के परा 16 में उल्लेख है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : राष्ट्रीय परिषद के विधान के मसौदे की एक प्रति सदन के सभा-पटल पर रखी है। इस मसौदे का अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 4616/65]**

Working of National Council

610. Shrimati Ramdulari Sinha : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to lay on the Table of the House a copy of the model instructions for conduct of business of the National Council as referred to in Para 16 of the Ministry's Annual Report for 1964-65?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : A copy of the draft instructions for Conduct of Business of National Council is placed on the Table of the House. **[Placed in the Library. See No. LT—4617/65].** This draft has not yet been finalised.

गैसोलीन

611. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय पट्रोलियम संस्था ने भारतीय मानक संस्था से बाजार में बिकने वाले गैसोलीन के आंक्टेन नम्बर बढ़ाने के लिये कार्यवाही करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय मानक संस्था ने सुझाव दिया है कि भारत में मोटर के इंजनों को अधिक अच्छी तरह चलाने के लिये आंक्टेन नम्बर 83 तक बढ़ाया जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन कबिर) : (क) तथा (ख): मोटर गैसोलीन के आंक्टेन नम्बर 79 से 83 तक बढ़ाने के लिए एसोसियेशन आफ इण्डियन आटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ने भारतीय मानक संस्था के विचार हेतु एक रिपोर्ट में प्रार्थना प्रस्तुत की। भारतीय मानक संस्था के संकेत पर भारतीय पैट्रोलियम संस्था ने एक अध्ययन किया तथा मोटर गैसोलीन के आंक्टेन नम्बर बढ़ाने के लिये सिफारिश की।

(ग) सुझाव विचाराधीन है।

कोचीन में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी संस्था

612. श्री अ० व० राघवन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी एक संस्था स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अपना कार्य कब तक आरम्भ कर देगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शासी निकाय ने समुद्र विज्ञान सम्बन्धी एक संस्था स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है किन्तु इसे स्थापित कहां किया जाये, यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ख) चौथी पंच-वर्षीय योजना अवधि में।

केरल के कालिजों में दाखिला

613. श्री अ० व० राघवन : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालेज में दाखिले के लिये माध्यमिक स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र में अंकों की न्यूनतम प्रतिशतता निश्चित करने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

शिंगत पुलिस चौकी पर नागाओं का आक्रमण

614. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सशस्त्र विद्रोही नागाओं के एक गिरोह ने 3 जून, 1965 को शिंगत पुलिस चौकी पर आक्रमण किया ;

(ख) यदि हां, तो उस आक्रमण में कितनी व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 4 जून के सुबह 1.30 बजे 30 बट और चिन स्वयंसेवकों ने (न कि नागा विद्रोहियों ने) थिंगत (शिंगत नहीं) पुलिस की चौकी पर राइफ़लों, स्टैन गनों और हाथगोलों से आक्रमण किया। गोली बारी का जवाब दिया गया। एक पुलिस कान्स्टेबिल मारा गया।

(ग) मनीपुर राइफ़ल्स की टुकड़ियां एकदम थिंगत भेजी गई और चूढ़ाचान्दपुर में एक मामला दर्ज किया गया। इस बारे में आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गए। स्थानीय अधिकारियों को विद्रोहियों के आक्रमणों से बचने के लिये उपयुक्त संरक्षात्मक कदम उठाने के लिये सावधान कर दिया गया।

पिलानी टेलीविजन पेटन्ट

615. **श्री विभूति मिश्र :**

श्री क० ना० तिवारी :

श्री न० प्र० यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख भारतीय उद्योगपति पिलानी टेलीविजन के पेटन्ट का, वाणिज्यिक निर्माण के लिये, जिस में उनका, अनन्य अधिकार नहीं होगा, प्रयोग करने की अनुमति के लिये राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद से बातचीत कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : जी, हां। काफी संख्या में प्रस्ताव आये थे और विशिष्टता के आधार पर उनपर विचार किया गया। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद के निदेशक मंडल ने अभी एक संस्था के टेलिविजन सेट के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। इस पर उनका अनन्य अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त मंडल ने अन्य उपयुक्त संस्थाओं के प्रस्तावों पर भी इन्हीं शर्तों तथा स्थितियों में विचार करने का निश्चय किया है।

गोहाटी तेल शोधक कारखाने के पास पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

616. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में गोहाटी तेल शोधक कारखाने के चहुं और पेट्रो-रसायन उद्योग समह स्थापित करने के लिये कोई योजना तैयार की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या-क्या हैं ; और

(ग) इस उद्योग समूह में प्रयोग किये जाने के लिये तेल शोधक कारखाने से क्या और कितनी मात्रा में उप-उत्पाद मिलेंगे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अलगेसन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

इन्द्रावती तथा सबरी के बेसिनों का विकास

617. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री राम सहाय पाण्डेय :**

श्री बागड़ी : **श्री राम सेवक :**

श्री सुबोध हंसदा : **श्री फ० गो० सेन :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री 24 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1460 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच इन्द्रावती तथा सबरी बेसिनों की सिंचाई तथा पन-बिजली क्षमता का अध्ययन करने के लिये नियुक्त किये गये दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट का सारांश जिसमें मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, सभा पटल पर रख दिया गया है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4618/65)।**

(ग) जैसा कि टीप ने सुझाव दिया है, मध्य प्रदेश सरकार को अनुरोध किया गया है कि टीप द्वारा बताये गये कुछ विशेष विषयों की ब्योरेवार छान-बीन की व्यवस्था की जाये ताकि चित्रकोट परियोजना की मंजूरी के बारे में कार्यवाही की जा सके। अन्य परियोजनाओं के बारे में यह विचार किया गया है कि परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर आगे छान-बीन करने से पूर्व इन्द्रावती सावरी बेसिन की एक व्यापक बेसिन योजना बना लेनी चाहिये। तदनुसार योजना तैयार करने की व्यवस्थायें की जा रही हैं।

दण्डकारण्य परियोजना के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच

618. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पुनर्वास** मंत्री 10 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 909 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना के पदाधिकारियों पर लगाये गये आरोपों की जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदाधिकारियों की संख्या क्या है ;

(ग) उनके विरुद्ध आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

Commonwealth Youth Festival

619. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1427 on the 24th March, 1965 and state :

(a) whether Government have taken any final decision to hold the Commonwealth Youth Festival in India; and

(b) if not, by what time the decision is likely to be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) & (b). It has been decided to drop the idea of holding a Commonwealth Youth Festival in India, as the response from most of the Commonwealth countries was not encouraging.

Co-operative Stores for Government Employees

620. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1454 on the 24th March, 1965 and state whether any action has been taken to open co-operative stores for Central Government employees in Bombay and Calcutta?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : Action to set up Consumer Co-operative Societies for Central Government employees in Bombay and Calcutta is in progress.

राष्ट्रीय एकता परिषद्

621. **श्री रामेश्वर टांटिया :**

श्री बागड़ी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री 24 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाने के लिये निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक कहां तथा कब होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) मामला अभी तक विचाराधीन है।

(ख) अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

नेशनल बुक ट्रस्ट

622. **श्रीमती सावित्री निगम :**

श्री स० चं० सामन्त :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **शिक्षा** मंत्री 24 मार्च, 1965 की अतारांकित प्रश्न संख्या 1446 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री ताराचन्द समिति की सिफारिशों के आधार पर नेशनल बुक ट्रस्ट के पुनर्गठन का क्या प्रभाव हुआ ; और

(ख) क्या इसकी कार्य-प्रणाली में पाई गई सभी त्रुटियों को दूर कर दिया गया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) बुक ट्रस्ट के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उसके कार्यों तथा प्रशासन में बहुत अधिक सुधार हुआ है।

(ख) ट्रस्ट की वर्तमान व्यवस्था ताराचन्द्र समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित त्रुटियों से मुक्त है।

अकादमियों द्वारा पुस्तकों की बिक्री

623. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **शिक्षा** मंत्री 24 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1444 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बातने की कृपा करेंगे कि विभिन्न अकादमियों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिये साहित्य अकादमी तथा ललित कला अकादमी द्वारा नियुक्त की गई विशेष समितियों की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): साहित्य अकादमी ने अपने विशेष समिति की सिफारिशों के आधार पर अपने प्रकाशनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अब तक निम्न-लिखित महत्वपूर्ण पग उठाये है :

(1) इसके कार्यालय के विक्रय-स्कन्धों को सुदृढ़ किया गया है :

(2) कुछ राज्य सरकारों के साथ यह व्यवस्था की गई है कि वे उसके प्रकाशनों को सूचना केन्द्रों में प्रदर्शनार्थ रख दें ;

(3) समीक्षा के लिए सामयिक पत्रिका कार्यालयों में प्रकाशन भेज दिये जाते हैं।

(4) एक मासिक समाचार विवरणिका भी प्रकाशित की गई है जिसमें इसके प्रकाशनों के बारे में जानकारी दी जाती है, यह विवरणिका निःशुल्क वितरित की जाती है।

(5) प्रकाशनों के बारे में जानकारी देने वाली पुस्तिकाएं (ब्राउशर्स) तथा पत्रकों (लीफलेट) विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती हैं और सामयिक पत्रिकाओं में विज्ञापन निकाले जाते है ।

(6) प्रकाशनों को निजी पुस्तक-विक्रेताओं के माध्यम से बेचने की व्यवस्था की गई है।

ललित कला अकादमी ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि यह बात सुनिश्चित की जाय कि क्या उसके लिए सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग को अपने प्रकाशनों का विक्रय-कार्य सौंपना संभव हो सकेगा। उसके कार्यालय में एक विक्रय तथा प्रदर्शन कक्ष खोलने के बारे में भी विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों तथा विश्वविद्यालय आयोग अनुदान से प्रकाशन खरीदने के बारे में सम्पर्क स्थापित करने का भी विचार किया गया है।

समुद्रगत तेल निक्षेप

624. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री राम सेवक :
श्री फ० गो० सेन :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री 3 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 592 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास, केरल, कैम्बे के किनारे और कच्छ के पास के समुद्रगत तेल निक्षेपों का पता लगाने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर): कैम्बे की खाड़ी के मुहाने के चारों ओर क्षेत्र में कुछ बड़ी संरचनाओं की विद्यमानता के चिन्ह मिले हैं। अक्तूबर, 1965 में उनका विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण शुरू होगा और उनके परिणामों पर निर्भर होते हुए आगामी जनवरी से गहरे व्यधन कार्य को शुरू करने की आशा है ।

कारोमण्डल तट पर भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य जारी है ।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

625. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के पाठ्यक्रम में तकनीकी विषयों को सम्मिलित करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्रों में ये पाठ्यक्रम चालू करने के क्या कारण है ;

(ग) बहुप्रयोजनीय स्कूलों की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) माध्यमिक स्तर पर उन बच्चों को, जिनकी रुचि किताबी शिक्षा में नहीं है, तकनीकी शिक्षा देने में, ताकि वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें, किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

शिक्षा मंत्री (मु० क० चागला) : (क) माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर स्वतंत्रता से पूर्व प्रचलित शिक्षा पद्धति का पुनर्गठन किया गया था। बहुद्देशीय स्कूलों में मानव-विद्याओं, विज्ञान, तकनीकी विषयों, वाणिज्य, कृषि, ललित कलाओं और गृह विज्ञान जैसे विविध विषयों की व्यवस्था द्वारा यह पुनर्गठन किया गया है। माध्यमिक स्तर पर पढाए जाने वाले तकनीकी विषयों को अब सुदृढ़ करना है, ताकि विशेष व्यवसाय में मध्यम स्तर के कुशल धंधों को विद्यार्थियों द्वारा अपनाने के लिए विद्यार्थियों को व्यावसायिक दक्षता प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवहारिक जानकारी प्राप्त हो सके। अन्य स्कूलों में तकनीकी विषयों का प्रयोजन विद्यार्थियों को नियमित विषयों को अच्छी तरह समझने में सहायता देना अथवा विद्यार्थियों में तकनीकी कार्यों की और झुकाव पैदा करना है ।

(ख) ऐसे पाठ्यक्रम उन केन्द्रीय प्रशासित संघीय क्षेत्रों में भी लागू कर दिए गए हैं, जहां ऐसा करना सम्भव और आवश्यक था ।

(ग) बहुद्देशीय स्कूलों की संख्या जो 1955-56 में 374 थी, मार्च 1964 में बढ़कर 3,873 हो गई है ।

(घ) ये कठिनाइयां हैं—धन की कमी, योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों का पर्याप्त संख्यामें न मिलना और सामान्य शिक्षा की डिग्रियों तथा बाबूगिरी का समाज में मान जिनके कारण विद्यार्थी तकनीकी पाठ्यक्रमों की अपेक्षा इनकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं।

बंगलौर में सतकर्ता आयुक्तों की बैठक

626. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1965 में बंगलौर में राज्यों के सतकर्ता आयुक्तों की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : चर्चा मुख्य रूप से उचित निरूढ़ियों तथा स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करने की दिशा में चलाई गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य सतर्कता आयुक्तों को अपने अनुभवों के बारे में ज्ञान के आदान-प्रदान और सामान्य हित की समस्याओं के बारे में चर्चा का मौका देना था। चर्चा पूरे तौर पर अनौपचारिक तथा गोपनीय प्रकृति थी। न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव स्वीकार किये गए और न ही कोई सिफ़ारिशें दी गई।

Price of Petrol

627. **Shri S. C. Samanta :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) the reasons for the sale of petrol of Indian Oil Company at the rate of 85 paise per litre and the petrol of other companies at the rate of 86 paise per litre in Delhi;

(b) the steps being taken to remove this disparity; and

(c) how far it is correct that certain Oil Companies are closing down their business in India?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir).: (a) and (b). The Central Government determines ceiling selling prices of Motor Spirit (*i.e.* Petrol) for delivery ex-companies' main ports and upcountry pumps. The cost of supplies ex-dealers' pumps at Delhi (and other places) is determined by the local authorities with reference to the basic price laid down by the Central Government *plus* the cost of transportation by rail by the most economical route from the main port installation from which supplies are normally made (e.g. Kandla for supplies to Delhi) *plus* local duties and taxes. The calculated retail ceiling selling price of petrol in Delhi prior to 20-8-65 was 85·434 paise per litre, which was rounded off to 85 paise per litre by Indian Oil Corporation and to 86 paise per litre by the dealers of other companies. This discrepancy has been brought to the notice of the Delhi Administration, but the Administration has not considered it necessary to exercise its statutory powers to remove the discrepancy.

(c) Government have no information about any oil Company closing down its business in India.

हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था

628. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या गृह-कार्य मंत्री 31 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 667 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट इस बीच मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य सुझाव तथा सिफारिशें क्या है ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफ़ारिशों का सम्बन्ध हवाई अड्डों पर सीमाशुल्क, आप्रव्रजन, पारपत्र और स्वास्थ्य सम्बन्धी औपचारिकताओं के विनियमन तथा सुरक्षात्मक उपायों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने से है ।

(ग) इस समिति में प्रतिरक्षा, वित्त, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि थे । अत: इन मंत्रालयों ने स्वीकृत सिफ़ारिशों पर उसी समय से ध्यान दिया जबकि समिति अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे रही थी और उन सिफ़ारिशों पर कुछ कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है । प्रतिवेदन पर कार्यवाही यथा शीघ्र पूरी कर ली जायगी ।

विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान

629. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **शिक्षा** मंत्री विश्वविद्यालय शिक्षा में सैनिक विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल करने के बारे में 24 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई विशेष समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य निष्कर्ष और सिफारिशें क्या है ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते ।

कोल्ट्स क्रिकेट टीम

630. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड और भारत सरकार के बीच कोल्ट्स क्रिकेट टीम में सम्मिलित होने की आयु के बारे में मतभेद हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या मतभेद हुआ था ; और

(ग) क्या इसे दूर करने के लिये कोई प्रयास किया गया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने पहले 20 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ियों की एक कोल्टस् टीम भेजने का प्रस्ताव किया था और मंत्रालय के साथ बाद में हुए पत्रव्यवहार में भी वे यही बात जताते रहे । अन्ततोगत्वा अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् ने इस प्रस्ताव की सिफारिश की और मंत्रालय ने उसका समर्थन किया । तथापि, नियंत्रण बोर्ड के अवैतनिक सचिव के दिनांक 28 मार्च, 1965 के एक पत्र के द्वारा मंत्रालय को यह बात मालूम हुई की ऊपरि आयु सीमा सामान्यत: 22 वर्ष होगी और टीम में सम्मिलित किये गये जानेवाले चार खिलाड़ी उससे भी अधिक आयु के होंगे, तो मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव का अग्रतर समर्थन करने से इन्कार कर दिया ।

(ग) बोर्ड को यह सलाह दी गई है कि यदि वे इस मामले में आगे कार्यवाही करना चाहे तो वे पुनरीक्षित प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् से बातचीत करें। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया।

बम्बई तेल शोधक कारखाने के लिये कच्चा तेल

631. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 मई, 1965 से अंकलेश्वर तेल क्षेत्र से बम्बई तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल का संभरण 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय संभरण का क्या कार्यक्रम है : और

(ग) यह संभरण कितने समय तक किया जाता रहेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिदिन 3350 मीटरी टन।

(ग) जनवरी 1966 से प्रतिदिन 5000 मीटरी टन तक सप्लाई को बढ़ाने की आशा है।

विज्ञान के शिक्षकों की कमी

632. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विज्ञान के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद ने सिफारिश की है कि विज्ञान तथा गणित के स्नातकों के लिए चुने हुए विश्वविद्यालयों में एक अल्पकालीन गहन पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएँ हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) : जी, हां। विज्ञान अध्यापकों की वर्तमान कमी को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदने सिफारिश की है कि कुछ चुने हुए विश्वविद्यालय केन्द्रों पर, जहां पूर्ण विकसित विज्ञान विभाग और शिक्षा विभाग हों, एक विशेष एक वर्षीय पाठ्क्रम प्रारंभ किया जाये। पाठ्यक्रम में विज्ञान के स्नातकों को दाखिला दिया जाए और 75 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएं। पाठ्यक्रम में, उम्मीदवारों को उनके अपने विषय में विशेषज्ञता के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान शिक्षण, प्रयोगात्मक कार्य, श्रव्य-दृश्य साधनों आदि की दक्षता और ज्ञान की जानकारी कराई जाए।

(ग) विस्तृत योजना तैयार हो जाने पर राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्रयोगशालायें

633. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् को विदेशी मुद्रा न दिये जाने के कारण राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के कार्य में गतिरोध पैदा हो रहा है ; और

(ख) क्या सामान्यत: राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को विदेशों से आवश्यक उपकरण खरीदने के लिये 'युनेस्को कूपन' लगभग दो वर्ष से बन्द कर दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : विदेशी मुद्रा की कमी होने के कारण, अनसन्धान तथा विकास सम्बन्धी कई परियोजनाओं के काम पर कुप्रभाव पड़ा है।

(ख) दिल्ली स्थित युनेस्को मिशन वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को 'यूनेस्को कूपन' दे रहा था, किन्तु सितम्बर, 1963 के पश्चात् उक्त मिशन ने कूपनों की बिक्री बिल्कुल बन्द कर दी और तब से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के लिए कोई भी 'यूनेस्को कूपन' उपलब्ध नहीं हुआ है ।

राज्यों में सतकर्ता आयोग

634. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिन में अब तक सतकर्ता आयोग स्थापित किये जा चुके हैं ;

(ख) उन राज्यों ने, जिन्होंनें प्रसिद्ध न्यायाधीशों अथवा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के सभापतित्व में सतकर्ता आयोग स्थापित करना सुविधाजनक नहीं समझा है, इसके क्या कारण बताये ह ;

(ग) क्या राज्य आयोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिये समान स्तर निश्चित करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो एक अच्छी और एक समान परिपाटी का कहां तक विकास किया गया है जिससे लोगों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र, ओरीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल ।

(ख) **जम्मू व काश्मीर** : राज्य सरकार ने जम्मू व काश्मीर सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार निरोध (आयोग) अधिनियम, 1962 के अधीन दो भ्रष्टाचार निरोध आयोग स्थापित किये हैं–एक राजपत्रित अधिकारियों के लिये और दूसरा अराजपत्रित अधिकारियों के लिये । केन्द्रीय सतकर्ता योजना के अन्तर्गत परिकल्पित अधिकांश कार्य इन आयोगों द्वारा किये जा रहे हैं ।

बिहार : राज्य सरकार ने एक भ्रष्टाचार निरोध बोर्ड बनाया है जिसमें केन्द्रीय सतकर्ता आयोग की सभी अनिवार्य क्षमताएं हैं ।

मद्रास : राज्य सरकार ने एक सतकर्ता तथा भ्रष्टाचार निरोध निदेशालय स्थापित किया है और सतकर्ता आयोग के निर्माण से पहले इस संगठन की अच्छी तरह चला लेना चाहते हैं ।

नागालैण्ड : राज्य सरकार ने एक सतकर्ता आयोग स्थापित करने का निश्चय किया है और ब्योरा तैयार कर रही है ।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय सतकर्ता आयुक्त राज्यों के सतकर्ता आयुक्तों से सम्पर्क रख रहे हैं और उनके साथ सामान्य समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं । बंगलौर में सतकर्ता आयुक्तों की बैठक

इस दिशा में एक और अगला कदम थी । लोक सेवा आयोगों जितनी स्वतंत्रता तथा स्वायतता रखने वाले सतकर्ता आयोगों की योजना का उद्देश्य जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करना है ।आशा की जाती है शनैः शनैः स्वस्थ तथा समान परम्पराओं का विकास होगा ।

अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिये छात्रवृत्तियां

635. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश में अध्यापकों को उच्चतर प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के लिये एक विशेष छात्रवृत्ति योजना आरंभ करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बाते क्या है ; और

(ग) यह योजना कब आरंभ हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

इलाहाबाद में विज्ञान शिक्षा संस्था

636. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान के योग्य अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिये सरकार इलाहाबाद में विज्ञान शिक्षा संस्था चलाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को शत-प्रतिशत अनुदान देने के लिये सहमत हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसको कितनी सहायता/अनुदान दिया जायेगा ; और

(ग) इस पर कुल कितना धन व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क)केन्द्र द्वारा प्रायोजित "माध्यमिक शिक्षा का सुधार" योजना के अधीन भारत सरकार योजना मे उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत एक विज्ञान शिक्षा संस्था स्थापित करने के लिए 1964-65 तथा 1965-66 के दौरान शत प्रतिशत व्यय वहन करने के लिए सहमत हो गई है। इसका मुख्य उद्देश्य विज्ञान के अध्यापकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन के स्तरों को ऊंचा उठाने का है। राज्य सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने इलाहाबाद स्थित इस एकक को एक संस्था के रूप में इस वर्ष को प्रारम्भ में अर्थात् फरवरी, 1965 में बदल दिया है।

(ख) और (ग): 1965-66 के दौरान इस विज्ञान संस्था को चलाने के लिए 46,500·00 रुपये की धनराशि दी गई है । 12 महीनों के लिए योजना में उल्लिखित अधिकतम् व्यय 62,000 रुपये था । वास्तविक व्यय के बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

विद्यार्थी परामर्शदाता ब्यूरो

637. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री प्रभात कार :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी परामर्शदाता ब्यूरो स्थापित करने का परामर्श दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों ने इस परामर्श को मान लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : चूंकि विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं, इस लिये इस मामले में विश्वविद्यालयों से सीधे बातचीत की गई थी और राज्य सरकारों को इस बातचीत के सम्बन्ध में जानकारी दी गई थी ।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

मिट्टी के तेल की कमी

638. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता नगर में मई में तथा जून 1965 के शुरू के दिनों में मिट्टी के तेल की भारी कमी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मिट्टी के तेल से भरे आठ तेलवाहक जहाज, काफ़ी समय तक बज बज बन्दरगाह पर खड़े रहे; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो स्थिति को सुधारने के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायन कबिर): (क) इस अवधि में पश्चिमी बंगाल से मिट्टी के तेल की कमी की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्लेनेटेरियम

639. श्री विश्वनाथ पाण्डय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र में प्रथम प्लेनेटेरियम स्थापित करने का विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो कब और कहां, और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली में एक छोटे तारा-घर की स्थापना अब तक हो चुकी है । फिलहाल सरकारी क्षेत्र में कोई दूसरा प्लेनेटेरियम स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में तारा-घर के विशेष भवन के संस्थापन में 55,732 रुपए व्यय हुए । तारा घर जर्मन डिमौक्रटिक रिपब्लिक द्वारा 1955 में भेंट स्वरूप दिया गया था ।

स्वयंसेवी संस्कृत संस्था को सहायता

640. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सरकार ने स्वयंसेवी संस्कृत संगठनों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर बड़े पैमाने पर संस्कृत का प्रचार करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर कितना व्यय किया जायेगा : और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के लिए 7 लाख 50 हजार रुपये कि व्यवस्था की गई है।

(ग) निम्नलिखित किसी एक अथवा अधिक कार्यों के लिए अधिक से अधिक कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक की धनराशि स्वयं-सेवी संस्कृत संकठनों/संस्थाओं आदि को अनुदानों के रुप में दी जाती है :

(क) नई संस्थाओं/पाठशालाओं की स्थापना तथा/अथवा संस्थाओं/पाठशालाओं को चलाये रखने/विकास करने के लिए ।

(ख) संस्कृत कक्षाएं चलाना ।

(ग) संस्कृत प्रचारकों का प्रशिक्षण तथा नियुक्ति ।

(घ) संस्कृत पूस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना, उन्हें चलान तथा सूदृढ़ करने के लिए।

(ङ) संस्कृत प्रचार के लिए उपकरण का खरीद ।

(च) प्रमुख संस्कृत विद्वानों के प्रवचन, संस्कृत वाद-विवाद प्रतियोगिता, संस्कृत नाटक आदि का आयोजन।

(छ) संस्कृत भाषा के माध्यम से द्विभाषी शब्दकोषों को तैयार करना।

(ज) संस्कृत पाण्डुलिपियों का संकलन तथा प्रकाशन ।

(झ) संस्कृत पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन और उनके विषय तथा स्तर को कायम रखना और बढ़ाना।

(ट) संस्कृत का अध्ययन करनें वाले छात्रों के लिए पुरष्कार निर्धारित करना।

(ठ) इमारतों का निर्माण, इमारतों की मरम्मत अथवा इमारतों का विस्तार।

(ड) मान्य संस्कृत सम्मेलनों का आयोजन ।

(ढ) संस्कृत में अनुसंधान ।

(ण) अन्य कोई भी कार्य जो संस्कृत की समृद्धि प्रचार तथा विकास में सहायक सिद्ध हो।

औद्योगिक विष-विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र

641. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् ने लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक विष-विज्ञान में अनुसन्धान के लिये एक केन्द्र खोलने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा इस पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला):(क), (ख) और (ग): ऐसा एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश में स्कूल-होस्टल

642. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 में उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में स्कूल-होस्टल बनाने के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकार

643. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने अब तक कितनी भूमि अर्जित की है ;

(ख) इस भूमि का कितना मूल्य है ;

(ग) जिन लोगों से भूमि अर्जित कि गई है उन्हें दिये जा रहे ब्याज के रूप में कितनी हानि हो रही है ; और

(घ) क्या इसका कोई हिसाब लगाया गया है कि भूमि अर्जित करने और उसमें बड़ी राशि के फंस जाने के कारण दिल्ली प्रशासन को कितनी हानि उठानी पड़ रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा कोई भूमि अर्जित नहीं की गई । दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिये 30 जून, 1965 तक 20,616 एकड़ भूमि अर्जित की है ।

(ख) उपरोक्त 20,616 एकड़ में से 10,888 एकड़ पहले ही विभिन्न संस्थाओं को दिल्ली में बड़े पैमाने पर भूमि-अधिग्रहण, विकास तथा निपटान के अनुरूप आवंटित की जा चुकी है। भूमि अधिग्रहण समाहर्ताओं के हिसाब से शेष 9,728 एकड़ भूमि का मूल्य लगभग 9.72 करोड़ रुपये है ।

(ग) जिन लोगों से भूमि अर्जित की गई है उनको दिये जाने वाले ब्याज के रूप में कोई हानि नहीं हो रही क्योंकि भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजा दे दिया जाता है ।

(घ) कोई हानि नहीं उठायी जा रही । अबतक दिल्ली प्रशासन ने लगभग 55,000 एकड़ भूमि को अधिसूचित किया है । यह भूमि दिल्ली की मास्टर प्लान की शहरी सीमाओं में आती है । इस भूमि का अधिग्रहण किया जाना है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के अधीन इसे अनिश्चित काल के लिये नहीं छोड़ा जा सकता । यदि प्रशासकीय कार्यवाही अथवा न्यायालय की आज्ञा से इस भूमि को निरधिसूचित किया गया तो सरकार को बाद में भूमि अधिग्रहण करते समय बहुत ऊंचे दाम देने पड़ेंगे ।

Exploration of Oil in Bay of Bengal

644. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the exploration of oil has started in the Bay of engal;

(b) if so, with whose collaboration; and

(c) the amount of foreign exchange likely to be spent?

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : (a) Seismic exploration for oil in the area off the Coromandel Coast in the Bay of Bengal was started in September, 1964.

(b) The seismic exploration work is being carried out by a Soviet seismic survey ship under a contract between the Oil & Natural Gas Commission and V/O. Technoexport, Moscow.

(c) It is likely to be of the order of Rs. 34 lakhs payable from Indo-Soviet Credit arrangements.

मनीपुर में विद्रोही नागाओं द्वारा लूटमार तथा अपहरण

645. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री बड़े : **श्री गोकुलानन्द महन्ती :**
श्री बृजराज सिंह : **श्री हेडा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मनीपुर के मुख्य मंत्री द्वारा 31 मई, 1965 को दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भूमिगत नागा शांति मिशन के साथ हुए समझौते का लाभ उठा कर और आधुनिक तथा घातक हथियारों से युक्त होकर मनीपुर के कुछ भागों में लूटमार, अपहरण तथा बलात् धन वसूल कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) बलात् धन एकत्रित करने और अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। भूमिगत नागा नेताओं से इस बात पर विरोधप्रकट किया गया है की शांति समझोते के लिये किय गए समझौते का खण्डन किया गया। यह बात शांति मिशन के ध्यान में भी लाई गई है।

मिट्टी के तेल तथा अन्य तेलों को सस्ते मूल्यों पर देने का प्रस्ताव

646. **श्री च० का० भट्टाचार्य :** **श्री राम सेवक :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्री फ० गो० सेन :**

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वैस्टर्न आयल कम्पनी ने मिट्टी का तेल, डीज़ल तथा भट्टी-तेल उन मूल्यों से बहुत सस्ते मूल्यों पर देने की पेशकश की है जो अन्य साधनों से तेल खरीदने पर देने पड़ते हैं ;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी का नाम क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायुन् कबिर) : (क) जी हां ।

(ख) इस समय कम्पनी का नाम बताना जनता के हित में नही है ।

(ग) विमान टरबाइन ईंधन (Aviation Turbin fuel) से सम्बन्धित पेशकश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और आयात शुरू हो गया है ।

आदर्श पाठ्य पुस्तकें

647. श्री सुबोध हंसदा :

श्री स० चं० सामन्त :

श्री महेश्वर नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुसंधान परिषद् द्वारा आदर्श पाठ्य पुस्तकें तैयार करने में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) क्या कोई पाठ्य पुस्तकें पूरी और प्रकाशित हो गयी हैं , और

(ग) ये आदर्श पाठ्य पुस्तकें कब लागू की जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) : उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिये हिन्दी गद्य और कविता की दो पुस्तकें तथा प्राणी विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के दो सन्कलन प्रकाशित हो गये हैं और समस्त राज्य सरकारों को परिचालित कर दिये गये हैं । शेष पुस्तकें तैयार हो रही हैं और आशा की जाती है कि इस चालू वर्ष के अन्त तक तैयार हो जायेंगी ।

(ग) हिन्दी तथा प्राणि विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बोर्ड से संबंधित समस्त विद्यालयों के लिये स्वीकृत की गई है ।

शरणार्थी शिविरों में अनुशासन

648. श्री स० मो० बनर्जी : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न शिविरों में रहने वाले कितने शरणार्थियों को मई, जून, और जुलाई 1965 में, उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप नकद बेकारी अनुदान नहीं मिला ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : 40 परिवारों के मामले में उनके विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही के फलस्वरूप उनका नकद बेकारी अनुदान बन्द कर दिया गया है ।

केरल की राजधानी हटाना

649. श्री मुहम्मद कोया :

श्री रघुनाथ सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कालीकट के नागरिकों की एक बैठक में पारित संकल्प की प्रति मिली है जिसमें केरल की राजधानी को त्रिवेन्द्रम से हटा कर किसी अन्य केन्द्रीय स्थान पर ले जाने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां।

(ख) 1-11-56 को केरल राज्य के निर्माण के समय से राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम में रही है जहां कार्यालय तथा रिहाइशी भवनों की सुविधाएं हैं। इसे कहीं और बदलने का कोई विचार नहीं है।

कोयला ब्रिकेट

650. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या **शिक्षा** मंत्री 23 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 641 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद के समीप जोलगोरा स्थित केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था द्वारा धातुकार्मिक प्रयोग के लिये तयार किये गये कोयला ब्रिकेटों के उचित धमन-भट्टी परीक्षण कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों का क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

काजी नजरूल इस्लाम की रचनायें

651. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या काजी नजरूल इल्लाम की सम्पूर्ण रचनाओं को संकलित करके प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है, जैसा कि पाकिस्तान सरकार ने किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान प्रतिलिप्यधिकार के प्रतिबन्धों से बचने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

गृह कल्याण केन्द्रों द्वारा शिक्षा

652. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 31 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1787 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार गृह कल्याण केन्द्रों में मिडिल तथा मट्रिक की शिक्षा आरम्भ करने का है ताकि प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों को स्कूलों तथा अन्य संस्थाओं में नौकरी मिल सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना मिश्र) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब में माध्यमिक शिक्षा के लिये अनुदान

653. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964-65 और 1965-66 में पंजाब सरकार को माध्यमिक शिक्षा के लिये कितनी रकम के अनुदान तथा ऋण दिये गये हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : पंजाब सरकार को माध्यमिक शिक्षा में सुधार करने के लिये 1964–65 और 1965–66 के लिय क्रमश: 9,14,038 रु० और 29,97,500 रु० की राशि के अनुदान दिये गये हैं। इस अवधि में कोई ऋण नहीं दिया गया।

Gas Cylinders Near New Courts, Delhi

654. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a number of gas cylinders are lying near the new courts at Tis Hazari (Delhi);

(b) whether it has created a great danger to the lives of thousands of persons and to property worth crores of rupees; and

(c) the reasons for keeping these cylinders there?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L.N. Mishra) :(a) Yes.

(b) No. The cylinders are empty so there is no danger to life or property.

(c) These cylinders are the assets realised in a liquidation case. They are a valuable commodity as they are not manufactured in India. It was therefore thought desirable that these may be kept under the direct supervision of the Official Liquidator and the control of the court.

Government Employees' Cooperative Society

655. **Shri Bagri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the General Body meeting of the Central Government Employees Consumers' Co-operative Society, Ltd., New Delhi has not been convened so far;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the time by which this meeting is expected to be convened?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri L. N. Mishra) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c). The Chief Commissioner, Delhi Administration, has issued a Notification under the provisions of the Bombay-Co-operative Societies Act, 1925, as in force in the Union Territory of Delhi exempting the Society until 31-7-1966 from the operation of certain provisions of that Act, including the provision under which an Annual General meeting is required to be convened. Accordingly, the Annual General meeting of the Society is expected to be convened in the latter half of the year 1966.

कछार पहाड़ियों में नागाओं द्वारा छापा मारना

656. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

श्री पें० वेंकटसुब्बया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जून, 1965 को सशस्त्र विद्रोही नागाओं के एक दल ने यूनाइटेड मिकिर तथा उत्तरी कछार हिल्स में डोजोनबंग गांव पर छापा मारा ;

(ख) यदि हां, तो इस छापे के परिणाम स्वरूप कितनी क्षति हुई ; और

(ग) आसाम के समीपवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे छापों की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां।

(ख) नकद और बर्तन-कपड़ों आदि जैसी सम्पत्ति के रूप में लगभग 8 हजार रुपये लूटे गए। नैपालियों और कछारियों के 13 मकानों को आग लगा दी गई।

(ग) सुरक्षा के उपाय तथा सशस्त्र गश्त लागू किये गए और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को यथोचित रूप से सावधान कर दिया गया है।

अल्वाये में उर्वरक तथा रसायन कारखाना

657. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री पें० वेंकटासुब्बया :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **पैट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्वाये (केरल) में उर्वरक तथा रसायन कारखाने के सहायक कारखाने के रूप में एक अतिरिक्त उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कारखाने में कब तक उत्पादन होने लगेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेसन) : (क) और (ख) : कोचीन में एक अतिरिक्त उर्वरक प्लांट की स्थापना करने का निर्णय किया गया है तथा इसके लगाने की ज़िम्मेवारी उर्वरक तथा रसायन ट्रावनकोर लि० पर डाली गई है। आशा है कि प्लांट 1968–69 में उत्पादन करने लगेगा।

असैनिक राइफल प्रशिक्षण योजना

658. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री पें० वेंकटासुब्बया :

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

श्री मं० रं० कृष्ण :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पाकिस्तान के पास के सीमावर्ती जिलों में जनता को राईफल प्रशिक्षण देने की एक योजना स्वीकार कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) सरकार ने पाकिस्तान के पास सीमावर्ती जिलों के नागरिकों को विशेषरूप से राईफल प्रशिक्षण देने की कोई योजना स्वीकार नहीं की है। हां, लोक सभा के एक संकल्प के अनुसार सरकार द्वारा 1954 में शुरू की गई एक सिविलियन राइफल ट्रेनिंग योजना सारे देश में चल रही है।

(ख) इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार द्वारा थानों पर ·22 राइफलों से प्रशिक्षण दिया जायगा। राइफ़लें राज्य सरकारों की सम्पत्ति होंगी। योजना में भाग लेने वाले व्यक्ति नाममात्र का प्रवेश शुल्क देंगे किन्तु जो गोलियां वे प्रयोग में लायेंग उनकी पूरी लागत देंगे।

जीरीबाम सब-ट्रेजरी पर आक्रमण

659. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जून, 1965 अथवा उसके आसपास विद्रोही नागाओं के एक सशस्त्र दल ने मनीपुर के एक सब-डिवीजन जीरीबाम की सब-ट्रेजरी पर आक्रमण कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो आक्रमण का ब्यौरा तथा परिणाम क्या है ;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : 18 जून को रात के लगभग 10.25 पर लगभग 10 सशस्त्र बेट/पेट विद्रोहियों ने (न कि नागाओं ने) जीरीबाम सब-ट्रेजरी के पुलिस-रक्षकों पर आक्रमण किया। रक्षकों पर टार्चों का प्रकाश डाला गया और संतरी पर एक बार गोली चलाई गई। इसके बाद भिन्न दिशाओं से सब-ट्रेजरी पर दो गोलियां चलाई गई। रक्षकों ने जवाब में गोली चलाई। सहायक दल के आने पर उपद्रवी भाग गए। पुलिस ने लगभग 4 मील दूर फ़ेंतों तक उनका पीछा किया किन्तु उन्हें गिरफ्तार न कर सकी।

(ग) एक मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। नौ संदेहास्पद व्यक्ति, जिनमें एस० डी० ओ० जीरीबाम के कार्यालय का एक बच क्लर्क शामिल है, गिरफ्तार किये गए। एक बिना लायसेंस की एक नाली वाली ठस्सेदार बंदूक उसके पास से बरामद हुई है।

Looting in Rajasthan by Pakistanis

660. **Shri P. L. Barupal :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the extent of loss caused as a result of looting by the Pakistanis in the border villages of Barmer (Rajasthan) during the period from 1st January to 31st July, 1965;

(b) the number of persons killed and the number of houses destroyed;

(c) whether Government have taken any measures for the security of this border area; and

(d) whether the Government of Pakistan have been addressed to pay compensation for the damage caused?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) to (d). Necessary information is being collected and the same will be placed on the Table of the House as soon as possible.

जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा (आई०ए०एस०) के अधिकारी

661. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा के ऐसे कितने अधिकारी नियुक्त हैं जो उस राज्य के निवासी नहीं है; और

(ख) वे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में किन-किन पदों पर तथा कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) बारह।

(ख) मांगी गई सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम संख्या	पद	सेवाकाल की अवधि
1	2	3
1.	मुख्य सचिव	अनिर्धारित
2.	खंड आयुक्त, जम्म	
3.	योजना आयुक्त और अतिरिक्त मुख्य सचिव	
4.	खण्ड आयुक्त, श्रीनगर	
5.	उप आयुक्त, श्रीनगर	
6.	उप आयुक्त, अनंतनाग	
7.	उप आयुक्त, पुंछ	
8.	उप आयुक्त, लद्दाक	
9.	उप आयुक्त, जम्म	
10.	उप सचिव, खाद्य सम्भरण तथा परिवहन विभाग	
11.	उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग	
12.	सहायक आयुक्त, अनंतनाग	

स्वर्गीय पंडित नेहरू की बरसी

662. **श्री हेडा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 मई को देश के नेता जवाहरलाल नेहरू की बरसी मनाने के लिये कोई सरकारी कार्यक्रम बनाया गया था ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई वार्षिक कार्यक्रम निश्चित कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां। स्वर्गीय प्रधान मंत्री की बरसी मनाने के लिये निम्निलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

(एक) 26 मई की शाम को राष्ट्रपति ने रेडियो पर राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया।

(दो) 27 मई की सुबह को शांति वन में एक विशेष समारोह किया गया जिसमें राष्ट्रपति ने भी भाग लिया।

(तीन) तीन मूर्ति स्थित नेहरू स्मारक संग्रहालय में स्वर्गीय प्रधान मंत्री के जीवन के अन्तिम दो वर्षों के कार्य से संबंधित फोटो का प्रदर्शन किया गया था ;

(चार) शिक्षा मंत्रालय द्वारा समाजवाद, प्रजातन्त्र और धर्मनिर्पेक्ष पर परिसंवाद आयोजित किया गया।

(ख) भविष्य के लिये सरकार की नीति यह होगी कि पंडित जवाहर लाल नेहरु जन्म दिवस सरकारी तथा गैर-सरकारी तत्वाधान में बहुत अच्छे तरीके से मनाया जायेगा।

भिंड और मुरैना का समेकित विकास

663. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :**

श्री अ० सिं० सहगल : **श्री वाडीवा :**

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत संसाधनों का समेकित विकास करने के लिए भिण्ड और मुरैना क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी): (क) और (ख) : पुनर्वास मंत्रालय की एक छोटी तकनीकी टीम इन दो जिलों में चम्बल के तंग घाटी क्षेत्रों में हाल ही में गई थी। टीम का उद्देश्य विस्थापितों को बसाने के सम्बंध में इन क्षेत्रों के शीघ्र सुधार के मूल्यांकन की खोज करना था। टीम ने यह सूचित किया है कि इस क्षेत्र में विस्थापितों को बसाने की बहुत कम संभावना है।

मध्य प्रदेश में शरणार्थियों का पुनर्वास

664. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** **श्री वाडीवा :**

श्री अ० सिं० सहगल : **श्री चाण्डक :**

श्री यशपाल सिंह : **श्रीम ी मिनिमाता :**

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग दस महीने पहले पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को बसाने के लिये आठ औद्योगिक योजनायें प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी): (क) से (ग) : पूर्वी पाकिस्तान से आये 7,025 नये विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में, मध्य प्रदेश सरकार ने सितम्बर, 1964 में 14.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्ताव निम्नलिखित उद्योगों के स्थापित करने के बारे में भेजे थे :—

उद्योग का नाम	धन की लागत (रुपयों में)	रोजगार संभाव्य
1	2	3
(क) बगदा-तावा में सीमेंट फैक्ट्री . . .	1,50,00,000	900
दमोह में सीमेन्ट फैक्ट्री . . .	1,50,00,000	900
विलासपुर में सीमेंन्ट फैक्ट्री . . .	1,50,00,000	900
(ख) बेतुल में चीनी मिल	1,50,00,000	750
(ग) सरगुजा तथा बस्तर में कताई तथा बुनाई के कारखाने	1,50,00,000	1,500
(घ) मोरेना में फर्टेलाइज़र प्लान्ट . .	49,00,000	200
तावा में एलेक्ट्रीकल टुयूब लेम्पस यूनिट . . .	19,00,000	275
(च) माण्डला में हार्ड बोर्ड फैक्ट्री	94,00,000	400
(छ) बस्तर में पेपर तथा पल्प निर्माण खण्ड . . .	5,25,00,000	900
(ज) पन्ना में पेपर बोर्ड फैक्ट्री	35,00,000	300
	14,72,00,000	7,025

प्रस्ताव के साथ संभाव्य रिपोर्टस भी थीं। संभाव्य रिपोर्टस भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों को छान-बीन के लिये भेज दी गई थीं।

2. सम्बन्धित योजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्न में दी जाती है :—

(1) बगदा-तावा में सीमेंट फैक्टरी
दमोह में सीमेंट फैक्टरी
बिलासपुर में सीमेंट फैक्टरी

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वे दण्डकारण्य में जगदालपुर के निकट, अग्रता आधार पर एक अच्छी बड़ी सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत सीमेन्ट निगम को मनाये। इसको ध्यान में रखते हुए, मध्य प्रदेश में और सीमेन्ट फैक्ट्री स्थापित करना कठिन है।

(2) बेतुल में चीनी मिल

तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम अप्रैल, 1965 में क्षेत्र में गई थी। उन्होंने अवलोकन किया है कि यदि सिंचाई सुविधायें दी जायें तो क्षेत्र ईख की खेती के लिये उपयुक्त है। टीम की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गई थी, राज्य सरकार सिंचाई सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ प्रस्तावों पर विचार कर रही है।

(3) मोरेना में खाद प्लान्ट

यह जानकारी प्राप्त हुई है कि सिंगल सुपरफास्फेट में अतिरिक्त क्षमता के स्थापित करने की गुंजाईश नहीं है।

(4) सरगुजा तथा बस्तर में कताई तथा बुनाई के कारखाने

जगदालपुर, दण्डकारण्य में कताई मिल स्थापित करने के सम्बन्ध में पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं। सरगुजा में कताई मिल के प्रस्ताव पर तब ही विचार किया सकता है यदि राज्य सरकार पूंजी लगाने के लिये तैयार हो।

(5) तावा में एलेक्ट्रिकल ट्युब लैम्प यूनिट

यह विचाराधीन है।

(6) हार्ड बोर्ड मैनुफैक्चरिंग खंड-तावा

रोजगार संभाव्य का अनुमान केवल 150 है। इसके अतिरिक्त प्लान्ट तथा मशीनरी के आयात के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में कठिनाई होगी।

(7) बस्तर में पेपर तथा पल्प मैनुफैक्चरिंग यूनिट

बस्तर में पल्प निर्माण खण्ड स्थापित करने के सम्बन्ध में इन्द्रावती यात्री बेसिन में औद्योगिक समूह के विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विचार किया जा रहा है।

(8) पन्ना में पेपर बोर्ड फैक्ट्री

योजना वर्तमान रूप में आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है।

3. ऊपर दिये गये तथ्य राज्य सरकार को सूचित कर दिये गये हैं। उनको यह भी सूचित कर दिया गया है कि नये विस्थापितों को बसाने के लिये पुनर्वास मंत्रालय केवल उन उद्योगों के स्थापित करने का उत्तरदायित्व ले सकता है, जिनके स्थान यदि, (क) दण्डकारण्य, (ख) अन्य 'विशेष क्षेत्र' जिनके विकास के लिये पुनर्वास मंत्रालय की जिम्मेदारी है या (ग) उन क्षेत्रों में जहां कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले नये विस्थापित अधिक संख्या में हों, में पाये जायें।

कपड़ा काटने की मशीनों का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा

665. श्री अ० सि० सहगल :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीवा :
श्री चांडक :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस की वर्दियों को सीने के लिये कपड़ा काटने की मशीनें आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा नियत करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें विदेशी मुद्रा की मंजूरी के बारे में सरकार की स्वीकृति की सूचना भेज दी गई है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के सेवा नियम

666. डा० राम मनोहर लोहिया :

श्री किशन पटनायक:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के डायरेक्टर या अन्य वैज्ञानिकों का 65 वर्षकी आयु के बाद सेवा काल न बढ़ाने का कोई नियम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह नियम कब बना था ; और

(ग) क्या इस नियम के लागू होने के बाद किसी वैज्ञानिक का सेवा काल बढ़ाया गया है या बढ़ाया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) जी, हां।

(ख) यह नियम 21 जनवरी 1963 से लागू है।

(ग) इस नियम के लागू होने के पश्चात् किसी वैज्ञानिक के सेवा काल की 65 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि नहीं की गई।

अफ्रीकी देशों के साथ सांस्कृतिक करार

667. श्री रवीन्द्र वर्मा :

श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पिछले तीन वर्षों में किन्हीं अफ्रीकी देशों से सांस्कृतिक करार किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं तथा करार के अन्तर्गत क्या कार्यक्रम निश्चित किये गये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड

668. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत और श्रीलंका के अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड ने बिहार के मगध, भागलपुर तथा रांची विश्वविद्यालयों को इस बोर्ड के सदस्य के रूप में स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है ;

(ख) क्या बोर्ड ने अस्वीकृति का कारण यह बताया है कि इन विश्वविद्यालयों में वास्तविक स्वायत्तता तथा समुचित शिक्षा स्तरों का अभाव है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि इन विश्वविद्यालयों का कार्य-संचालन किस प्रकार होता है जिसके कारण कि इस प्रकार की आलोचना हुई है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) (क) और (ख): इन विश्वविद्यालयों संबंधी निरीक्षण समितियों के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् अन्तविश्वविद्यालय बोर्ड ने यह संकल्प किया है कि बोर्ड के सदस्य बनाने से पूर्व वह कुछ और वर्षों के लिये इन विश्वविद्यालयों के कार्य को देखेगा। इन मुख्य कारणों से संकल्प पारित किया गया है :—

1. सिनेट का विशाल आकार और विश्वविद्यालय के कार्य-संचालन का नियंत्रण करने के लिये इसकी विशाल शक्तियां ।

2. विश्वविद्यालय के संविधान में विद्या संबंधी परिषद का न होना।

3. 'सिंडीकेट' में, जो कि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी निकाय है, विश्वविद्यालय के अध्यापकों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व ।

4. विश्वविद्यालय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बड़ी शक्तियों का प्रयोग जिसमें बड़ी संख्या में नामनिर्देशित सदस्य हैं।

5. अध्यापकों की भर्ती के लिये राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा पेचीदा प्रक्रिया का अपनाया जाना।

6. प्राइवेट उम्मीदवारों के दाखले के लिये निवास संबंधी प्रतिबन्ध नियमों में नर्मी।

(ग) जी नहीं। इस मामले की जांच करना राज्य सरकार का काम है।

चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पोलिटैक्निक कालिजों में स्थान

669. **श्री बासप्पा :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ के चिकित्सा, इंजीनियरिंग और पौलीटैक्निक कालेजों के विद्यार्थियों के लिये मैसूर सरकार द्वारा रक्षित स्थानों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं।

(ख) स्थानों की उपलब्धि के बारे में मैसूर सरकार द्वारा गोआ सरकार को बहुत देर से सूचना दी गई। गोआ में एक पोलिटैक्निक भी है। इसलिए, इस स्तर पर अन्य राज्यों में स्थानों को रक्षित रखना आवश्यक नहीं है ।

लोगों को बसाने के लिये औद्योगिक योजनायें

670. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग 10,000 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के लिये बहुत सी बड़ी औद्योगिक योजनायें स्वीकार की गयी हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं पर कितना खर्च होगा; और

(ग) इनमें से कितनी योजनायें आसाम में बसे शरणार्थियों के लिये उद्योग स्थापित करने के लिये आयोजित की गई हैं तथा उन पर कितना खर्च होगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) : 2,727 नये विस्थापितों को रोजगार देने के लिये 24 औद्योगिक योजनायें स्वीकार की जा चुकी हैं।

स्वीकार की गई योजनाओं का मुख्य ब्योरा सभा पटल पर रखा जाता है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4619/65)**

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा बहुत सी औद्योगिक योजनायें तैयार की गई हैं जो विचार तथा छान-बीन के विभिन्न पहलुओं में हैं किन्तु इस अवस्था में इन योजनाओं के रोजगार संभाव्य का सही अंदाजा लगाना संभव नहीं है।

(ग) आसाम में 590 शरणार्थियों को रोजगार दिलाने के लिये 3.41 लाख रुपये की लागत से दो औद्योगिक योजनायें अब तक मंजूर की गई हैं।

मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक

671. **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री शिवदत्त उपाध्याय :
श्री वाडीवा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिक विद्यालयों के 6,000 अध्यापकों की नियुक्ति के लिये केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के संसत्सदस्यों को दिये गये अपने आश्वासन से मध्य प्रदेश सरकार को अवगत करा दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह मध्य प्रदेश सरकार को कब बताई जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

तोहोपारा पहाड़ी आदिम जाति क्षेत्र

672. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के जलपाइगुड़ी जिले के मदारीहाट पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत भूटान की सीमा पर स्थित तोहोपारा पहाड़ी जनजाति क्षेत्र और इसके थाना मुख्यालय के बीच कोई अच्छी सड़क नहीं है ;

(ख) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि हालांकि इसके लिये जनजाति कल्याण तथा कृषि अग्रिम परियोजनायें नियत की गई है परन्तु उनके कार्यालय अभी चालू नहीं हुए हैं ; और

(घ) क्या वहां पर कोई डाकघर, दवाखाना अथवा सस्ती राशन की दूकान नहीं है ?

गृहकार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) : जी नहीं। एक पुरानी टेढ़ी मेढ़ी छकड़ा गाड़ी की सड़क को जो तोहोपारा पहाड़ियों की मदारीहाट थाने के साथ मिलाती है 20 फुट चौड़ाई में सीधे बांध कर दोबारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं। जन जाति कल्याण कार्यालय तथा कृषि कार्यालय दोनों ही अच्छी सेवा कर रहे हैं।

(घ) इस क्षेत्र में कोई डाकखाना नहीं है। मदारीहाट चल-चिकित्सा यूनिट के चिकित्सा आधिकारी को सप्ताह में कम से कम एक बार तोहोपारा जाने की हिदायतें हैं।

राशन की एक दुकान खोलने के लिये कदम उठाये गए हैं।

हड़प्पा सभ्यता के अवशेष

673. **डा० महादेव प्रसाद :**

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

श्री राम हरख यादव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजकोट जिले में पलजान में हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भावनगर जिले में हथाब में एक अन्य प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं ; और

(ग) क्या यह पता लगा है कि वे किस सभ्यता से सम्बन्ध रखते हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) राजकोट से सात मील की दूरी पर पाल में (पालगान में नहीं) एक छोटे से टीले पर खुदाई करते समय हड़प्पा सभ्यता के केवल मिट्टी के बर्तन मिले हैं ।

(ख) भावनगर जिले में हथाब में सतह की खुदाई के दौरान लाल पालिश वाले बर्तन और घटिया लाल बर्तन मिले हैं ।

(ग) प्रमाण इतना कम है कि कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।

Fertiliser Factory, Gorakhpur

674. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Petroleum** and **Chemicals** be pleased to state:

(a) the progress so far made in establishing the Fertilizer Factory at Gorakhpur; and

(b) when the factory is likely to start production?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri Alagesan) : (a) The progress so far made by the Fertilizer Factory at Gorakhpur is as follows :

Orders for purchase of plant and machinery for the factory have been placed and a substantial portion has been received at site. The contract for execution of the factory civil works has been finalised and the construction will start during this month. The contract for the execution of the plant is being finalized. 205 quarters in the township have been completed and will be occupied by the end of August, 1965. Contracts for further 372 quarters and some of the public buildings have been awarded and the construction is in hand.

(b) It is expected that the construction of the factory and erection of the Plant and machinery will be completed by November/December, 1967 and the factory will go into production in April/May, 1968.

Standardisation of Hindi Books

675. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the books published by the Central Hindi Directorate so far, year-wise; and

(b) the method adopted for selection and finalising these standard books?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) A list of books in Hindi published by the Central Hindi Directorate either directly or in collaboration with the academic bodies, publishers etc. under the various schemes is placed on the table of the House. [**Placed in Library. See No. LT.-4620/65**].

(b) The selection of standard books is made on the recommendations of Expert Committees specifically set up for this purpose which comprise of eminent scholars and professors in the subjects concerned.

Commission for Scientific and Technical Terminology

676. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it has been decided to re-organise the Commission for Scientific and Technical Terminology;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether this Commission will function independent of the Central Hindi Directorate?

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). The Commission for Scientific and Technical Terminology which started functioning in 1961 was attached to the Central Hindi Directorate for providing necessary Secretariat assistance. As a result of the recent review of the progress of work done by the Commission, it was found that the Commission and the Directorate were somewhat hampered in their work, due to a combined Secretariat under the existing set up. It has accordingly been decided to separate the Commission from the Directorate and to provide the former with whole-time staff under its direct control.

Apart from the evolution of technical terminology in Scientific and technical subjects, the Commission will also implement the scheme of original writings and translations and standard works for use in the Universities, preparation of manuals on various scientific and technical dictionaries and publication of a journal of scientific and technical terminology.

Arrest of Pak Nationals

677. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that two Pakistani nationals were arrested at Amritsar on the 27th June, 1965 ;

(b) if so, the law under which they were arrested; and

(c) whether any objectionable material was also recovered from them?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

शरणार्थियों को दिया गया ऋण

678. **श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1964 के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली में अब तक कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार इस हानि का कितना कितना भाग वहन करेंगी ;

(ग) ऋणियों की मृत्यु हो जाने अथवा उनके भाग जाने के कारण ऋण की कितनी राशि को बट्टे खाते में डालना पड़ा; और

(घ) इस हानि को कम से कम करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से आये नये विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में 1964-65 में राज्य सरकारों को दिये गये ऋण के मूलधन की किश्तों की वापसी अदायगी का अभी नियत समय नहीं हुआ है क्योंकि इन ऋणों का सामान्य विलम्ब-काल 1 वर्ष से 3 वर्ष है। इस लिये इस अवस्था में इन ऋणों की वसूली में हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) प्रथम जनवरी, 1964 तथा उसके बाद आने वाले विस्थापित के पुनर्वास के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिये गये ग्रामीण, शहरी तथा गृह निर्माण ऋणों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल हानि को वहन करने का निर्णय किया जा चुका है ।

(ग) ऋणियों की मृत्यु हो जाने अथवा उनके भाग जाने के कारण ऋण की राशि को बट्टे खाते में डालने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(घ) बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि की हानि को कम करने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(1) दिये गये ऋणों में से स्थायी परि संपत्तियां सरकार के पास गिरवी रखी जाती है और चल सम्पत्तियों (व्यापार में लगे सामान के अतिरिक्त) को सरकार जमानत के रूप में रखती है।

(2) ऋणियों को एक या दो जामिन प्रस्तुत करने पड़ते हैं। कुछ समय के बाद यदि ऋणी की मृत्यु हो जाती है या उसे खोजा न जा सके, तो गिरवी रखी हुई या जमानत के रूप में रखी हुई सम्पत्तियों के निपटारे के बाद, यदि आवश्यक हो तो ऋण की वसूली जामिनों से की जाती है।

समुद्र के नीचे एक घाटी का पता लगना

679. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य विभाग के भपृष्ठीय सर्वेक्षण अनुभाग ने हिन्द महासागर में अन्दमान समुद्र के नीचे एक विशाल घाटी का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां। सर्वेक्षण अमरीका के वाणिज्य विभाग के तत्वाधान में किया गया था।

(ख) समुद्र के नीचे की घाटी सुमात्रा द्वीप के किनारे से आरम्भ होती है और समुद्र के नीचे नीचे नार कोंडम द्वीप तक 600 मील लम्बी चली जाती है। चोटियों के बीच घाटी की औसत चौड़ाई 20 से लेकर 25 मील तक जाती है और निचले भाग में 5 से लेकर 10 मील तक। घाटी समुद्र की सतह से एक मील से अधिक गहराई पर है और घाटी का तल आधी मील से अधिक कुपांस और सिंधुपंक से ढका हुआ है।

बेतूल में चीनी मिल

680. **श्री राम सहाय पाण्डये :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से हाल ही में, आये शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये बेतूल में एक चीनी मिल खोलने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्योरा क्या है।

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख): पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को बसाने के लिये बेतूल ज़िले में जिस भूमि का सुधार किया जा रहा है उस भूमि पर ईख की खती करने के प्रश्न के साथ ही चीनी मिल की परियोजना सम्बद्ध है और इसके लिये सिंचाई सुविधायें भी आवश्यक हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई सुविधायें देने के बारे में कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। इन व्यवस्थाओं के पूर्ण होने पर ही चीनी मिल योजना के बारे में आगे विचार किया जायेगा।

बुनियादी शिक्षा नीति

681. **श्री मा० ल० जाधव :**

श्री जेधे :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बुनियादी शिक्षा संबंधी नीति में परिवर्तन करने का है ;

(ख) क्या लोकप्रिय नये शिल्प, जिनसे छात्र अपनी जीविका कमा सकते है, चालू किये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या प्राथमिक तकनीकी शिक्षा एक बुनियादी शिल्प के रूप में चालू की जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग): वर्तमान नीति में, आर्थात यह कि प्राथमिक शिक्षा को देश भर में यथाशीघ्र बुनियादी शिक्षा की पद्धति के अनुरूप बनाया जाये, परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है। वर्तमान बुनियादी स्कूलों को मज़बूत बनाया जायेगा। और उनका पूर्ण रूप से विकास किया जायेगा ताकि वे उच्च स्तर के प्रभावशाली बुनियादी स्कल बन सके। शेष प्राथमिक स्कूलों में उपयुक्त दस्तकारियां चलाई जायेंगी। प्रत्येक स्कूल के लिये उस दस्तकारी को चुना जायेगा जो वहां के स्थानीय वातावरण के अनुकूल हो और जिससे अधिक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होने की आशा हो। इस नीति के अन्तर्गत टेक्नॉलोजी और कृषि पर आधारित दस्तकारियों को भी गुंजाइश है।

मैसूर के उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीश

682. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय के लिये न्यायाधीशों की निर्धारित संख्या क्या है ;

(ख) उनमें से कितने स्थायी हैं तथा कितने स्थानापन्न रुप से काम कर रहे हैं ;

(ग) क्या न्यायालय का काम इतना बढ़ नहीं गया है जिसके लिये अधिक न्यायाधीश रखना आवश्यक हो गया है ; और

(घ) क्या राज्य सरकार तथा उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिये प्रस्ताव किये हैं ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) 14।

(ख) 12 स्थायी न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश ।

(ग) और (घ) : इस समय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के वेतनमान

683. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना ((गैर-स्नातक) प्रशिक्षकों को 95-3-131-4-155 रुपये का वेतन क्रम दिया जाता है जबकि दिल्ली के शिक्षा निदेशक द्वारा दिल्ली के स्कूलों में नियुक्त किय गये शारीरिक प्रशिक्षकों को 130 रुपये से आरम्भ होने वाला वेतनक्रम दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये गये प्रशिक्षकों के वेतनक्रम में वृद्धि करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) अगले वित्तीय वर्ष से राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को राज्य सरकारों / प्रशासनों में बदल देने का विचार है ।

राष्ट्रमण्डलीय युवक दल द्वारा भारत की यात्रा

684. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डलीय देशों की छात्राओं ने ब्यूटी कोचों में भारत की यात्रा करने की योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो वे लन्दन से कब चलेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्तदर्शन) : (क) और (ख): लग भग 200 विद्यार्थियों का एक दल, जिसमें लड़के और लड़किया दोनों हैं, ब्रिटेन और कुछ अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों से, पांच गाड़ियों में खुशकी के रास्ते भारत आ रहा हैं। यह दल 31 जुलाई, 1965 को लन्दन से रवाना हुआ था और आशा है कि 30 अगस्त को भारत पहुंच जायेगा ।

पेनसिलीन का मूल्य.

685. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **पेट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में पेनसिलीन के एक मेगा यूनिट का मूल्य एक रुपया है और विश्व बाजार में उसका मूल्य केवल आठ पैसे है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन): (क) प्रश्न में ब्यान किए गए एक मेगा यूनिट का 8 पैसे मूल्य विश्व बाज़ार में Sterile पेनसिलीन "जी" (G) की अधिक मात्रा में आयात मूल्य पर आधारित दिखाई देता है । इसके मुकाबले भारतीय उत्पाद का मूल्य 50 पैसे है, एक रुपया नहीं ।

(ख) देशी कच्चे माल की ऊंची दरें तथा भारतीय प्लाटों की कम क्षमता इसके मुख्य कारण हैं ।

नोह में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई

686. **श्री सोलंकी :**

श्री प्र० के० देव :

श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नोह में की गई पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई का अब विश्लेषण कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस): (क) अभी पूरी तरह विश्लेषण नहीं किया गया ।

(ख) अस्थायी तौर पर यह कहा जा सकता है कि खुदाइयों से यह पता चला है कि ईसापूर्व दूसरी सहस्राब्दि के प्रायः उत्तरार्ध से लेकर पहली ईसवी शताब्दि तक वहां पर पांच निरन्तर प्रक्रमों में अथवा कालों में लोग रहते थे ।

सरकारी उपक्रमों के अध्यक्ष के रूप में भूतपूर्व मंत्री

687. **श्री व० बा० गांधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे केन्द्रीय भूतपूर्व मंत्री (केन्द्रीय) हैं जो एक से अधिक सरकारी उपक्रमों/आयोगों और/अथवा न्यासों के अध्यक्ष हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है ; और

(ग) अधिकतम ऐसे कितने पदों पर एक ही भूतपूर्व मंत्री आसीन है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक ।

(ग) दो ।

गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में रोजगार

688. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **पट्रोलियम** और **रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वे व्यक्ति, जिनकी ज़मीनें ले ली गई हैं, गोरखपुर के उर्वरक कारखाने में नौकरियां देने के तरीके से बहुत असंतुष्ट हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को उन के योग्य होने पर भी इस कारखाने में नौकरियां नहीं दी जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उन व्यक्तियों को जिनकी ज़मीनें गोरखपुर के उर्वरक कारखाने के लिए अर्जन की गई हैं, नौकरी के रूप में दिये जाने वाले मुआवज़ें की उपेक्षा की गई है और III श्रेणी एवं IV श्रेणी के कर्मचारियों में पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व असन्तोषजनक है। इन शिकायतों की जांच की गई है तथा उन को तथ्यहीन पाया गया है। परियोजना में जिनकी ज़मीने ले ली गई हैं उनको नौकरी में तरजीह दी जाती है।

(ख) और (ग) : इस प्रकार का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

पूर्वी पाकिस्तान से आये व्यक्तियों का पुनर्वास

689. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

डा० रानेन सेन :

क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी अवशिष्ट समस्याओं को शीघ्र हल करने के लिये कोई ज्ञापन और/अथवा प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री त्यागी) : (क) और (ख) : पुराने विस्थापितों के पुनर्वास के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को 1-4-64 की अवधि से दिये जाने वाले ऋण की शर्तों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल से चर्चा की गई थी और केन्द्रीय सरकारने विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये ऋण की वसूली में होने वाली हानि के दो तिहाई भाग को सहन करने की अनुमति दे दी है। व्यवस्था के ब्योरे अब तैयार किये जा रहे हैं ओर इस बारे में औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी कर दिये जायेंगे।

अंशकालिक इंजिनियरी कालिज

690. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने इंजीनियरी कालेज हैं जो इंजीनियरी में अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम की शिक्षा दे रहे हैं ; और

(ख) क्या देश के कुछ अन्य कालेजों में भी ऐसी सुविधा देने के बारे में कोई योजना है ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु०क० ज़ागला) : (क) तीन।

(ख) जी, हां।

शिलांग सीमा पर विदेशियों की गिरफ्तारी

691. **श्रीमती लक्ष्मी बाई :**

श्री किन्दर लाल :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो विदेशियों को शिलांग की ढावकी सीमा पर एक भारतीय रक्षक की बन्दूक छीनने के अभियोग में गिरफ्तार किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच की गयी है और उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख): 23 जून, 1965 को एक आस्ट्रेलियाई और एक कनाडियन विद्यार्थी ढावकी ब्रिज पर तैनात संतरी पर आक्रमण करने के अपराध में ढावकी थाने के थानेदार द्वारा गिरफ्तार किये गए। वे एक बस द्वारा शिलांग से ढावकी होकर पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा कर रहे थे और जब भूस्खलन के कारण बस ढावकी ब्रिज के पास रुकी तब वे बुरी तरह शराब के नशे में चूर थे। बस से उतरने पर उन्होंने वहां तैनात संतरी से राइफल छीनने की कोशिश की थी और उस पर आक्रमण भी किया था। इसके बाद उनकी स्वास्थ्य परीक्षा की गई और उन्हें शराब के नशे में धुत तथा अपनी देखभाल करने में असमर्थ पाया गया।

(ग) इन विदेशियों पर 29 जून को मुकदमा चलाया गया और न्यायालय द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनके विरुद्ध अभियोग असंदिग्ध रूप से सिद्ध नहीं हो सका। उन्हें 30 जून को भारत की ओर की अंतिम सीमा चौकी तमाबिल पहुंचाया गया और सीमापार पूर्वी पाकिस्तान को भेज दिया गया।

लाजपत राय मार्केट, दिल्ली

692. श्री रा० बरुआ : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाजपत राय मार्केट, दिल्ली का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो दुकानें कब अलाट की जायेंगी ?

पुनर्वास मंत्री (श्री महावीर त्यागी) : (क) और (ख) : मार्केट का निर्माण दो भागों में होना था और कुल 889 दुकानें बनाई जानी थीं। पहला भाग पूरा हो चुका है और 462 दुकानें योग्य व्यक्तियों को अलाट कर दी गई थीं। दूसरे भाग का कार्य प्रगति पर है और 278 दुकानें बनाई जा चुकी हैं। यह दुकानें अलाट करने की प्रक्रिया में हैं। 149 दुकानों का निर्माण होना अभी शेष है।

भारतीय हाकी सन्घ को हुई आय

693. श्री रा० बरुआ : **श्री द्वारका दास मंत्री :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री बसुमतारी :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हाकी संघ को टोकियों ओलिम्पिक खेलों से इसे हुई आय तथा इस के द्वारा अर्जित की गइ विदेशी मुद्रा का हिसाब प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संघ के विरुद्ध कौन-से विशिष्ट आरोप लगाये गया हैं।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं।

(ख) अभी तक कोई नहीं।

भारत में संग्रहालय

694. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक विख्यात संग्रहालय-शास्त्री ने यह विचार व्यक्त किये हैं कि भारत में संग्रहालयों की संख्या बहुत ही कम है तथा देश की भारी जनसंख्या को देखते हुए ये पूर्णतया अपर्याप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि भारत में केवल 120 संग्रहालय हैं तथा उनमें से लगभग सभी में केवल कला सम्बन्धी तथा पुरातत्वीय वस्तुयें ही देखने को मिलती हैं जब कि आधुनिक वैज्ञानिक युग में तकनीकी सम्बन्धी संग्रहालयों की आवश्यकता है ; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे संग्रहालय बनाने का कोई विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) भारत सरकार को ऐसे किसी वक्तव्य का पता नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में लग भग 800 संग्रहालय हैं और जहां तक सरकार को पता है उनमें से कम से कम 12 टेक्नोलॉजिकल संग्रहालय हैं ।

(घ) जी, हां ।

विदेश भेजे गये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के विद्यार्थी

695. श्री विश्राम प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में कितने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये विदेश भेजे गये ; और

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों को क्रमशः भारत सरकार तथा विदेशों ने छात्रवृत्तियां दीं ?

शिक्षा मंत्रालय में सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हजरनवीस) :

(क)

1962–63	11
1963–64	12
1964–65	11
कुल	34

(ख) (1) भारत सरकार की छात्रवृत्तियां

1962–63	10
1963–64	9
1964–65	5
कुल	24

(2) अन्य देशों की छात्रवृत्तियां

1962–63	1
1963–64	3
1964–65	6
कुल	10

विदेशों का दौरा करने वाले दल

696. डा० सारादीश राय : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में कितने खेलकूद संगठनों ने विदेशों के दौरे के लिये मंजूरी मांगी ;

(ख) क्या इन दौरों की सिफारिश भारतीय खेलकूद परिषद् ने की थी ; और

(ग) ऐसे प्रत्येक दौरे के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई तथा यदि किन्हीं मामलों में विदेशी मुद्रा मंजूर की गई है, तो वे कौन कौन से थे ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (ग): अपेक्षित जानकारी विवरण में दि गई है जो सभापटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-4621/65]**

तेल की पाइप लाइन

697. श्री मधु लिमये :

श्री राम सेवक यादव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर–हल्विया बरौनी पाइप लाइन बनाने में कितने टन इस्पात प्रयोग हुआ है ;

(ख) इसमें से कितना इस्पात भारत के इस्पात कारखानों ने दिया ; और

(ग) कितना इस्पात आयात किया गया तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) इलैट्रिक रिज़िस्टइंग वेल्डिंग पाइप (Electric Resisting Welding Pipe) का 60160 मीटरी टन और हैवी वाल सीमलैस (Heavy Valve Seamless) पाइप का 1420 मीटरी टन।

(ख) इलैक्ट्रिक रिज़िस्टइंग वैलडिंग पाइप का 15000 मीटरी टन।

(ग) इलैक्ट्रिक रिज़िस्टइंग वैलडिंग पाइप का 45160 मीटरी टन और हैवी वाल सीमलैस पाइप का 1420 मीटरी टन पाइप। पाइप के इन मात्राओं के आयात में खर्च की गई विदेशी मुद्रा इलैक्ट्रिक रिज़िस्टइंग वैलडिंग पाइप के लिये डालर में 276 लाख रुपये के और सीमलैस पाइप के लिए 10.57 लाख रुपये के बराबर थी।

दिल्ली में अध्यापकों की नियुक्ति

698. श्री प० ला० बारुपाल : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी से 15 अगस्त, 1965 तक की अवधि में शिक्षा विभाग, दिल्ली के अधीन प्राइमरी, हायर सेकेन्डरी तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं में अध्यापकों के पद के लिये कितने प्रार्थनापत्र सीधे प्राप्त हुए तथा कितने पुरुष तथा महिला उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिये काम दिलाऊ दफ्तर से बुलाया गया ; और

(ख) शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त किये गये उम्मीदवारों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं तथा उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिनकी नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा है और उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख) :—

	पुरुष	स्त्री
1-1-65 से 15-8-65 तक प्रत्यक्ष प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	589	432
रोज़गार दफ्तरों द्वारा भेजे गये आदेष पत्र . .	1077	1319
भेंट के लिये बुलाये गये उम्मीदवार :—		
(एक) प्रत्यक्ष अभ्यार्थियों में से . . .	95	(स्नातकोत्तर)
(दो) रोजगार दफ्तरों द्वारा भेजे गये अभ्यार्थियों में से .	1077	1319
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों में से नियुक्त किये गये उम्मीदवार . . .	6	
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के वे उम्मीदवार, जिनकी नियुक्ति विचाराधीन है और जिनकी नियुक्ति अगस्त, 1965 तक हो जाने की आशा है . . .	3	

नोट :—ऊपर दिये गये आंकड़े उन स्कूलों के संबंध में हैं जो शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते है।

Sanskrit Vidyapeeth

699. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a scheme to make Sanskrit Vidyapeeth in Tirupathi (Andhra Pradesh) which is being run at present by All India Sanskrit Sahitya Sammelan, an institution of international importance for studies in Sanskrit, is under consideration; and

(b) if so, the nature of contribution to be made by Government along with the complete details of the scheme.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) :(a) & (b). The Kendriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati has been established by the Government of India and is managed by an autonomous body *viz.*, Kendriya Sanskrit Vidyapeetha Tirupati Society. There is no relation between the Vidyapeetha at Tirupati and the Akhil Bharatiya Sanskrit Sahitya Sammelan. The Kendriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, is already recognised in India and abroad as an Institute dealing with Sanskrit research and training in improved methods of teaching Sanskrit. The entire expenditure of this Vidyapeetha is borne by the Government of India. Since this institution was established as recently as 1962, emphasis at present is being laid on getting proper building for this institution.

Conference of Old Graduates of Aligarh Muslim University

700. **Shri Sarjoo Pandey :** **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Kindar Lal : **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether a Conference of the old graduates of Aligarh Muslim University was held at Lucknow on the 7th August, 1965;

(b) if so, whether the said Conference have sent any proposals to Government; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of Education (Shri M. C. Chagla) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the various resolutions passed by the Convention has been received.

(c) Government is of the view that the demands made in the various resolutions for action that should be taken by Government are not justified.

इंजीनियरी कालेज, त्रिपूरा

701. श्री बीरेन दत्त : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा के लिये एक इंजीनियरी कालेज की स्थापना के लिये स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक काम करने लगेगा ?

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां।

(ख) कालिज का उद्घाटन 15 अगस्त, 1965 को किया गया था। नियमित कक्षाएं सितम्बर, 1965 से प्रारम्भ हो जायेंगी।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

किरकी के उच्च विस्फोटक पदार्थ कारखाने (हाई एक्सप्लोसिव फैक्टरी) में विस्फोट

Shri Bade (Khargon) : I call the attention of the Minister of **Defence** to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported explosion in the High Explosives Factory at Kirkee on the 21st August, 1965 resulting in the death of 10 persons and injuries to others."

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री (श्री अ० म० थामस) : अध्यक्ष महोदय, 21 अगस्त 1965 को दिन के लगभग 10 बजे किरकी के उच्च विस्फोटक पदार्थ कारखाना की एक इमारत में एक गंभीर दुर्घटना हुई जिसमें एक उपप्रबन्धक तथा 2 सहायक फोरमैनों समेत 10 व्यक्ति मारे गये।

[श्री अ० म० थामस]

सैनिक विस्फोटक पदार्थ के मुख्य निरीक्षक को अदालती जांच करने का आदेश दिया गया है। इसमें तोड़-फोड़ अथवा किसी साज़िश का संदेह नहीं है।

इमारत और मशीनों को काफी नुकसान पहुंचा है। उत्पादन फिर से आरम्भ करने में अभी कुछ समय लगेगा। हम तत्सम्बन्धी अन्य उपाय कर रहे हैं। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि प्रतिरक्षा उत्पादन पर दुर्घटना का कोई असर नहीं पड़ने दिया जायेगा। मृत व्यक्तियों के परिवारों को मुआवज़ा देने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

Shri Bade : It appeared in the newspapers that a court of enquiry would be appointed to look into the causes of the accident and on the spot compensation would be given. Why there is a shift in Government's decision now?

श्री अ० म० थामस : सरकार की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है। समाचार पत्रों में यह निकला था कि सैनिक अधिकारियों ने जांच का काम अपने हाथ में ले लिया था।

Shri Yashpal Singh (Kairana) **:** There is public interest involved in this matter. We should be told whether this accident was the result of sabotage or negligence of anybody. The enquiry should entrusted to a High Court Judge. What are the views of the Government in this matter?

श्री अ० म० थामस : लापरवाही हुई है अथवा नहीं इसकी जांच विस्फोटक पदार्थों के मुख्य निरीक्षक द्वारा अवश्य ही की जायेगी। मैं ने लोक हित का उल्लेख इसलिये किया था क्योंकि यह बताना ठीक नहीं होगा कि किस महत्वपूर्ण वस्तु के उत्पादन पर असर हुआ है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it a fact that the accident took place in the process of experimentation of what is the amount of damage sustained?

श्री अ० म० थामस : इस कारखाने में आग बुझाने की व्यवस्था है। आग किस प्रकार लगी इसकी जांच की जायेगी। इसकी भी जांच की जायेगी कि क्या आग प्रयोग करते समय लगी। प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग के सचिव तथा आयुध कारखानों के निदेशक दुर्घटना स्थल पर गये हैं और वे आवश्यक जानकारी लाएंगे।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) **:** किरकी का कारखाना कितना पुराना है और क्या यह विस्फोट पहली बार हुआ है?

श्री अ० म० थामस : यह कारखाना काफी पुराना है। यह सौभाग्य की बात है कि ऐसी दुर्घटनाएं बहुत कम हुई हैं। इससे पहले दुर्घटना 1956 में हुई थी परन्तु वह इस कारखाने में नहीं हुई थी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) **:** कुछ समय पूर्व इसी प्रकार की एक दुर्घटना खमारिया में ऐसी ही इमारत में हुई थी। क्या यह दुर्घटना इस कारण हुई कि इस इमारत में मज़दूरों के लिये पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है; यदि हां, तो मजदूरों की सुरक्षा के प्रश्न पर जांच करने संबंधी समिति ने क्या सिफारिश की है?

श्री अ० म० थामस : अब जो दुर्घटना हुई है वह खमारिया में हुई दुर्घटना से बिल्कुल भिन्न है। मैं आश्वासन देता हूं कि ऐसे मामले में पूरी सावधानी बर्ती जाती है।

श्री दाजी (इन्दौर) **:** क्या सरकारी खर्चे पर मज़दूरों का बीमा किया हुआ था?

श्री अ० म० थामस : कुछ कर्मचारी उस बीमा योजना के अन्तर्गत थे, परन्तु मुझे ब्यौरे का पता नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : क्या मजदूरों की भर्ती करते समय पूरी छानबीन की जाती है ताकि तोड़ फोड़ की कार्यवाही न हो सके ?

श्री अ० म० थामस : जी हां।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या इस धारणा के लिये कुछ कारण हैं कि प्रतिरक्षा कारखानों में चीन समर्थक अथवा पाकिस्तान समर्थक तत्व हैं ; यदि हां, तो उनके उन्मूलन के लिये क्या उपाय किये गये है ?

श्री अ० म० थामस : यह एक व्यापक प्रश्न है। मैं बता चुका हूं कि हमें यह शक नहीं है कि इस मामले में कोई छलकपट की बात है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपूर) : माननीय मंत्री बिना जांच हुए यह किस आधार पर कहते हैं कि यह दुर्घटना तोड़फोड़ के कारण नहीं हुई थी ?

श्री अ० म० थामस : कुछ प्रत्यक्ष तथ्य हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : जनता में विश्वास पैदा करने के लिये क्या सरकार एक उच्च-स्तरीय न्यायिक जांच समिति नियुक्त करना चाहती है ?

श्री अ० म० थामस : सरकार समझती है कि जांच के लिये जो व्यवस्था की गई है वह काफी होगी।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijor) : Has Government taken safety measures in other ordnance factories?

श्री अ० म० थामस : मैं बता चुका हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : ऐसी दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये सरकार क्या पूर्वोपाय कर रही है ?

श्री अ० म० थामस : इस संबंध में व्यापक नियम हैं और माननीय सदस्य कारखानों में जा कर स्वयं देख सकते हैं।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : मैं श्री मु० क० चागला की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभापटल पर रखता हूं :

(1) प्रौद्योगिकीय संस्था अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) वर्ष 1963–64 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, दिल्ली, के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन। **(पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4607/65)**

[श्री हाथी]

(दो) वर्ष 1963–64 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, कानपुर, के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4608/65)**

(तीन) वर्ष 1963–64 के लिये भारतीय प्रौद्योगिकीय संस्था, बम्बई, के प्रमाणित लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4609/65)**

(2) वर्ष 1964–65 के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और वर्ष 1963–64 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4610/65)**

अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु तथा निवृत्ति लाभ) नियम

श्री हाथी : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951, की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु तथा निवृत्ति लाभ) चौथा संशोधन नियम, 1965 की एक प्रति जो दिनांक 26 जून, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 871 में प्रकाशित हुए थे, सभापटल पर रखता हूं । **(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4611/65)**

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

अड्सठवां प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का अडसठवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

श्री राने (बुलडाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो 24 अगस्त, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के अड़तीसवें प्रतिवेदन से, जो 24 अगस्त, 1965 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ/The motion was adopted.

भारतीय सुरक्षा सेना द्वारा युद्ध-विराम रेखा पार करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: CROSSING OF CEASE FIRE LINE BY INDIAN SECURITY FORCES

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिये और उन को आने से रोकने के लिये हमारी सुरक्षा सेनाओं ने दो स्थानों पर युद्धनिराम रेखा पार की है और नये मोर्चे सम्भाल लिये हैं । ऐसा कहते समय उन के हाथ सैनिक साजसामान लगा है ।

मंत्रीं परिषद में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN COUNCIL OF MINISTERS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री मी० रु० मसानी द्वारा 23 अगस्त, 1965, को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगी:—

"कि यह सभा मंत्रि-परिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करती है।"

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यहां दिये गये भाषणों में चार विषयों पर मुख्यरूप से विचार प्रकट किये गये है। वे हैं:—एक भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध तथा विदेश नीति दूसरा है बढ़ती हुई कीमतें तीसरी है विदेशी मुद्रा की गम्भीर स्थिति और चौथी है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। मैं विदेश नीति के बारे में कुछ विशष कहना नहीं चाहता। मैं अपनी बात शेष तीन विषयों तक ही सीमित रखूंगा। देश चलार्थ की वद्धि के कारण कीमतें बढ़ गई है। चलार्थ में पिछले 4 वर्षों अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 1952—53 से 1963 तक मूल्यों 32 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1963 से जलाई 1965 तक मल्यों के स्तर में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों के मूल्यों में तो स्थिति और भी खराब है। यह सब सरकार की नीतियों का परिणाम है।

हमारे देश के भूमिहीन खतिहर मज़दूरों की हालत खराब से खराब होती जा रही है। उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। औद्योगिक मज़दरों की आय में भी कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह हमारी जन संख्या का 16 प्रतिशत ह। इस से हमारे उद्योगों के उत्पादन पर खराब प्रभाव पड़ा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये था। सब से अधिक मुश्किल शायद मध्य वर्ग के लोगों को हुई है। इन में नियत वेतन पाने वाले भी आते हैं। यह लोग हमारी जनसंख्या का 14 प्रतिशत भाग हैं। एक ओर तो बढ़ हुए मल्यों से और दूसरी ओर करों से इन की कठिनाइयों में वृद्धि हुई है। यह वर्ग है जिस पर देश की प्रगति निर्भर करती है। किसान हमारी दूसरी जनसंख्या का 53 प्रतिशत भाग हैं। उन की दशा भी अच्छा नहीं है। आज सरकार उस से जबरदस्ती खाद्यान्न वसूल करती है और उसे कम मूल्य देती है।

वर्तमान खाद्य स्थिति का प्रभाव सभी वर्गों पर पड़ा है। मैं श्री खाडिलकर द्वारा कही गई बातों का समर्थन करता हूं। उस के अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री स्वर्गीय श्री किदवाई और श्री पाटिल की नीतियों का अध्ययन करें। इन दोनों ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह हल किया था। मैं श्री सुब्रह्मण्यम द्वारा भोपाल में हाल ही में कही गई बातों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा था कि उर्वरक की मांग बहुत बढ़ गई है और यह अच्छा होगा यदि हम उर्वरक के स्थान पर विदेशों स मशीनरी तथा उर्वरक कारखानों के लिये कच्चा माल मंगायें।

आज देश में उवरक बनाने के लिये दो अत्यावश्यक वस्तुओं—राक फास्फेट और सलफर—की कमी के कारण उर्वरक के दोनों कारखाने बन्द होने वाले हैं। यह अक्तूबर तक होने की शंका है। देश में सार्वजनिक सेवाओं की दशा खराब होती जा रही है। नगरो तथा गावों में विधि व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य तथा स्वच्छता व्यवस्था की वैसे ही खराब है जेसे पहले थी। देश की सभी भागों में नगरपालिओं के क्षेत्रों में स्थिति खराब है।

शिक्षा की स्थिति बहुत शोचनीय है। अध्यापक भी असंतुष्ट हैं। तकनीकी शिक्षा की भी यही हालत है। डाक्टरी की शिक्षा की भी यही कहानी है। देश की सामान्य प्रशासन की व्यवस्था में भ्रष्टाचार फला हुआ है।

देश की राजधानी में बिजली तथा पानी की सप्लाई की व्यवस्था से माननीय सदस्य भली प्रकार अवगत हैं। गांवों तथा नगरों में सड़कों की हालत बहुत खराब है। रेल गाड़ियां समयानुसार चल तो पड़ती है परन्तु अपने गन्तव्य स्थान पर देर से पहुंचती हैं। गाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ होती है। देश के बन्दरगाहों के नवीकरण के बारे में बहुत चर्चा होती है परन्तु वास्तव में कुछ भी नहीं होता। देश को संचार व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है।

[श्री नारायण दांडेकर]

औद्योगिक क्षेत्र में देश के उत्पादन में पहले तो वृद्धि हुई थी परन्तु अब इस में कमी होने लगी है। योजना के अन्त तक यह 5 प्रतिशत हो जायेगी। सरकार ने बहुत अधिक कर लगा दिये हैं। और भी कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। औद्योगिक क्षेत्र में अब उद्योगपतियों को वित्त के लिये सरकार की संस्थाओं जैसे औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। विदेशी मुद्रा की कमी भी एक कठिनाई है।

हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी गलत नीति के कारण देश दिवाले की स्थिति में आ गया है। विदेशी मुद्रा विनिमय का अपव्यय करने के सबसे बड़े दोषी हमारे सरकारी क्षेत्र के कारखाने है, जिन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। विदेशी मुद्रा की समस्या के हल के लिये पये द्वारा भुगतान ठीक हल नहीं है। इस की जांच की जानी चाहिये। हमें रुपये द्वारा विदेशों में भुगतान के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिये। एक और बात जिस का विदेशी मुद्रा स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ा है। निर्यात प्रोत्साहन योजना जो है और जिस के लिये पूर्वविधारित आयात मंजूर की है ठीक नहीं हैं। इस से विदेशी मुद्रा में हानि हुई है। यह कहा जाता है कि स्वतंत्र पार्टी नियोजन के विरुद्ध है। यह बात सत्य नहीं है। हम चाहते ह कि योजनाबद्ध विकास का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। योजनायें संविधान की सीमाओं के अंदर होना चाहिये। हमारा नियोजन संविधान में निद्रित भावनाओं के विरुद्ध रहा है। सरकार को अन्य लोगों के लिये योजनायें नही बनानी चाहिये बल्कि अपने में सुधार करना चाहिये और अपने कार्य के लिये योजनायें बनानी चाहियें। देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिये वित्तीय संसाधनों की तकनीकी जनशक्ति की और प्रबन्ध व्यवस्था को आवश्यकता है। सरकार भारी उद्योगों, सीमेंट बनाने इस्पात बनाने, उर्वरक तैयार करने आदि के कार्य नहीं करने चाहिये। सरकार को नियोजन अपने संसाधनों तक ही सीमित रखना चाहिये। सरकार को अन्य सरकारों से ऋण लेने के स्थान पर गैर-सरकारी लोगों से धन लगाने को कहना चाहिये। इससे देश को लाभ होगा।

हमें चौथी योजना को वास्तविकताओं को सामने रख कर बनाना चाहिये। घाटे के बजट से देश को कठिनायां होंगी। चौथी योजना का आकार 22,500 करोड़ रुपये का होगा। इस में 21,5000 करोड़ रुपये के संसाधन उपलब्ध है। शेष 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था का अभी कोई प्रबन्ध नहीं। यह बहुत विचित्र मालूम होता है। इस के अतिरिक्त और घाटे का नियोजन किया जायेगा। योजना के अनसार गैर-सरकारी सरकार क्षेत्र से 2,400 करोड़ रुपये का कार्य करने की आशा है। हमारी वर्तमान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये यह मालूम नहीं पड़ता कि यह सब कैसे पूरा किया जा सकेगा।

जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है 4,000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इस में से 3,000 करोड़ रुपये की ऐसी मुद्रा का प्रबन्ध तो हो जाने की आशा है। 1,000 करोड़ रुपये के लिये घाटे के बजट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इस के फलस्वरूप देश पर जो बोझ पड़ेगा उस का अनुमान आप लगा सकते हैं। इस के अतिरिक्त हमें पहले के विदेशी ऋण भी चुकाने हैं और उन पर ब्याज का भुगतान भी होगा। इन सब बातों की ओर ध्यान देते हुए हमें चौथी योजना के आकार पर पुनः विचार करना चाहिये। अन्यथः यह मंत्रि-परिषद तथा योजना आयोग देश की अर्थव्यवस्था मिट्टी में मिला देंगे।

Shri Abdul Ghani Goni (Jammu and Kashmir) : The representative of Shri Masani's party, who spoke just now, referred to all the matters in the world, like agriculture, foreign exchange, but he made no mention of the aggression by Pakistan. At present the greatest problem is the defence of the country and vacation of aggression by Pakistan. I had hoped that Shri Masani would withdraw his no-confidence motion after hearing the speech of Shri Chavan.

We must congratulate the Defence Minister and the Prime Minister for taking this bold step, which was the need of the hour. Our forces should liberate the so-called Azad Kashmir, not as aggressor forces but as forces of liberation. After its liberation our sovereignty will be complete.

In this no-confidence motion issues like food problem, foreign exchange shortage, etc. have been raised. But the most important Kashmir issue has not been mentioned anywhere. We are not paying as much attention to it as we paid to the Chinese invasion. If Kashmir is taken away from India, then it will be a sad day for India and for the Government. We have to defend each and every inch of our territory. Sheikh Abdullah and Sadiq Sahab always favoured the accession of Kashmir to India even before 1947. We always condemned the two-nation theory of Mr. Jinnah. Kashmir is a true example of secularism in India. Hindus, Mohammedans and Sikhs shed their blood together to save the freedom of Kashmir. In 1947, Abdul Aziz and Maqbool Shah were the first to sacrifice their lives. Today the Kashmir problem does not concern the Kashmiris only; it concerns the whole of India.

In 1947, it were the Kashmiris who bore the brunt of assault by the tribals, but it is now the entire country which has to face the brunt. At that time we were worried about the fate of India after Pandit Nehru. But I am happy that Shri Lal Bahadur Shastri is maintaining the ideals of Pandit Nehru. I am sorry that certain persons have stated that Pandit Nehru is responsible for all the problems which we are facing. In 1947 when India had enemies on all the sides, it was a bold decision by Pandit Nehru to agree to the accession of Kashmir to India and sent it's armies to throw out the invaders. Despite great opposition, he made Kashmir part of India. Had we not been following the policies of Pandit Nehru, Kashmir wouldn't have been a part of India.

It is very strange that leaders like, Acharaya Kripalani, who only favoured the policy of non-alignment, now say that it is a dead policy now. Had we not followed this policy, then Soviet Union would never have vetoed the Security council's resolutions and supported us. The policy of non-alignment has been a correct and wise one. Had we not followed the policy of non-alignment, then Kashmir would have become another Korea or Indo-China. No doubt that Western Powers are in favour of Pakistan. Kashmir is beauty spot on this earth. It attracts visitors from far and wide. We must employ every possible means to maintain it with India. Some people are critical of the large amounts being spent on the development and defence of Kashmir. But they forget that Kashmir is a part of the Indian Union and it is our obligation that it should develop and be defended.

Kashmir had decided about its position in 1931 and 1936. Our approach had always been secular. We had not taken this decision out of any fear or greed. Our policy is in conformity with Congress policy and not with Muslim League. We have exposed the two-nation theory of Muslim League and Pakistan. In 1947 we decided to accede to India and fought the tribals to honour this decision. Some hon. Members have gone to Kashmir, but I want to submit that they would not be able to know the real facts. Our 700 miles border consists of ravines and mountains. It is very difficult to guard this border completely. Our soldiers are guarding our posts situated at heights of 5000 to 14,000 feet. We bow our head to these brave soldiers who, regardless of their own safety, are guarding our frontiers. Kashmir has acceded to India finally and no force can now separate it from India. Kashmiris have reposed their confidence in India and now India must reciprocate to that confidence. Now this Kashmir problem is not for Kashmir but for far the whole of India. I would request the Government that while making arrangements for the defence of Kashmir, care should be taken that the civil liberties of Kashmiris are not jeopardised.

[Shri Abdul Ghani Goni]

The Government should suppress such mischief mongers with iron hand, who is the name of civil liberties are carrying on internal sabotage. The Government should not follow a weak policy in a border state. The Government should fight the internal enemies and mobilise public opinion against them.

I am very much disappointed and it is very much disappointing for the Kashmiris that undue importance is being given to Sheikh Abdullah. It pains us very much when Shaikh Abdullah who has been disowned by Kashmiris is given receptions in New Delhi. It may be alright at the higher level, but it hurts the feelings of the man-in-the street in Kashmir. I am thankful to the opposition Members who have demanded that Kashmir should be defended. I am shocked when I hear the Members from Swatantra Party saying that Kashmir should be made independent. They should also be dealt with under the defence of India Rules, as the Leftist Communists have been dealt with.

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : श्री दांडेकर ने अपने भाषण में सरकार की त्रुटियों को इकट्ठा करके एक काली तसवीर पेश करने का प्रयत्न किया है। यही कारण है कि इन अविश्वास प्रस्तावों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाता है।

विरोधी सदस्यों ने अविश्वास प्रस्तावों का मजाक बना लिया है। जब कभी भी वह 50 सदस्य इकट्ठे कर लेते हैं तो एक लाइन का एक अविश्वास प्रस्ताव ले आते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव का कोई कारण नहीं बताया गया है। यही कारण है कि इस प्रस्ताव को इस सभा में और सभा के बाहर गम्भीरता पूर्वक नही लिया जाता। इस समय इस प्रस्ताव को किस लिये लाया गया है ? यह एक निरुद्देश्य प्रस्ताव है; यह केवल दिखावामात्र और हम भी इससे यही समझते हैं।

विरोधी दल जब इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं तो उनको यह आशा होती है कि यदि वर्तमान सरकार हट गई तो उनको सरकार बनाने का मौका मिलेगा। लेकिन इससे उनका सरकार बनाने का स्वप्न तो पूरा नहीं होगा बल्कि वे कुछ समय के लिये कुछ गड़बड़ी जरूर पैदा कर देंगे। परन्तु इस समय वह क्यों गड़बड़ी पैदा करना चाहते हैं ? इसीलिये मैं कहता हूं कि यह एक निरुद्देश्य और निष्प्रयोजनीय प्रस्ताव है।

एक यह भी कारण है कि क्यों चुनावों में लोग उनसे दूर भागते हैं। हम तो चाहते हैं कि विरोधी दल मज़बूत और सुगठित होना चाहिये, परन्तु वे हमेशा अलग रहते और तभी मिलते हैं जब उन्हें अविश्वास प्रस्ताव लाना होता है। परन्तु इस प्रकारी का आचरण संसद् के विरोधी दलों को शोभा नहीं देता।

संविधान में अविश्वास प्रस्ताव लाने के अधिकार का दुष्प्रयोग किया जा रहा है और इस दुष्प्रयोग को समाप्त करना चाहिये। कल आचार्य कृपालानी ने कहा कि सरकार में सभी प्रकार के गुणी व्यक्ति होने चाहिये। मेरे विचार में इस समय यह सुझाव उचित नहीं है। परन्तु इस प्रस्ताव के समर्थकों में सभी प्रकार के गुणी व्यक्ति मौजूद हैं। और जब यह लोग अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो नतीजा शुन्य होगा। यही हाल इनके अविश्वास प्रस्ताव का होगा। इन लोगों को तर्क एक दूसरे को काटते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार जमा खोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और दूसरे सदस्य ने कहा कि सरकार मारवाड़ीयो को सता रही है। उनका आरोप गलत है क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार में एक माननीय मंत्री स्वयं मारवाड़ी हैं। हमें यह भी बताया गया कि हम अपनी सरकार किस प्रकार चलायें। क्या वे समझते हैं कि हम अपनी सरकार को ठीक प्रकार नहीं चलाना चाहते ?

इस संसार में आप कोई भी काम करें, त्रुटियां आवश्य होंगी। यदि सरकार भी प्रशासन चला रही है तो उसमें कुछ गल्तियां अवश्य होंगी। इन त्रुटियों को हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा कोई सरकार चला ही नहीं सकती। जब कभी सरकार किसी बारे में नीति बनाती है तो हम उसे उस बारे अपनी सलाह देते हैं। अत: विरोधी दल के माननीय सदस्यों को इस अविश्वास प्रस्ताव लाने की आवश्यकता नहीं।

इस अविश्वास प्रस्ताव में उन्होंने कौन से नये तर्क पेश किये हैं जो उन्होंने पिछले दो वर्षों में नहीं किये। इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में उन्होंने कोई नई चीज़ नहीं कही है।

यह दल जिसकी श्रीमती रेणु चक्रवर्ती नेता हैं, देश के जवानों के दिमागों में जहर भर रहा है। यह उनको देशद्रोही बनने की शिक्षा दे रहा है। जब चीन अणू बम का विस्फोट करना है तो उन्हे खूशी मनाने के लिए कहा जाता है।

श्रीमती रेणूका चक्रवर्ती (बैरकपुर) : क्या आप कोई ठोस उदाहरण दे सकतें हैं ?

श्री च० का० भट्टाचार्य : हमें यह आशंका है कि चीनी अणु बम का विस्फोट हमारे विरूद्ध न करें। अत: हम अपने युवकों को उस दहा के पंजे से छुड़ाना चाहते हैं जो उनको इस प्रकार का आचरण सिखाता हैं।

ट्राम का किराया सरकार की सहमती से बढाया गया था। यात्री भी इसे देने के लिये तैयार थे। परन्तु अपने दल के हित साधन के लिये इन्होंने हड़ताल की। ट्रामों को जलाया गया ; यात्रियों पर तेजाब फेका गया, परन्तु इनकी पार्टी ने उसकी निंदामें एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने स्वयं यह देखा था। मकानों की छतों पत्थर फैंके गये फिर भी इस पार्टी ने उसके विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा।

वे पूछते हैं कि पिछले 17 वर्षों में हमने क्या किया ? हमने संविधानकों ठीक ढंग से लागु किया; हमने तीन पंच वर्षीय योजनाएं बनाई हैं। हमने देश की अखण्डता को बनाये रखा है। यदि भारत में कांग्रेस न होती तो भारत की भी वही दशा होती जो 1947 पाकिस्तान की हुई थी। इसके लिये इतिहास साक्षी होगा और जनता कांग्रेस का धन्यवाद करेगी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The defence Minister announced just now that we have occupied two posts after crossing the cease-fire line. I want to know whether it has been done to silence the critics who brought the No-Confidence motion or the Government is making some basic change in its policy *vis-a-vis* Pakistan.

When India became free in 1947, we decided to have friendly relation with Pakistan, with the result that when Pakistan attacked Kashmir in 1947, we accepted a cease-fire under British pressure. The cease-fire line is there, but our relations with Pakistan have not improved. Then came Nehru-Liaquat Pact about minorities then the distribution of Sindh river waters and now you entered into this insulting Kutch agreement.

The outcome of all these friendly efforts has been that Pakistan has again attacked Kashmir after 18 years. I think so long as this cease-fire is there, there cannot be any peace between the two countries. We must finish this cease-fire line once for all. We must occupy the so-called Azad Kashmir.

Since Pakistan is trying to harm India in every possible way, we must change our policy towards it.

When India was divided in 1947, Pakhtoons had their own national government. But Pakistan is trying to suppress the Pakhtoons and has kept leader like Abdul Gaffar Khan in jail for years together. We must allow the Pakhtoons to form a Government in India.

[Shri Madhu Limaye]

Twice the people of East Bengal gave indications that they are fed up with dictatorship of Ayub. In 1954 a crushing defeat had been inflicted upon Muslim League there and a United Front was established. Now our policy should be to liberate the people of E. Bengal from the oppression of Ayubshahi.

Now a change is necessitated in the policies of the Government, and if the Government do not do so, all this is a mere eyewash to please the opposition.

Regarding Viet Nam Shastriji took initiative a number of times during the last few months. Shastriji went to Russia and issued a joint communique with Shri Kosygin. But what was the reaction of China about that? China called both Shastriji and Kosygin the agents of imperialists. The best policy regarding Viet Nam for us is to keep quiet rather than bear insults every time.

India should not interfere in the cases initiated by other nations, but take initiative in new cases like Rhodesia, Mozambique and Angola.

Our policy regarding the giving of recognition to the Governments of foreign countries should be based on what the facts are and not on other factors such as their economic system, form of Government etc. etc. Why our Government is not giving recognition to East Germany? Is it because our Government is afraid of West Germany or U. S. A.?

Government has not been able to solve the food problem so far. Food and security are directly related to each other. Unless our food problem is solved we will not be able to face the aggression.

The hon. Food Minister said that we have had a bumper crop this year. He said that there has been an increase of 22 percent in wheat production. I want to know if that being so why there is the shortage of food all around.

Government attributes the disturbances occured in Bihar and Maharashtra to certain Political parties. Actually it is the famine condition which is compelling the countrymen to revolt against the present regime and loot the grain shops.

I do not quite understand this food policy of Government. Government is going to introduce statutory rationing in big cities and informal rationing in smaller towns. There is a definite objective behind every policy of the Government. Government wants to secure food for providing to the factory workers because they are having organised trade unions, to the educated middle class in the cities which can exert great influence upon the administration. There is acute shortage of foodgrains in the villages. In Bombay city 16 Kilcgrams of wheat is given to the labour and middle class people, whereas the people from rural areas in Maharashtra are crying for half the quantity. But Government do not listen to them.

Now a word about the procurement policy of the Government. In villages the Government is purchasing food grains only from the landless labourers or from the poor farmers who have only small quantities. Government does not dare to ask the Zamindars to sell his stocks which he is selling in the black market at much higher rates. The conditions in Bihar is even worse than that in Maharashtra.

Expansion of Public Sector is very essential for the socialistic pattern of society. But the Government is expanding the Public Sector in a way which is not yielding any benefit to the society in general. Inefficiency and wasteful expenditure is increasing, but no attention is being paid towards decreasing the expenditure, increasing the efficiency the capacity of production.

Recently Government took the decision to increase the salaries of senior officers. Even today there is a yawnning gulf between the lowest and the biggest income. I warn that if decision is implemented serious consequences will follow. The anti corruption drive of Shri Nanda and the disclosure of black money drive of Shri T. T. Krishnamachari have been utter failures.

If Government wants to check the tax evasion, then steps should be taken to investigate into the expenditures of rich people. There are people whose monthly expenditure ranges upto 20,000 rupees per month.

This money is invested in cities in the purchase of plots and construction of buildings. Big business magnates of Bombay come to Delhi and stay in Ashoka Hotel and spend thousands of rupees in a day. From their income tax accounts you will not be able to find out anything. Some limit should be imposed on the expenditure. Until everybody is able to get two square meals a day the entire money of the nation should be spent on industrialisation irrigation schemes and other developmental works. In the last few years we see that only the number of Government servants has increased.

श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : मैं अपने दल की ओर से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यद्यपि इस अविश्वास प्रस्ताव का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पडने वाला है परन्तु हम कम से कम जनता को यह बता देंगे कि हमारी सरकार उनके लिये क्या कर रही है।

हालात से मजबूर हो कर हमें ऐसा प्रस्ताव लाना पडा है। विरोधी दलों को अविश्वास प्रस्ताव को लाने का शौक नहीं है। आज की जनता बढ़ती हुई बेरोज़गारी, करों के भार, भ्रष्टाचार आदि के बोझ के तले दबी हुई है। लोगों के दिलों में सरकार के प्रति विश्वास उठता जा रहा है और इससे राष्ट्र का विकास और प्रतिरक्षा संकट में पड़ गये हैं।

मैं श्री करियाप्पा के कुछ शब्द आपके सामने रखता हूं जो इस प्रकार हैं :

मैं देखता हूं कि लोगों में असंतोष और अविश्वास व्यापक रूप से फैल रहा है। प्रशासन का स्तर गिरता जा रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। लोग अपने आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से असुरक्षित समझते हैं। विधि और व्यवस्था के लिये लोगों के हृदयों में सम्मान नहीं रहा है। ये सब ऐसी बातें हैं जिन से हमारा विकास रुकता है।

श्री करियाप्पा का किसी राजनतिक दल से गठजोड़ नहीं है। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है।

अब मैं खाद्य स्थिति को लेता हूं। दिल्ली जो कि राजधानी है, हमें चावल नहीं मिल रहा है। मिट्टी के तेल को प्राप्त करना बहुत कठिन है। दरिद्रता, महामारी, दुर्भिक्ष और निराशा इस देश की जनता के जीवन के अंग बन गये हैं।

अधिकांश कांग्रेसी सदस्य स्थिति को समझते हैं परन्तु दल के अनुशासन के कारण खुले रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। यदि कोई सरकार अपने देश वासियों को भरपेट खाना, कपड़ा और रहने के लिये मकान नहीं दे सकती है तो उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।

[श्री मनोहरन]

यदि इस सरकार को ज़रा भी शरम आती होती तो शास्त्री ने अविश्वास प्रस्ताव के आने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया होता। सरकार आंकड़े तैयार करती रहती हैं। आंकड़ों से भूखे लोगों के पेट नहीं भरेंगे।

मुझे पता लगा है कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री खाद्य संकट को स्थायी रूप से दूर करने के लिये कुछ योजनाओं पर विचार कर रहे हैं। परन्तु उनके लिये विदेशी मुद्रा चाहिये। वित्त मंत्रालय विदेशी मुद्रा देने के लिये तैयार नहीं है।

कबिनेट मंत्रियों द्वारा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाते हैं। हाल ही में श्री स० का० पाटिल ने कहा कि योजना-कार्य को कुछ समय के लिये स्थगित करना आवश्यक है। अगले ही दिन श्री चि० सुब्रह्मण्यम ने कहा कि योजना कार्य को स्थगित नहीं किया जा सकता और यदि ऐसा किया गया तो क्रान्ति की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी इससे हमारे लोकतन्त्रात्म की बुनियादों को आघात पहुंचेगा।

जब श्री सुब्रह्मण्यम इस्पात मंत्री थे तो उन्होंने वक्तव्य दिया था कि सेलम इस्पात परियोजना को तृतीय योजना में रखा जायेगा। बाद में श्री संजीव रेढ्डी को इस्पात मंत्री बना दिया गया। मैं इस सभा में उनसे पूछा कि उनके पूर्वाधिकारी ने कहा कि सेलम इस्पात परियोजना को तृतीय योजना में रखा जायेगा और इसपर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने कहा : अब इस्पात मंत्री मैं हूं। इससे तो मैं यही समझ पाया हूं कि मंत्रियों के बदलने के साथ साथ सरकार की नीति भी बदल जाती है। श्री संजीव रेड्डी ने कहा है कि चतुर्थ इस्पात संयंत्र विशाखापटनम में लगाया जायेगा। कल को यदि कोई मैसूर की व्यक्ति इस पद पर आ जाता है तो आंग्ल अमरीकी सार्थ संघ द्वारा दिये गये प्रतिवेदन का क्या बनेगा।

इस समय देश की आर्थिक स्थिति विनाश के बिलकुल निकट है। हमारे वित्त मंत्री ने कहा जब तक मैं वित्त मंत्री हूं मैं देश को दिवालिया नहीं होने दूंगा। परन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि वह अधिक समय के लिये वित्त मंत्री रहेंगे। देश की आर्थिक दुर्दशा के लिये श्री कृष्णमाचारी की गलत नीतियां ज़िम्मेदार हैं। प्रधान मंत्री से मेरा अनुरोध है कि श्री कृष्णमाचारी के स्थान पर श्री देशमुख को ले आयें। वह ही हमें इस स्थिति से बचा सकते हैं।

भाषा के प्रश्न पर समाचार पत्रों में परस्पर विरोधी रिपोर्टें आ रही हैं। मैं नहीं समझता कि प्रधान मंत्री क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।

भारत प्रतिरक्षा नियमों को विरोधी दलों के विरुद्ध बदले की भावना से इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में मद्रास में 10 विद्यार्थियों को इन नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। संसार में कहीं भी इस कानून के अन्तर्गत विद्यार्थियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता।

हाल ही में डा० लोहिया को गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा डा० लोहिया को इस सभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिये समन जारी किया गया। परन्तु श्री नन्दा और उनके सिपाहियों द्वारा उन्हें रोका गया। मैं जानना चाहता हूं कि प्रभुसत्ता संसद को प्राप्त है या कार्य-पालिका को? कल को नन्दा जी भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत सभी संसद सदस्यों को गिरफ्तार कर लेंगे।

मैं चेतावनी देता हूं कि यह भारत प्रतिरक्षा का हथियार जो सरकार के हाथ में है श्री नन्दा, श्री महावीर त्यागी और साथियों पर वार करेगा। शेख अब्दुल्ला जिसे कल तक काश्मीर का शेर कहा जाता था आज केवल पिंजरे का शेर बन कर रह गया है।

भारत प्रतिरक्षा नियमों के लिये सरकार यह औचित्य देती है कि आपात की स्थिति जारी है। आपात तब तक है जब तक चीन की धमकी रहती है। न चीन की धमकी का अन्त होगा और न ही भारत प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत लोगों का गिरफ्तार किया जाना।

मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले चुनावों में मद्रास में कांग्रेस की सरकार नहीं होगी। तब भारत प्रतिरक्षा नियम हमारे हाथ में होंगे।

प्रोफेसर लासकी ने कहा है कि जब आलोचना का अधिकार ले लिया जाता है तो सरकार एक तानाशाह का रूप धारण कर लेती है और अपने मित्रों को तो धोखा दती है परन्तु अपने दुशमनों को धोखा नहीं दे सकती।

कांग्रेस राज एक पुलिस का राज है और ब्रिटिश राज से बुरा है। श्री महावीर त्यागी जैसे व्यक्ति की जबान पर ताला लग गया है। मैं चेतावनी देता हूं कि सरकार का तख्ता पलटने वाला है।

श्रीमती रेणुका राय (माल्दा) : बड़े खेद की बात है कि अविश्वास प्रस्ताव को ऐसे समय में लाया गया है जब कि देश के भीतर और बाहर हमें बड़ी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा होता यदि इस समय सुधार के लिये ठोस सुझाव दिये जाते। मैं नहीं समझता कि ऐसे समय में अविश्वास प्रस्ताव के लाने का क्या अर्थ हो सकता है जब कि ऐसा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो सरकार की बागडोर को संभाल सके।

एक विकासशील देश के मार्ग में कई कठिनाइयां आती हैं। सब से पहले हमारे सामने शरणार्थियों की समस्या आई थी। हम ने बिना किसी विदेशी सहायता से इसको हल किया और अब भी हल करने में लगे हुए हैं। यह हमारे लिये बड़े गर्व की बात है।

1962 में हमने चीनी आक्रमण का सामना किया और हमारी शक्ति और संसाधन उसमें जुट गये।

श्री मसानी ने कहा कि प्रथम योजना में हमें काफी सफलता मिली। परन्तु द्वितीय और तृतीय योजनाओं में विकास की गति बहुत धीमी पड़ गई। यह अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है कि आरम्भ के नियोजन में अधिक लाभ होता है और इसकी गति धीरे धीरे घटती जाती है। इसलिये यह कहना कि तृतीय योजना में हम कहीं भी नहीं है और इसलिये योजना के आकार को छोटा किया जाये ठीक नहीं है।

श्री दांडेकर ने कई लक्ष्यों का उल्लेख किया जो पूरे नहीं किये गये हैं। परन्तु उन्होंने शिक्षा के विस्तार, स्वास्थ्य संबंधी सुधार का कोई उल्लेख नहीं किया। श्री मसानी ने योजना कार्य को एक वर्ष के लिये स्थगित करने की बात कही। ऐसे समय में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें अपने लोगों को खुराक, कपड़ा और कई अनेक वस्तुओं को मुहैया करना है।

वित्त मंत्री ने अब जो आयव्ययक रखा है मैं उसके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। श्री मसानी ने कहा कि हमने 3 बजट रखे हैं। जी हां, हमें यदि कोई नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सामना करने के लिये उपाय करने होते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हमें विनाश का सामना करना पड़ेगा।

सिक्के के फैलाव को रोकने के लिये माननीय वित्त मंत्री कई उपाय कर रहे हैं। खाद्य समस्या का मामला एक बहुत बड़ा मामला है और उसपर अलग से चर्चा करना अधिक अच्छा है।

[श्रीमती रेणुका राय]

आयात प्रतिबन्धों के बारे में बड़ा विरोध प्रकट किया गया है। ये प्रतिबन्ध कठिन विदेशी मुद्रा की स्थिति का सामना करने के लिये लगाये गये हैं और अन्त में हमारे लिये ये बहुत लाभकर सिद्ध होंगे। इससे हमें उन वस्तुओं को ढूंढने का अवसर मिलेगा जिन्हें आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम में लाया जा सकता है।

यह ठीक है कि सरकार की आलोचना की गई है। यदि आप देखें तो पता लगेगा कि जो उपाय किये गये है उनका न केवल समर्थन ही किया गया है अपितु वास्तव में उन्होंने यह कहा है कि ये उपाय काफी पहले किये जाने चाहिये थे। यदि यह बात है तो क्या कारण है कि हम आज संगठित नहीं हो सकते हैं। हमें खुशी होती यदि पिछले 18 वर्षों में कोई भी विरोधी दल इतना शक्तिशाली हो जाता जो कभी कभी हम से प्रशासन की जिम्मेदारी को ले लेता। मैं आशा करती हूं कि मरे मित्र इस अविश्वास प्रस्ताव को वापिस ले लेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, four things are essential for an efficient administration. These are :—(1) the masses should get enough to eat; (2) the country should not be dependent on others in regard to financial matters; (3) the country should not be afraid of internal or external enemies; and (4) the character of the ruler should be above board and the people at large should emulate him.

Our present ruling leaders are adding to our problems. They avoid to shoulder responsibility. This tendency has been there during last 18 years. It is a pity that we are not able to feed our people adequately after 18 years of our freedom.

According to my estimate we should be self-sufficient in the matter of foodgrains. The imported foodgrains during 1964-65 and the country's production should be enough. I feel that food policy of our Government is defective and the present shortage is artificial. The zonal scheme is also responsible for shortage in some states. Some state Governments are making huge profits under this scheme. Punjab is selling grams to West Bengal at exorbitant rates. It is the result of this scheme. In some cases states are not abiding by the directives of Central Government. In some parts of our country people have to do with one time meals only. This deplorable condition is prevailing.

I want to warn Government that next year country will have to face famine. It is so because the crop has not been good this year. It will have its repercussion next year. I propose four remedies in this regard. First Shri Subramaniam should be removed from this Ministry and some one who is well conversant with this problem should be appointed Food and Agriculture Minister. Secondly the food zones should be abolished. Thirdly the farmers should be provided irrigation facilities and huge sums now being spent on fertilizer factories should be diverted towards this end. Country's economy is in very bad condition. The amount of debt which we have to pay to other countries is also very great. Country is going to be bankrupt. It is surprising that our Government is not taking all this seriously. The report of the World Bank was also indicative of poor monetary condition.

After the announcement of Defence Minister this morning that our Defence Forces have crossed the ceasefire line, my thinking on the Kashmir question has changed. I congratulate Government for having taken this step. The entire country does likewise. The ceasefire line should now be shifted near Sialkot. We should not repeat the mistake which we committed in 1947 by

accepting the ceasefire. I learn that as we are taking this step a draft agreement is being prepared in Britain like the agreement of Kutch. Some mediation effort is being initiated in America. We should complete the work which we have taken in hand. We should liberate the entire Kashmir area.

Another thing, which I want to refer to is the demand for Punjabi Subha. It is regrettable that this question has been raised when Pakistan is committing aggression against our country. No section of our population should be allowed to take such step as may adversely effect the defence efforts. I hope that Sant Fateh Singh will give up idea of undertaking fast and postpone his agitation. A further division of Punjab will not be in the interest of our country.

Our country is facing aggression from Pakistan and China. It is rather unfortunate that in U. P. rival Groups of the ruling party are fighting with each other. It is very deplorable. If things continue like that we would request that President's rule may be imposed in Uttar Pradesh. I would say in the end that a Government which has failed to deliver goods has no right to be in power.

Shrimati Kamala Chaudhuri (Hapur) : Mr. Deputy Speaker Sir, I want to oppose motion of no-confidence. There was no such motion during 17 years of independence. I being a poeters will say a few words inverse.

डा० मा० श्री० अणे : श्रीमान् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस समय अविश्वास के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है । यहां पर किसी प्रकार भाषण हो सकता परन्तु इस प्रकार सदनका समय व्यर्थ नष्ट नही करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नही है । यहां पर पहले भी कविता में भाषण हुए है ।

Shrimati Kamala Chaudhuri : The country is facing aggression. We should unite and make sincere efforts for the defence of our motherland. The Prime Minister has shown very clear understanding of problems.

Shri Maurya (Aligarh) : The country is passing through critical period today. The enemy is ready to launch an attack on our territory and inside there is food problem, unemployment and corruption.

Mr. Deputy Speaker, every Government has to perform three foremost duties, *i.e.* to protect the borders, to look after the welfare of the community and to maintain the rule of the law. The Congress Government has failed to perform any of these duties and it is why that the Republican Party has joined the opposition parties to move a no-confidence motion against the Government.

The people are dying of hunger. Under the force of circumstances they have to resort to looting of foodgrain-shops. It was duty of the Government to provide food, clothing and shelter to all. If these essential commodities are not made available to the people, the Government will have to face a revolt.

The cause of the hunger is that we are pursuing wrong policies. As far as our Plans are concerned, no attention is being paid towards agriculture. The farmers should have been given irrigation facilities, seeds and fertilizers on subsidized rates or free. The Plan outlay has not been utilized for these things. It is why that even after the completion of three plans, people are still dying of hunger and we are importing foodgrains. To solve the food problem there

[Shri Maurya]

are only two alternatives before the Government. Either the land should be given to the actual tillers of the soil or mechanised farming should be resorted to. This will definitely culminate in increasing the agricultural produce. Today the plight of landless labourers in India is pitiable. It has been said about the problem of landless labourers in India in a Report entitled "Agricultural Labour in India" that the landless agricultural labour households in 1956-57 accounted for 57 per cent of all agricultural labour households as against 50 per cent in 1950-51. Even in spite of the Plans the number of landless labourers is on the increase. In this report it has also been mentioned that their *per capita* income is declining. In this country ten crores of people belong to the Scheduled Tribe and Scheduled classes.

It is said that the opposition should give concrete suggestions. Is this not a concrete suggestion that the fallow land be distributed amongst the landless labourers? The land along the canals and the railway lines is not being utilized. There are crores of acre of land which can be reclaimed. But the Congress does not pay any heed to it.

The D. I. R. is being misused. Even the Congress people say this outside the House. This is said even by the former Attorney General, Shri M. C. Setalvad. I was myself arrested under D. I. R. The opposition will also come to power some day and then the history will be repeated. We do not want that any calamity may befall this country. What we want is freedom of speech and freedom of expression and consultations.

Dr. Ram Manohar Lohia and many communists have been arrested under D. I. R. It is not proper to arrest people indiscriminately as it embittered them. When the country has been surrounded by the enemies from all sides it is necessary for us to keep united. We must not be a prey to our enemies.

The Schedule Castes have no share in the administration of the country. Throughout the whole country, they have not been appointed to the higher posts of Commissioners or High Court Judges. They are not appointed to the posts of ambassadors. In America the Negros are appointed to such posts. The members of Scheduled Caste community are not recruited even to the services. The Government cannot afford to ignore ten crores of these people. In case no heed is paid to these people, it will be difficult to protect the country.

So far as Kashmir is concerned, I want to submit that we should be alive to this problem. Kashmir is an integral part of India. No power in the world can snatch Kashmir from us. This can only be ensured if every Indian citizen is given the right to own property in Kashmir. Baba Sahib Ambedkar wrote a book in 1935 wherein he wrote "Pakistan or Partition of India". But he was ridiculed. No attention was paid to his suggestion regarding Kashmir also by the late Prime Minister, Shri Jawaharlal Nehru. We can not defend Kashmir until we are one.

I support the No-confidence Motion moved by Shri Masani. I would like to say also that as far as the enemy is concerned, we will sacrifice our lives for the country but as far as Congress Government is concerned, we will fight against it until food, clothing, and shelter is provided to every one in the country.

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : This is not the proper for bringing forward this motion. I oppose it.

[डा० सरोजनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

The opposition Parties should know that country is making progress and it takes some time to attain targets. We are following democratic ways for solving problems. We have made far more progress than that of Russia and China.

There might have been some defects in our working but we should not be disheartened. We are doing everything in a constitutional way. Government formulates its policy according the wishes of the people of the country. The of our policy in Pakistan and China is the same.

We should tell the western countries in clear terms that our country cannot be cowed down on the question of Kashmir.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

The Kutch agreement was entered into after due consultations with the opposition parties. This is the democratic way of doing things. This agreement is not disadvantageous to India. There might have been some mistakes in the implementation of Plans, but we cannot make it a point of criticism. We all should strive to make our plan a success.

There is shortage of foodgrains in our country. It cannot be denied. It is not due to Government's policy in this regard. The opposition parties should help the Government in such circumstances.

I suggest that Government should help farmers in increasing their output. Their difficulties should be removed. In Maharashtra the supply of distribution of foodgrains is not equitable.

The per head quantity supplied cities is more than the quantity supplied in rural areas. This dicriminatory treatment with the villagers should be done away with.

I suggest that zonal system should be abolished. The statistics regarding the food production are not correct. According to these statistics we should be self-sufficient in the matter of food. These figures should be corrected.

डा० उ० मित्रा (जमशेदपुर) : मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मेरा मत यह है कि सरकार इस देश पर शासन करने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही है कि जो सरकार लाखों लोगों को रोटी नहीं दे सकती और जो अपने विरोध को दबाने के लिए भारत सुरक्षा नियमों का प्रयोग कर सकती किस मुह से प्रशासन पर कब्जा जमाये रख सकती है। आज देश में कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इससे असन्तुष्ट न हो। छोटे छोटे व्यापारी, उद्योगपति तो सन्तुष्ट है ही, डाक्टर और इंजीनियर भी सन्तुष्ट नहीं है। दिल्ली और बिहार में तो व्यापक रूप से डाक्टरों और शिक्षकों ने त्यागपत्र दे दिये थे। य लोग तो बड़े ही सीधे साध वर्ग से सम्बन्धित होते है। आखिर उन लोगों ने ऐसा क्यों किया ? इसी लिए कि जीवन चलाना असंभव हो गया है। भूमिहीन किसान श्रमिकों को प्रतिदिन 1–12–0 निर्धारित है। इतन में एक किलोग्राम चावल भी नहीं मिलता एक हजार रुपया वेतन पाने वाला व्यक्ति भी असन्तुष्ट है। उनका भी गुजारा होता नहीं। हर एक चीज का मूल्य बढ़ गया है। कीमतें के नियत्रंण की कोई आशा दिखाई देती नहीं। सरकार इस कार्य को करने में नितान्त असफल रही है।

[डा० उ० मित्रा]

देश में लोग अपने धन को ठीक तरह रखने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की है और दौडते है। अत: अमीर आदमी कांग्रेस के लोगों को खरीदनें का यत्न करते है। हर आदमी राजनीतिक शक्ति के हाथ में आने पर यह प्रयास करता है कि अधिक से अधिक धन एकत्रित कर सके। इसके लिए कई तरह के ठेकेदार और दलाल भी मैदान में आ रहे हैं। इससे समाज विरोधी तत्वों को प्रोत्साहन मिल रहा है। बेईमान लोगों ने लाखों रुपये कमा लिये हैं और प्रशासन में बैठे लोग भी उससे भयभीत हैं। स्वस्थ विकास किसी भी दिशा में सम्भव नहीं हो रहा। सारे समाज में एक व्यापक विकृति पाई-जाती है। लोगों ने छ: छ: सात सात लाख रुपये उस चुनावों में खर्च कर दिये। आखिर यह रुपया कहा से आया? भ्रष्टाचार से हमारा समाज जर्जित हो रहा है। नन्दा जी की सदाचार की कार्यवाहियों से इसे नहीं बचाया जा सकता।

देश में बड़े व्यापक रूप के लोग विकृत हो रहे हैं। पता नहीं देश का क्या बनेगा। बिहार में कई जिलों में लोगों को रोटी नहीं मिली और तीन चार मास तक इसी प्रकार की स्थिति चलती रही। लोगों में असन्तोष फैल गया। पटना में 55 रुपये प्रति मन और पूर्णिया में 80 रुपये प्रति मन तक चावल बिकता रहा है। वहां तमाम अच्छे अच्छे विरोधी दल के नेता और कार्मिक संघों के नेता जेलों में हैं। डा० लोहिया को भी वहां ही पकड़ कर जेल में ढुंस दिया गया। भारत रक्षा नियमों का पदासीन दल बहुत ही अनुचित लाभ उठाता है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि यह स्थिति निरन्तर नहीं चलेगी और जनता एक दिन उठ खड़ी होगी।

श्री कृष्ण मेनन (बम्बई नगर उत्तर) : गत दो दिनों से सदन में सरकार की नीति तथा प्रशासन के विभिन्न अंगों पर चर्चा हो रही है। खेद की बात यह है कि यह सब चर्चा अविश्वास के प्रस्ताव के संदर्भ में हो रही है। और इसके अतिरिक्त स्थिति सामान्य नहीं है, देश के बाहर शत्रु आँखे फाड़ कर हमें देख रहा था। स्वयं प्रस्तावक महोदय भी इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करके परेशान है।

वैसे तो प्रशासन और सरकार की नीति के विवध अंग हैं परन्तु इस संदर्भ में अधिकतर विदेश नीति की ही चर्चा हो रही है और आयोजन का उल्लेख किया जा रहा है।

प्रश्न क्या है, इस बात पर हमारा कोई मतभेद नहीं, मतभेद तो इस बात पर है कि समस्या का हल क्या है। आज देश के कुछ ऐसे तत्व जो कि गैरसरकारी उपक्रमों में विश्वास रखते हैं, वे आयोजन का विरोध कर रहेहैं। हमारा देश गरीब है और उसे जीवित रखने के लिए योजना ही एक साधन है। यह तो हो सकता कि आयोजन कुछ गलत हुआ हो, परन्तु आयोजन हो ही न, यह बात समझ मे नहीं आ सकती। यदि आयोजन गैर सरकारी हाथों में छोड़ दिया जाता तो ठीक रहता। और फिर इस अविश्वास के प्रस्ताव से यह सरकार हटने वाली नहीं है। एक बात हमें समझ लेनी चाहिये कि आज देश को आयोजित अर्थ व्यवस्था तथा विश्वशांति की नीति ही पसन्द है। साथ ही हमारी सीमा की रक्षा होनी चाहिए।

आज 18वर्षों के बाद एक बार पुन: काश्मीर ने भारत पर आक्रमण किया है। चाहे आप इसे आक्रान्ता कहिये या घुसपैठियें, वे लोग हमारी प्रभुसत्ता को चुनौती देने के लिए हमारे देश में घुसे। इस समस्या को समझने के लिए तनिक 1947 की घटनाओं को समझना होगा। 1947 से लेकर आजतक पाकिस्तान हमें धमकियां तो देता ही रहा है, यद्पि कोई आज की तरह का हमला नहीं हुआ था। वैसे उस समय हालात ठीक ऐसे ही थे, जैसे आज है। हमारे प्रधान मंत्री ने 15 जनवरी को सुरक्षा परिषद् को बताया कि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण कर दिया है। पाकिस्तान ने तुरन्त उत्तर दिया कि यह बात बिल्कुल गलत है कि हम आक्रान्ताओं को सहायता दे रहे हैं। परन्तु बाद में उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। श्री जफ़रुल्ला ने सुरक्षा परिषद में यह बात मान ली।

तब से लेकर आजतक, इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है। उस समय हमने अपने प्रधान मंत्री के अदेशानुसार युद्ध विराम कर दिया। हमने सुरक्षा परिषद को लिख दिया कि यद्यपि हम जीत रहे हैं फिर भी विश्वशांति की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का ध्यान रखते हुए हम युद्ध बन्द करते हैं। हमने बिना शर्त वहां जनमत कराये जाने की बात बिलकुल नहीं कही थी। हमारी सेनायें हट गयी और युद्ध विराम रेखा निश्चित हो गई। परन्तु यह केवल एक समझौता लाइन थी। काश्मीर की प्रभुसत्ता के प्रभावित होने का कोई प्रश्न ही नहीं था। पीछे कुछ भी हुआ हो परन्तु यह एक तथ्य है कि 1947–1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यही स्थिति थी। इस तरह युद्ध विराम रेखा तय हुई और उसके निरीक्षण के लिये आयोग की स्थापना हुई। परन्तु हमने आयोग को कभी भी स्वीकार नहीं किया। जब से यह रेखा बनी कोई दिन, कोई महीना, कोई वर्ष ऐसा नहीं गुजरा जब कि इस रेखा का उल्लंघन नहीं हुआ। पाकिस्तान से जिस व्यवहार की आशा की जाती रही वह उसने कभी नहीं किया। वह निरन्तर गड़बड़ करता रहा।

इन 18 वर्षों में हमने अपनी प्रभुसत्ता का दावा कभी नही छोड़ा। हम हमेशा यही घोषणा करते रहे हैं कि जम्मू और काश्मीर का सारा राज्य भारत संघ का अविभाज्य अंग है। इस तरह काश्मीर पर किया गया कोई हमला भारत पर सीधा हमला है। हम 1957 से ही यह कहते आये हैं कि पाकिस्तान वहां से हट जाये। यह तो हमने कहा कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, पर यह कभी नहीं माना कि हम अपनी प्रभुसत्ता छोड़ते हैं।

भारत की उस समय यह बात भी स्वीकार कर ली गयी कि राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारत पर है। और यह उत्तरायित्व भारत सरकार का है। यह भी माना गया था कि राज्य की प्रभुसत्ता के मामले पर चर्चा नहीं होंगी। यह भी था कि जब तक पाकिस्तान वहां से नहीं जाता, वहां जनमत नहीं होगा। 1948 तक पाकिस्तान वहां से नहीं हटा। वहां उन्होंने अपनी तथा कथित आजाद काश्मीर सरकार का निर्माण कर लिया। जम्मू और काश्मीर का आन्तरिक प्रशासन राज्य सरकार के हाथ में था और उसकी प्रतिरक्षा का भार भारत पर था। घुसपैठियों और आक्रान्ताओं का ध्यान भारत ने ही रखना था! यह गिलगित के लिये भी था। यह भी करार की एक शर्त थी कि जनमत का कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के परामर्श से होगा। पाकिस्तान को इस बारे में चर्चा करने का अधिकार नहीं। पाकिस्तान घुसपैठ करता रहा, वह हटा नहीं, अपनी स्थिति वहां मजबूत करता रहा। यहां तक कि 3 मार्च, 1963 को चीन-पाकिस्तान का समझौता हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र भी चीन के हवाले कर दिया। अब 1947 की घटना पुनः दोहराई गयी। 5000 लोगों ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अलावा घुसपैठिये काश्मीर क्षेत्र में घुस आये। मेरा यह निवेदन है कि हमारी सेना को उन्हें कैदी नहीं बनाना चाहिये, प्रत्युत उन्हें गोली से मार देना चाहिये। और इस दिशा में ही प्रचार को तुरन्त बन्द करना चाहिये। हमारे यहां जो भाषण की स्वतंत्रता है उसका किसी को लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिये। हमें अपने देश के प्रत्येक अंग की रक्षा करनी चाहिये।

हमारे क्षेत्र में घुस कर चार पांच हजार लोग गड़बड़ कर रहे हैं। उनका मुकाबला करने के लिये हमें सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिये। यह कहना गलत है कि हमें अपनी गुटों से अलग रहने की नीति छोड़ देनी चाहिये। काश्मीर के मामलें में हम लोगों के झूठे प्रचार का शिकार हुए हैं। काश्मीर में हमें किसी भी प्रकार की सेना नहीं रखने देना चाहिये। इससे पाकिस्तान को ही लाभ होगा। हम सब बातें अब छोड़ देनी चाहिये। हमारे पर अब आक्रमण हुआ है। अब तो प्रश्न यह है कि दोनों देश एक जैसे नहीं हैं। बातचीत का कोई प्रश्न ही नहीं। हमला करने वाला और जिस पर हमला किया गया हो, एक साथ नहीं रखे जा सकते। हमारे प्रधान मंत्री को कहना चाहिये कि जनरल निम्मो की रिपोर्ट प्रकाशित की जाय। हमें पता लगना चाहिये कि रिपोर्ट हमारे पक्ष में है कि हमारे विरुद्ध है। और रिपोर्ट मिलने पर हमें अपने विचार परिषद् के महासचिव को भेज देने चाहिये। हमारी प्रतिक्रिया को रिकार्ड करके उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज के रूप में रखा जाना चाहिये। गत 15 वर्षों से निरन्तर बड़ी

[श्री कृष्ण मेनन]

शक्तियां पाकिस्तानी हमले का समर्थन करती रही हैं। 16 वर्षों से मामला लटका पड़ा है। हमारी गुटों से अलग रहने की नीति के कारण ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे पक्ष में प्रस्ताव पास नहीं किया।

आज समय आ गया है जबकि स्वतन्त्रता में विश्वास रखने वाले लोगों को सामने करना होगा। हमले का मुकाबला करना होगा। काश्मीर के स्थानीय लोगों को भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिये खड़ा होना होगा। हम नहीं चाहते कि युद्ध विराम रेखा को बदलने में शस्त्र प्रयोग हो। ऐसा हमने कहा था। परन्तु आज तो हम पर हमला हुआ है और इसके लिये बचाव हमला करना ही हमारी प्रतिरक्षा है। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता ही नहीं है यह ठीक है कि गिलगित और चित्तराल तथा अन्य क्षेत्र भी भारत के ही अंग हैं, परन्तु इस समय हमें घुसपैठियों को बाहर निकालना है। यदि इसके लिये युद्धविराम रेखा भी बाधा बने तो उसे हटा देना चाहिये। इस मामले में बातचीत बिलकुल नहीं करनी चाहिये।

अन्त में मेरा मत यह है कि इस प्रस्ताव पर मतदान नहीं होना चाहिये। हमने इस पर चर्चा कर ली है, यही काफी समझा जाना चाहिये। और प्रस्तावक महोदय को दल की राजनीति से ऊंचा उठकर इस मामले पर विचार करना चाहिये।

वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मेरा विचार था कि विरोधी सदस्य सरकार की आर्थिक नीतियों का ब्यौरेवार आलोचना करगे और मैं ऐसी आलोचना का स्वागत भी करता हूं क्योंकि इससे सरकार को प्रशासन पर कम खर्चा करने पर बाध्य होना पड़ता है। परन्तु मुझे खेद है कि आलोचना संतोषजनक नहीं थी। हमने सीमा पर शत्रुओं के लिये वही कार्य किया है जिसकी हमने घोषणा की थी। इस संसद के अभी चार और सत्र हैं, और हमें आशा है कि एक लाइन के ऐसे चार और अविश्वास प्रस्ताव लाए जायेंगे।

इस वाद-विवाद का सबसे अधिक लाभ यह हुआ है कि जिन सदस्यों के भाषणों से यह पता चलता है कि उन्हें सरकारी व्यवस्था और देश की वर्तमान स्थिति के बारे में काफी जानकारी है।

मैं उन्हीं माननीय सदस्यों के भाषणों का उल्लेख करूंगा जो मेरे विषय के बारे में बोले हैं। अन्य सदस्यों का उत्तर प्रधान मंत्री कल देंगे।

मेरे सहयोगी, कृषि तथा खाद्य मंत्री ने खाद्य की स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने खाद्य स्थिति को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया। सदस्यों को मेरी आलोचना करने का फिर अवसर मिलेगा जब वित्त (सं० 2) विधेयक पेश होगा। शायद वर्तमान स्थिति को देखते हुए, श्री दांडेकर और उनके मित्रों ने मेरी कटु आलोचना नहीं की। श्री मसानी ने अपने भाषण के अन्त में कहा कि वर्तमान आर्थिक गड़बड़ी के लिये इतने वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जिम्मवार नहीं जितना कि योजना आयोग के उपसभापति। लेकिन मैं इस बात का सहारा नहीं लेना चाहता। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को अपनी के समर्थन में बोलने का भी काफी अवसर मिलेगा।

हमारे विरुद्ध तीन या चार आरोप लगाये गये हैं। यह कहा गया है कि हमारी सारी योजना गलत है, हमारी आर्थिक नीतियों के कारण मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई है, और हमने देश का दिवाला निकाल दिया है। श्री दांडेकर ने अपने भाषण में कहा कि मूल्यों में, विशेषतया अनाज के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हुई है। अतः हमारे देश में स्फीति हो गई है। उनका कहना है कि किसान को अनाज का मूल्य कम मिल रहा है, औद्योगिक कर्मचारियों और मध्यम वर्ग को तंगी का सामना करना पड़ रहा है। क्या यह बातें परस्पर विरोधी नहीं हैं। एक तरफ तो वह कह रहे हैं कि किसान को कम मिलता है; यदि मूल्यों में वृद्धि की गई तो किसी न किसी को तो उन्हें चुकाना पड़ेगा। अन्त में वह कहते हैं कि हमें नियंत्रण लागू नहीं करना चाहियें, अर्थात दलाल जितना लाभ चाहे बना लें।

मेरे विचार किसी प्रकार का नियंत्रण आवश्यक है। जब से दूसरा महायुद्ध आरम्भ हुआ है, इस देश में, शायद अन्य कई देशों में भी, बेचने वालों के मजे रहे हैं। खरीदने वाले का मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा है।

ऋण देने पर सरकार ने जो अत्याधिक प्रतिबन्ध लगाया है, श्री दांडेकर ने उस पर आपत्ति की है। यदि हम इसे नहीं करेंगे तो क्या मूल्यों में वृद्धि नहीं होगी ? उन्होंने यह सुझाव दिया है कि जिस श्री किदवई ने किया था उसी तरह सब नियंत्रण हटा दो। जब श्री किदवई ने नियंत्रण हटाये थे तो उस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई थी और उससे अगले वर्ष भी फसल बहुत अच्छी हुई थी। अतः नियंत्रण के हटाने से देश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा।

श्री दांडेकर योजना के विरुद्ध नहीं हैं। क्योंकि योजना से किसी निहित हित की स्वार्थ सिद्धि हो सकती है। भारत में योजनाका विचार सबसे पहले पंडित नेहरु और सुभाष बोस के दिमाग में महायुद्ध से पहले आया था। युद्ध के पश्चात निहित हितों ने इस विचार को कार्यान्वित किया और बम्बई योजना बनाई।

योजना के जटिल और कठिन कार्य को जनता कीइ च्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। श्री मसानी ने मेरे विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि वर्तमान आश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ मैं चौथी योजना के लिये संसाधनों को भी इकट्ठा कर रहा हूं। उनके विचार में चौथी योजना के बारे में सोचना भी घोर पाप है। परन्तु हम न केवल चौथी योजना के बारे में सोच रहे हैं बल्कि पांचवी योजना के बारे में भी सोच रहे हैं। विशेषतया औद्योगीकरण के क्षेत्र में और आत्म निर्भरता प्राप्त करने के क्षेत्र में हम पांच नहीं अपितु दस वर्षों के बारे में सोचते हैं।

प्रधान मंत्री ने योजना आयोग को यह स्पष्ट कर दिया था कि सभी लक्ष्य इस आधार पर निश्चित किये जायें कि विनियोजन 19,000 करोड़ रुपये का होगा। कई संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी हमने कल्पना की होती है और वे स्पष्ट रूप से हमारे सामने नहीं होते। इन संसाधनों को हम प्राप्त कर सकते यदि देश उनके लिये प्रयत्न करे और सरकार ठीक ढंग से उनकी खोज करे। प्रधान मंत्री ने यह आदेश दिया है कि योजना को कार्यान्वित करने के दौरान स्फीति अथवा घाटे का बजट पेश नहीं होना चाहिये और रुपये के मूल्य में भी कमी नहीं होनी चाहिये। योजना के आकार में भी हमने सामान्तर थेढी से वृद्धि की है। कुछ लोगों ने यह आरोप लगाया है कि जितनी वृद्धि हमने विनियोजन के आकार में की है उतनी आर्थिक वृद्धि नहीं हुई हैं। परन्तु वे एक बात को भूलते हैं कि जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, वैसे वैसे, वृद्धि की दर को बनाये रखने के लिये, हमें अधिक विनियोजन भी करना पड़ता है। यदि राष्ट्रीय आय 10,000 रुपये करोड़ की हो तो 1,500 करोड़ रुपये के विनियोजन से राष्ट्रीय आय में 4 से 5 प्रतिशत वृद्धि होगी, और यदि राष्ट्रीय आय 20,000 करोड़ रुपये हो तो 3,000 करोड़ रुपये के विनियोजन से इतनी ही वृद्धि की दर रहेगी। पाकिस्तान से जो वृद्धि दर की तुलना की जाती है वह बिलकुल गलत है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि केवल विनियोजन करने के लिये विनियोजन में वृद्धि नहीं होनी चाहिये।

विनियोजन से, साधारणतया, उत्पादन में वृद्धि होती है। इस सम्बन्ध में हम कोई निश्चित नीति को नहीं अपना रहे हैं। हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिन चीजों पर पहले धन लगाया जा चुका है उनसे लाभ में वृद्धि होनी चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। श्री मसानी को शायद पता होगा कि कई उद्योगों में 10,12 वर्ष तक कोई लाभांश नहीं दिया गया है। वास्तव में कई कम्पनियों ने, जिनके श्री मसानी सभापति रह चुके हैं वर्षों तक कोई लाभ नहीं दिखाया। मैं मानता हूं कि सरकारी क्षेत्र में कई प्रकार की कमियां हैं। परन्तु यदि हम गलतियां करने से डरते रहेंगे तो कभी कुछ नहीं सीखेंगे।

[श्री कृष्णम्माचारी]

1955 में मैंने, बिना इस्पात के बारे में जाने, तीन इस्पात के कारखाने खोले और गर-सरकारी क्षेत्र में दो कारखानों का विस्तार किया। यदि मैं इस कार्य में असफल रहता तो अकेले मेरी निन्दा होती; परन्तु क्योंकि यह कार्य सफल हो गया है, देश को 60 लाख टन इस्पात मिल रहा है।

1½ वर्ष पहले जब मैं भोपाल गया था तो वहां का कारखाना अभी पूरी तरह खुला भी नहीं था, और इससे मुझे बहुत दुःख हुआ। परन्तु जब मैं अब गया तो वहां कार्य इतनी तेजी से हो रहा था और कर्मचारी काम करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने देखा भी नहीं कि कौन आ रहा है। यदि यह कारखाना सफल रहा तो चौथी योजना के अन्त तक हम बिजली के उपकरणों में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

श्री मसानी ने गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों से लाभ के बारे में जो कहा है वह ठीक नहीं है। 1961-62 के अन्त तक कुल 1,133 करोड़ रुपये की लागत में से केवल 280 करोड़ रुपये चल रही कम्पनियों में लगाये गये थे। बाकी रुपया नये उपक्रमों के निर्माण में लगा हुआ था। यदि प्रत्येक कम्पनी को पृथक रूप से लिया जाये और कुछ समय उनके सम्हलने के लिये दिया जाये, तो हम उन्हें असफल नहीं पायेंगे। इसी वर्ष में 28 चल रही कम्पनियों ने 8.5 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया। हिन्दुस्तान स्टील ने 19.5 करोड़ रुपये की हानि दिखाई। हिन्दुस्तान स्टील में, दूसरे और तीसरे विकास के पश्चात, क्षमता टिस्को के बराबर हो जायेगी। अतः यह कहना गलत है कि इन 28 कारखानों ने हानि दिखाई है। 1963-64 की रिपोर्ट के अनुसार केन्द्रीय सरकार के 60 उपक्रमों ने लाभ में 18 करोड़ रुपये की वृद्धि दिखाई। अन्य 33 चल रहे कारखानों ने पिछले वर्ष के 24.5 करोड़ लाभ की अपेक्षा 1963-64 में 29 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया।

कृषि के मामले में भी हमने बहुत कुछ किया है। यद्यपि अनाज का वर्तमान उत्पादन हमारी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त नहीं है, फिर भी पिछले वर्षों की अपेक्षा उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। हमने कृषि को आधार माना है और अन्य बातें इसी के अनुसार होती हैं। कृषि के लिये हमें बिजली, परिवहन और भण्डार गृहों की आवश्यकता है। अतः हमें औद्योगीकरण की ओर भी ध्यान देना होगा।

मैं श्री मसानी से सहमत हूं कि हमें अधिक आयात करना पड़ेगा और चौथी योजना के अन्त तक हमें 600 करोड़ रुपये का कच्चे माल का आयात करना पड़ेगा। हमें गंधक, तांबा, सिक्के आदि जैसी आवश्यक चीजों का आयात करना पड़ेगा। चाहे हम अपने देश में इस्पात बना लें फिर भी हमें विशेष मिश्रित इस्पात जो हम यहां नहीं बना सकते आयात करना पड़ेगा। परन्तु जहां हम आयात करने वाली वस्तु के समान कोई और वस्तु बना सकते हैं तो हम उसे अवश्य बनायेंगे। हमारे देश में औद्योगिक संसाधनों की कमी नहीं है।

कुछ दिन हुए मैंने सीमेंट उत्पादकों को बुला कर कहा कि यदि वे उत्पादन को दुगुना कर सकें तो इससे देश को आवश्यकता भी पूरी हो जायेगी और उनको जो अधिक लाभ होगा उससे वे अधिक उत्पादन के परिव्यय के ऋण को 6,7 वर्षों में चुका सकेंगे। यह इसलिये किया गया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के सरकारी ऋण पर निर्भर न रहना पड़े। मैं नहीं चाहता कि गैर-सरकारी क्षेत्र को सरकार से ऋण लेना पड़े। मैं देश में वर्तमान साधनों से ही देश का विकास करना चाहता हूं। गैर-सरकारी क्षेत्र को हम विदेशी मुद्रा देने के लिये तैयार हैं, परन्तु मैंने उनको यह बता दिया है कि उन्हें आहिस्ता आहिस्ता इसे कम करना होगा। गैर-सरकारी क्षेत्र यदि अपने लिये धन की व्यवस्था नहीं कर सकता तो हम करके देते हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र जब तक धन की व्यवस्था करने के लिये स्वयं व्यवस्था नहीं करेगा तथा जनता को उनके लगाये हुए धन पर अधिक लाभ नहीं देगा, तब तक सफल नहीं हो सकता है।

ब्रिटेन में दो पार्टियां, लगभग बराबर संख्या में हैं, केवल एक या दो वोटों का अन्तर है। फिर भी विरोधी पार्टी एक बात के लिये सत्तारुढ़ पार्टी से सहमत है कि पाउंड का अवमूल्यन नहीं होना चाहिये। परन्तु हमारे देश के कुछ शिक्षित और कुछ अर्धशिक्षित माननीय सदस्य कहते हैं कि देश का दिवाला निकलने वाला है और रुपये का अवमूल्यन होना चाहिये।

मैं मानता हूं कि विरोध करना विरोधी दल का कर्त्तव्य है, परन्तु, कई राष्ट्रीय हित की ऐसी बातें हैं जहां उनको अपने प्रचार से अधिक राष्ट्रीय हित को महत्व देना चाहिये। चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो, देश की समृद्धी से सभी लाभ उठायेंगे।

पिछले वर्ष वृद्धि की दर में भी काफ़ी सुधार हुआ है। कई बार आप धन लगाते हैं तो हो सकता है कि उसका लाभ तुरन्त न मिले। हम मूल्यों की स्थिति के बारे में बहुत चिन्तित हैं। मूल्यों में वृद्धि के कारण योजना बनाने वाले के सभी उद्देश्य निष्फल हो जाते हैं। इससे जनता का जीवन स्तर भी ऊंचा नहीं होता। उत्पादक को जरूर कुछ अधिक लाभ होता और इसे हम उससे किसी प्रकार निकाल लेते हैं। परन्तु हमारी समस्या उन बड़े उत्पादकों की है जो अतिरिक्त आय को अपने पास रख लेते हैं और उसकी सहायता से समाज-विरोधी कार्य करते हैं। यह समस्या अन्य देशों में भी है। जब कि 1950 और 1964 के बीच भारत में थोक मूल्यों में 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्धि हुई, इसी काल में आस्ट्रेलिया में 3.2 प्रतिशत वृद्धि हुई, फ्रांस में 4.5 प्रतिशत और न्यूजीलेंड में 3 प्रतिशत। सिवाए अमरिका के, प्रत्येक देश में इसमें वृद्धि हो रही है।

हमारे देश में छोटे और मध्यम 40,000 अथवा 50,000 औद्योगिक एकक हैं। यदि उनके लिये हमें कच्चा माल मिल जाता है तो हमारा वार्षिक औद्योगिक उत्पादन 15,000 हो जायेगा। इसके लिये हमें न केवल योजना की आवश्यकता है बल्कि योजना में श्रद्धा की भी आवश्यकता है। हमें 2,600 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। यदि हमें विदेशी सहायता मिल गई तो ठीक है अन्यथा हमें अधिक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा।

जो कुछ बाहर कहा जाता है और जो कुछ समाचार पत्रों में छपता है वह सभी कुछ सभा में कहा गया है। इससे मेरे सहयोगियों को यह प्रेरणा मिली है कि उन्हें योजना को तीव्र गति से कार्यान्वित किया जाये। श्री दांडेकर ने कहा है कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मैं यह निर्णय सभा पर छोड़ता हूं कि किसकी बुद्धि विपरीत है और किसका विनाश काल है ?

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : I pay tributes to the brave jawans and officers who laid down their lives on our borders. I thank Shastriji for crossing the cease-fire line, but I warn them that they should not come back under the pressure of Britain. No-confidence motions are brought to keep the Government alert. The demonstration by Jan Sangh prompted the Government to turn back Bhutto from India and we have crossed the cease-fire line.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*

We should not rest contented with taking Kashmir. We must march over Lahore and achieve the idea of united India as existed before 1947. The Government should take strong action against the Communists and Muslim League, who are fifth-Columnists in India. Persons who are threatening hunger strike at this critical time are acting against the interest of the country. When our forces were fighting in Kashmir, Pandit Nehru entered into an agreement with Liaquat and fight was ended. In the same way we entered into an agreement with China in 1962. But now I warn the Government that under U.N. or British pressure, it should not stop the fight.

On 9th August, 1953 the Plebiscite Front had decided to revolt against the country; but since Sheikh Abdullah was arrested on that date, the plan did not materialise. Mr. Sadiq, on assuming office, announced that any

[Shri Onkar Lal Berwa]

Pakistani national who wanted to come to Kashmir was welcome. The outcome of this announcement was that 8,000 Pakistani spies entered Kashmir and we did not know anything about them. I fear that they may attack Rajasthan border after having failed in Kutch and Kashmir.

When Shri Nanda went to Kashmir he declared that 10 miles belt around Kashmir should be populated by Hindus. But he forgot all about it when he came to Delhi. Every Indian should be allowed to settle in Kashmir, they should be allowed to run their business. I would suggest that the whole of constitution should be made applicable to Kashmir.

We must put a stop to the activities of Plebiscite Front and Sheikh Abdullah in Kashmir. On the Kashmir issue we should not trust the Americans. Their press is justifying the Pakistani aggression. Of course we may not get the help under P.L. 480 which we are getting now.

The Government is supplying rotten atta in Rajasthan. 200 persons have died of Cholera. I gave notice of a Cailing Attention Notice, but the Government paid no attention. The Government should see to it that good atta is supplied.

Rajasthan Government is trying to make profit from coarse grains. It is selling foodgrains of Rs. 35 per quintal at Rs. 87 per quintal. If we ask Rajasthan Government about it, it asks us to approach Centre and when we approach the Centre, it asks us to ask Rajasthan Government.

According to figures given by Reserve Bank, there has been an increase of 14 per cent in the cost of living. People are dying of hunger. When China faced a food crisis, it made a cut of 25 per cent in small and huge industries and imported wheat therefrom. Our Government is only spending 13 to 14 per cent on Agriculture.

I want to suggest that Zonal System should be done away with. I welcome the decision to introduce rationing. But this quota of 6 Ounces is too small for the labourers and farmers. In Rajasthan the labourers consume 14 to 16 ounces. In a recent conference of the Chief Ministers, the decision to introduce rationing in cities with a population of more than 3 lakhs was not accepted. In Dholpur some persons stopped a grain train. These persons were pushed behind the bars under D. I. R.

श्री प्र० कु० घोष (रांची-पूर्व) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। शास्त्री की सरकार से हमें बहुत आशा थी, परन्तु वह मिट्टी में मिल गई ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में गणपूर्ति नहीं है। प्रधान मंत्री कल उत्तर देंगे ।

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, 26 अगस्त, 1965/भाद्र 4, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 26, 1965/Bhadra 4, 1887 (Saka)

GIPN—S4—20 Lok Sabha/65—17-3-66—600